Tuesday, 19 April, 1955

Chamber Fumigated. 18/4/73

लोक सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

(खंड २, १९५५)

(२३ मार्च से १९ अप्रैल १९५५)

1st Lok Sabha

(Session IX)

Conservation Unit
3-4-97
Fumigated
On 15/11/83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

नवां सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक २१ से ४० तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८९, १४९३, १४९५, १४९७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०९, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२९, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अक २४—सोमवार, २८ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १५३९ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६९, १५७१से १५७७, १५७९, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०
प्रश्नों के लिखित उत्तर —
तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २९ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —
तारांकित प्रश्न संख्या १५८९, १५९२, १५९४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१९ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर —
तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०९, १६१४, १६१८, १६२३, १६२९, १६३६, १६३७ और १६३९ . . . . . . १९१५—१९२३
तारांकित प्रश्न संख्या ४६९ से ४८४ १९२३—१९३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५९, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८९ से १६९५ और १६९७ से १७०५ . . १९३५—१९८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६९, १६७५, १६७६, १६७९, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६९६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १९८१—२०००
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४९० और ४९२ से ५१९ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४८

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संम्ब्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५,
१८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५,
१८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६,
१८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९,
१९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१,
१९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९,
१९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७,
१९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०,
१९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८
अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— वुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२,
१९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९
से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६
और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३
१९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२,
२०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५,
२०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३,
२०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५
अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२
अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९-क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . . . २५७९—२५८९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . . २६५३—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१
तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८६, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . . २८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . . १—१८९

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लागत लेखापाल (राज्य उपक्रम)

*२३६५. **श्री एस० एन० दास :** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन मंत्रालय के नियंत्रण अधीन उन सब राज्य उपक्रमों में, जो निर्माण कार्य में लगे हुये हैं, सुप्रशिक्षित तथा पूर्णतया अर्ह लागत लेखापाल नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस काम के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के विनिश्चय किये गये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) राष्ट्रीय औज़ार कारखाने के अतिरिक्त ऐसे सब उपक्रमों का प्रबन्ध गैर सरकारी लिमिटिड समवायों द्वारा किया जाता है जो प्रशिक्षित और अर्ह लागत लेखापाल अथवा अनुभवी लेखा कर्मचारियों को, जिन्हें लागत लेखे के काम का काफी अनुभव तथा ज्ञान होता है, नियुक्त करते हैं। राष्ट्रीय औज़ार कारखाने में यह काम विभागीय कर्मचारी वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा पदाधिकारी के परामर्श से करते हैं।

(ख) से (घ). आवश्यकताओं के हाल ही में किये गये पुनरावलोकन के आधार पर निम्नलिखित उपक्रम एक या अधिक लागत लेखापाल नियुक्त करके अपने लागत लेखा संगठनों को सबल बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं :

(१) मैसर्ज़ हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्ज़ लिमिटिड ।

(२) मैसर्ज़ हिन्दुस्तान केबल्ज़ लिमिटिड ।

(३) मैसर्ज़ सिन्द्री फर्टिलाइज़र्ज़ एण्ड कैमिकल्ज़ लिमिटिड ।

(४) मैसर्ज़ हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी लिमिटिड ।

(५) मैसर्ज़ नाहन फाउंड्री लिमिटिड ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस विषय में इन उपक्रमों को मंत्रणा देने और उन का पथ प्रदर्शन करने के लिये केन्द्र में कोई संगठन है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, श्रीमान्, वित्त मंत्रालय में और महालेखा परीक्षक के अधीन एक संगठन है ।

श्री एस० एन० दास : संगठन में कितने व्यक्ति हैं और क्या उनकी संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या लोक लेखा समिति ने इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और उसे दृष्टि में रखते हुये क्या केन्द्र में ऐसे लागत लेखापालों की पदाली रखने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, श्रीमान् । ऐसी पदाली बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, क्या सरकार का उन उपक्रमों के कार्य संचालन की जांच करने के लिये इस सभा की कोई स्थायी अथवा तदर्थ समिति नियुक्त करने का विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान् ।

पाकिस्तान के क्षेत्र में भारतीय बस्तियां

*२३६६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के क्षेत्र में भारतीय बस्तियों की वर्तमान प्रशासन व्यवस्था कैसी है;

(ख) इन बस्तियों मे कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है ; और

(ग) वहां के लोगों की हालत सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) प्रशासन के लिये इन भारतीय बस्तियों को भारतीय क्षेत्र के निकटतम थाने के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, एक बस्ती के अतिरिक्त इन बस्तियों में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रखा गया है । कभी कभी पश्चिमी बंगाल के पुलिस, राजस्व तथा अन्य कर्मचारी उन मामलों की जांच करने जिनकी सूचना वहां से आती रहती है और राजस्व एकत्र करने के लिये पूर्वी बंगाल सरकार की अनुज्ञा से इन बस्तियों का दौरा करते रहते हैं ।

(ख) ४९,२३५/१३/रु० ।

(ग) जहां तक इन बस्तियों से भारतीय क्षेत्र में आने जाने का सम्बन्ध है विज़ा सम्बन्धी प्रतिबन्ध ढीले कर दिये गये हैं, पूर्वी बंगाल सरकार के साथ किये गये एक करार के अनुसार इन बस्तियों के लोग उस पहचान पत्र के प्राधिकार से, जो पश्चिमी बंगाल के ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और जिस पर पूर्वी बंगाल के सम्बन्धित ज़िला दंडाधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं, एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक अथवा उन बस्तियों से भारतीय क्षेत्र में आ जा सकते हैं ।

पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के मुख्य सचिवों में हुए करार के अन्तर्गत भारतीय क्षेत्र से बस्तियों में कपड़ा, तेल, चीनी, दिया । सलाई, औषधियां इत्यादि जैसी अत्यन्त आवश्यक वस्तुयें भेजने की स्वीकृति दी गई है ।

इन मामलों और दूसरे कई मामलों में कठिनाइयां अनुभव की गई हैं और पाकिस्तान सरकार के सामने पूर्वी बंगाल में कूच बिहार बस्तियों का भारतीय क्षेत्र में पूर्वी बंगाल की बस्तियों के साथ विनिमय करने का प्रश्न रखा गया है, भारत और पाकिस्तान सरकारों ने बस्तियों के विनिमय के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है परन्तु विनिमय के ब्यौरे पर कोई समझौता नहीं हो सका है । दोनों देशों के सीमा सम्बन्धी विवादों पर विचार करने के लिये शीघ्र ही एक भारतीय-पाक सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा गया है जब कि इस प्रश्न पर आगे विचार किया जायगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन बस्तियों की संख्या, क्षेत्रफल और कुल जन संख्या क्या है ?

श्री सादत अली खां : पूर्वी बंगाल में कूच बिहार की १३० बस्तियां हैं जिनका क्षेत्रफल २०९५७ एकड़ और जनसंख्या १२,६०० है । इसी प्रकार कूच बिहार, पश्चिमी बंगाल में पूर्वी बंगाल की ९३ बस्तियां हैं जिनका क्षेत्रफल १२१५२ एकड़ और जनसंख्या ११,००० है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन बस्तियों का विनिमय कब तक होगा ?

श्री सादत अली खां : मैं ने बताया है कि अगली बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा क्योंकि दिल्ली में ११ और १२ मार्च, १९५५ को हुई कार्य संचालन समिति की बैठक में सीमा विभाजन के सामान्य प्रश्न पर विचार किया गया था और आशा है कि अगली बैठक में इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री बी० के० दास : इन बस्तियों के विनिमय में क्या अड़चन है क्योंकि बहुत समय पूर्व इस बारे में अन्तिम निर्णय हो गया था ?

श्री सादत अली खां : प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां और अन्य कई उलझनें पैदा हो जाती हैं और हम उनपर विचार करने के लिये तैयार हैं । यदि पाकिस्तान सरकार स्वीकार कर ले तो आशा है कि शीघ्र ही इसका निर्णय हो जायेगा ।

श्री बर्मन : अब तक बस्तियों में गड़बड़ अथवा अपराधों की सूचना मिली और पुलिस प्राधिकारियों को वहां जाना पड़ा ?

श्री सादत अली खां : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि इन बस्तियों में अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या अधिक है ? यदि हां, तो सरकार ने वहां की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की ?

श्री सादत अली खां : सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

मधुमक्खी-पालन केन्द्र

*२३६७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बिहार में कितने मधुमक्खी-पालन केन्द्र खोले गए हैं; तथा

(ख) मधुमक्खी-पालन केन्द्र खोलने का मुख्य आधार क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १० ।

(ख) किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु का उद्योग चलाने की दृष्टि से अनुकूल होना, और वहां के ग्रामीणों का इस कार्य के लिये उद्यत होना ।

श्री विभूति मिश्र : यह दस बी कीपिंग सेंटर बिहार के किन किन हिस्सों में खुले हुए हैं ?

श्री कानूनगो : ये केन्द्र १७ ग्रामों के क्षेत्र में फैले हुए हैं । जगह का पता नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : उत्तर बिहार हिमालय से लगा हुआ है और वहां की आबहवा भी अच्छी है । क्या सरकार उधर भी बी कीपिंग स्टेशन खोलने का विचार रखती है ?

श्री कानूनगो : बी कीपिंग स्टेशन के लिए टेम्परेचर ६५ डिग्री से नीचा नहीं होना चाहिए और १०० डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन विभिन्न केन्द्रों, और विशेषकर ग्रामोद्योग संघ द्वारा खोले गए केन्द्रों में उत्पादित होने वाले मधु के संबन्ध में कोई सांख्यकी रखी जाती है?

श्री कानूनगो : जहां तक बिहार की ४९ मधुमक्खी बस्तियों का संबंध है, दिसम्बर, १९५४ तक वहां का उत्पादन ३७६ पौंड था ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

*२३६८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाब में विस्थापित लोगों को, जो निष्क्रान्त कृषि योग्य भूमियां और ग्रामीण मकान आवंटित किए गए थे, उनके संबंध में कुछ एक व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार देने से इन्कार कर दिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) पंजाब में जिन व्यक्तियों को अर्ध-स्थायी रूप में ग्रामीण कृषि योग्य भूमियां और ग्रामीण मकान आवंटित किए गए हैं, उन्हें अभी तक स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि उन व्यक्तियों को, जिन्हें बागान बस्तियों में बसाया गया है, स्वामित्व का अधिकार इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि उन्होंने वे वृक्ष स्वयं नहीं उगाए हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : इसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । परन्तु जहां तक स्थायी रूप से स्वामित्व का अधिकार देने का सम्बंध है उस पर सरकार बड़ी शीघ्रतापूर्वक विचार कर रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : तो क्या इसका अर्थ यह है कि वहां पर अभी तक किसी भी विस्थापित व्यक्ति को स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : सारा मामला विचाराधीन है और अब इस पर अधिक देर नहीं लगेगी ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*२३६९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** २२ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के प्रशासन के प्राणकीय परामर्शदाता, डा० वैरियर एल्विन ने वहां के आदिम-जातीय लोगों के सम्बन्ध में जो सिफारिशें दी थीं, उनके विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण प्रशासन उनका अनुसरण कर रहा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : ये सिफारिशें क्या क्या हैं और इनके सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

श्री जे० एन० हज़ारिका : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि उपमंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर में इसके विषय में बताया था कि मुख्य मुख्य सिफारिशें ये हैं :

१. धर्म-परिवर्तन से सम्बन्ध रखने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही का निरुत्साहन किया जाए, और एक धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म के बड़प्पन के सम्बन्ध में प्रचार करने की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए ।

२. आदिमजातीय लोगों की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और अन्य विशेष प्रकार की विशेषताओं का यथासंभव रक्षण होना चाहिए ।

३. बुनयादी शिक्षा चलाई जाए ।

४. जहां तक हो सके शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी भाषा को चालू करने का प्रयत्न किया जाए ।

५. पदाधिकारियों और शिक्षकों को ध्यानपूर्वक चुना जाए, और वे आदिमजातीय लोगों की भाषा और रीति रिवाजों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की संस्कृति को उन्नत करने के उद्देश्य से कोई अभिकरण बनाये हैं ? यदि हां, तो वे किस प्रकार के अभिकरण हैं ?

श्री जे० एन० हज़ारिका : आदिम जाति के लोगों की संस्कृति और कलाओं के रक्षण के

लिए हमने इन क्षेत्रों में पहले ही पदाधिकारी नियुक्त किए हुए हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बुनयादी शिक्षा पद्धति को लागू करने के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : में इसे साफ कर दूं । इस सिलसिले में पिछले दिनों एक कान्फ्रेंस वहां बुलाई गयी थी कि इस बात पर गौर करे कि बेसिक एजूकेशन की तालीम किस तरह वहां दी जाए । चुनांचे कान्फ्रेंस हुई । इसकी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई हो रही है ।

श्री जयपाल सिंह : सभासचिव ने अभी यह कहा है एक सिफाशि यह है कि उन क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उस क्षेत्र की भाषा सीखनी चाहिए । क्या वे कर्मचारी नियुक्त होने से पूर्व ही वह भाषा सीख लेते हैं, अथवा उसके पश्चात सीखते हैं ? ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि स्थानीय भाषा में प्रवीण हैं ?

श्री जे० एन० हज़ारिका : हम उन्हें स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, आदिमजातीय लोगों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी ।

श्री जयपाल सिंह : मैं पदाधिकारियों के बारे में बात कर रहा हूं ।

राज्य व्यापार

*२३७०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने नीति के रूप में ऐसा निर्णय किया है कि वह किसी भी पण्य के निर्यात-व्यापार में प्रवेश नहीं करेगी; तथा

(ख) यदि हां, तो राज्य-व्यापार को बढ़ाने की नीति के विरुद्ध इस प्रकार के निर्णय करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या उस उपसमिति ने, जिसे १९५० में नियुक्त किया गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और क्या इस प्रतिवेदन का किसी और समिति ने निरीक्षण किया है ? उस समिति ने इसके विषय में क्या सिफारिशें दी हैं ?

श्री कानूनगो : १९५० में नियुक्त की गयी समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का १९५२ में एक अन्य समिति ने निरीक्षण किया था, और उसने इसके सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि सरकार को खाद्य-सामग्री तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का व्यापार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए । उसने यह भी सिफारिश की है कि हथ-करघा वस्तुओं और कुटीर उद्योग वस्तुओं का व्यापार राज्य का एक निगम अपने हाथ में ले ले ।

श्री एल० एन० मिश्र : उपमंत्री महोदय ने प्रश्न के (क) तथा (ख) दोनों भागों का उत्तर नकारात्मक दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ज्ञात है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री महोदय ने निर्यात परामर्शदात्री समिति की गत बैठक में कहा था कि सरकार ने पूर्णरूपेण ऐसा निर्णय किया है कि वह निर्यात व्यापार में प्रवेश नहीं करेगी ?

श्री कानूनगो : यह बात अभी विचाराधीन है कि क्या यह कार्य पूर्णरूपेण एक राज्य व्यापार अभिकरण को सौंप दिया जाए अथवा राज्य द्वारा सहायता-प्राप्त या संचालित अभीकरण के पास रहे ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार का, कुछ एक चुनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्य व्यापार चलाने के बारे में कोई विचार है ?

श्री कानूनगो : मामला अभी विचाराधीन है, और इसके सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री एस० एन० दास : इस समय केन्द्रीय सरकार के अधीन कितना निर्यात व्यापार है ?

श्री कानूनगो : अभी तो कुछ भी नहीं ।

वस्त्र जांच समिति का अभिवेदन

*२३७२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र जांच समिति १९५४ के अभिवेदन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; तथा

(ख) इसकी विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

श्री झलन सिंह: यह प्रतिवेदन सरकार को कब प्रेषित किया गया था ?

श्री काननगो : यह सितम्बर, १९५४ के अन्त में प्रेषित किया गया था ।

श्री झूलन सिंह : क्या, वस्त्रों की कुछ एक किस्मों को हथ-करघा उद्योग के लिए अलग रखने और हथ-करघे का स्थान विद्युत करघे को देने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस बारे में शीघ्र ही निर्णय करेगी ?

श्री कानूनगो : जी, हां । राज्य सरकारों से पूछा गया था कि उनके विचार क्या हैं । उनमें से कुछ ने उत्तर दिए हैं और कुछ ने नहीं दिए हैं । इसीलिए पूरा निर्णय करने में कुछ विलम्ब हो रहा है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार को राज्यों से, वस्त्र जांच समितियों के प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री कानूनगो : अभी सभी राज्यों ने इसके प्रति अपने विचार नहीं भेजे हैं । जिन्होंने भेजे हैं, उन्होंने कुछ एक भागों का तो विरोध किया है और कुछ एक का समर्थन किया है ।

कृत्रिम तेल संयंत्र

*२३७३. **श्री केलप्पन** : क्या **उत्पादन** मंत्री २५ फरवरी, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्थापित कृत्रिम तेल संयंत्र के सम्बन्ध में अग्रिम प्रतिवेदन को तैयार करने का कार्य किस किस अन्तर्राष्ट्रीय सार्थ को सौंपा गया है;

(ख) क्या अभी तक इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अग्रिम प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए निम्नलिखित सार्थों से बातचीत की जा रही है :

(१) मैस्सर्ज़ एम० डब्ल्यू० केल्लांग कम्पनी, न्यूयार्क ।

(२) मैर्स्जस लुर्गी, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी । तथा

(३) मैस्सर्ज़ हाइनिरिख कॉपर ऐस्सन, जर्मनी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री केलप्पन : सरकार द्वारा नियुक्त की गयी कृत्रिम पेट्रोल समिति ने जो प्रतिवेदन

प्रषित किया है, उसके सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अपने उत्तर में मैंने इस की ओर संकेत किया है । भाग क उस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ही परिणाम है ।

श्री केलप्पन : इस परियोजना पर अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी तक तो अग्रिम प्रतिवेदन प्राप्त करने के विषय में सुझाव आए हैं । वास्तविक परियोजन अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : इस पर कुल कितनी पूंजी लगाने का विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो अग्रिम प्रतिवेदन पर निर्भर करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसके ब्योरे के सम्बन्ध में प्रश्न करना अभी जल्दबाजी करना है ।

श्री सारंगधर दास : क्या तलचेर कोयले से पेट्रोल को शोधित करने की योजना, जो कुछ समय हुआ उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ की थी, इन परामर्शदाताओं को सोच विचार के लिए सौंपी गयी है, और क्या इस पर सोच विचार हो रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो अग्रिम प्रतिवेदन पर निर्भर करेगा जो कि ऐसे सभी तत्वों अर्थात् कोयले की मात्रा तथा प्रकार, और जल की उपलब्धि आदि पर सोच विचार करेगा, जो इस प्रकार की परियोजना की सफलतापूर्वक कार्यान्विति के लिए आवश्यक हैं । इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की परिस्थितियों पर भी सोच विचार करना पड़ेगा ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*२३७४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ४ मार्च १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था करने के बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : चौथे दरजे के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाने का काम चालू है । अनुमान है कि यह काम १९५५ के मध्य तक पूरा हो जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात आई है कि अलीगंज, पंचकुईया और राउज एवेन्यू में बहुत पहले से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए हैं और उनमें अब तक बिजली नहीं आई है जब कि उनके बाद कई नई कालोनीज जो हाल में बनी हैं उनमें बिजली लग गयी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ढाई हजार क्वार्टर्स सेवानगर में जो बने हुए हैं, उनमें बिजली लग गई है, जहां तक पंचकुईया रोड के क्वार्टरों का सवाल है, इसके मुताल्लिक विचार यह है कि इस जगह नई कंस्ट्रक्शन की जाय, इसलिए इन क्वार्टरों में फिलहाल बिजली लगाने का इरादा नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि सेवानगर में हालांकि कई महीनों से क्वार्टरों में बिजली की फिटिंग हो गई है लेकिन अभी तक उनमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है और इसके मिलने में देरी क्यों हो रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अब उम्मीद है कि जल्दी ही मिल जायगा ।

नई दिल्ली म्युनिसपल कमिटी के पास बिजली पहले काफी नहीं थी, अब भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से उनको नई बिजली का

कनेक्शन मिल गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही यह कनेक्शन मिल जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि . . . . .

मैसूर को सहायता

*२३७५. **श्री वोडयार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने, राज्य में उद्योगों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों की सहायता की जाएगी; तथा

(ग) क्या मैसूर राज्य की इस प्रार्थना के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अनुदानों के सम्बन्ध में ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या १७**]

श्री वोडयार : बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में देने के लिए कुल कितनी राशि प्रस्थापित की गई है ?

श्री कानूनगो : प्रश्न अनुदानों के विषय में है । किसी सीमा के विषय में कोई प्रस्थापना नहीं है । आने वाली योजनाओं पर उनके गुणों की दृष्टि से विचार किया जाता है ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार का विचार मैसूर राज्य में अग्रबती उद्योग को उन्नत करने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का है ?

श्री कानूनगो : जैसे मैंने कहा है, यदि उस राज्य सरकार से कोई प्रस्थापना आएगी, तो उस पर उसके गुणों के आधार पर सोच विचार किया जाएगा ।

श्री एन० राचय्या : मैसूर राज्य को १९५४-५५ में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कोई अनुदान क्यों नहीं दिया गया था ?

श्री कानूनगो : वहां से कोई प्रस्थापना नहीं आई थी ।

प्रबन्ध निदेशकों का चुनाव

*२३७६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और महाप्रबन्धकों के चुनाव के लिए एक परिमाण निर्धारित करने के प्रश्न पर हाल ही में योजना आयोग द्वारा चर्चा की गई थी;

(ख) यदि की गई थी तो क्या परिमाण निर्धारित हुआ था;

(ग) क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेगी; तथा

(घ) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या योजना आयोग का विचार जनिकट भविष्य में इस विषय पर चर्चा करने का है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) लोक उपक्रमों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में क्या सिद्धान्त अपनाए जाएं और क्या व्यवस्था की जाय यह प्रश्न इस समय योजना आयोग और उत्पादन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन प्रस्थापनाओं पर चर्चा करते समय योजना आयोग की यह सामान्य प्रथा है कि वे उन प्रबन्ध कर्मचारियों

को ध्यान में नहीं रखते जिनकी उर्वरक तथा इस्पात आदि के कारखानों जैसे बड़े उपक्रमों को चलाने के लिए आवश्यकता होती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं इस प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझ सका हूं । योजना आयोग का इन लोगों की नियुक्ति मे कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यदि किसी प्रकार के सिद्धान्तों के निर्धारण का प्रश्न हो तो योजना आयोग का इस चीज से केवल सामान्य प्रकार का सम्बन्ध है । मैं माननीय सदस्य की सूचनार्थ यह बता सकता हूं कि विशेषतया प्रबन्ध निदेशकों और महाप्रबन्धकों के लिए नहीं अपितु औद्योगिक प्रबन्ध सेवा की एक पदाली के निर्माण के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना योजना आयोग और उत्पादन मंत्रालय के विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : मेरा अभिप्राय यह है कि किन्हीं बड़े उपक्रमों की स्थापना के समय प्रस्थापनाओं पर पहले योजना आयोग द्वारा विचार किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन प्रस्थापनाओं पर विचार करते समय योजना आयोग इस बात पर भी विचार करता है कि उन उपक्रमों को चलाने के लिए किस प्रकार के प्रबन्ध कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।

श्री एस० एन० मिश्र : योजना आयोग कुछ सामान्य सुझाव तो दे सकता है किन्तु उसके लिए किसी समान परिमाण का निर्धारण कठिन है, क्योंकि भिन्न उपक्रमों की अपेक्षाएं भिन्न प्रकार की होती हैं ।

रेशम उद्योग

*२३८०. **श्री एन० राचय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य को १९५४–५५ में रेशम उद्योग की उन्नति के हेतु कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : ७,६८,१४५ रुपया ।

श्री एन० राचय्या : यह वित्तीय सहायता किन योजनाओं के लिए दी गई थी ?

श्री कानूनगो : यह एक लम्बी सूची है । शहतूत पैवन्द नर्सरी स्थापित करने की योजना, बेलिगिरिरंगन पहाड़ियों पर पुनर्पुष्ठीकृत यूनीवोल्टीन और बाईवोल्टीन बीज कृमिकोषों के उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु सुविधाएं देने की योजना, गुडुवनहल्ली में विदेशीय जाति के मूलभूत बीज कृमिकोषों के उत्पादन सम्बन्धी योजना, कुनिगल, बिदाई और डोडलालापुर में मल्टीवोल्टीन रेशम के कीड़े के रोगमुक्त अंडों का केन्द्र स्थापित करने की योजना, सहायता प्राप्त बीज व्यापारियों को शीतक यन्त्रों का संभरण करने की योजना इत्यादि ।

श्री केशवैयंगार : क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिस से यह पता चल सके कि इस प्रकार दी गई राशियों का राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण उपयोग किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : योजनाओं की प्रगति के बारे में समय समय पर प्रतिवेदन मंगाए जाते हैं और उस पर दृष्टि रखी जाती है ।

कोयला खानों में घाटे

*२३८१. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है कि रेलवे कोयला खानें इतने वर्षों से लगातार घाटे पर क्यों चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम हुए; और

(ग) क्या १९५४–५५ में किसी सरकारी कोयला खान में कुछ घाटा हुआ था और यदि हां, तो किस कोयला खान में और कितना ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अनुमान है कि माननीय सदस्य राज्य कोयला खानों का निर्देश कर रहे हैं । राज्य कोयला खानों के कार्य के तरीकों, उत्पादन की लागत और उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिये और उनके काम को लाभदायक और वित्तीय दृष्टि से दृढ़ बनाने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में रेलवे कोयला-खान जांच समिति नामक एक समिति ने पड़ताल की थी और उसने अपना प्रतिवेदन १९५१ में भेजा था ।

समिति ने इन कोयला-खानों की कार्य प्रणाली सुधारने और उनके काम को लाभदायक और वित्तीय दृष्टि से दृढ़ बनाने के लिये विभिन्न सुझाव दिये थे । एक विवरण, जिसमें इस समिति के सुझावों पर की गयी कार्यवाही बताई गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध सख्या १८]**

इसके सिवा सरकार ने यह जानने के लिये कि इनमें से कुछ कोयला-खानें लगातार घाटे पर क्यों चल रही हैं, कोई अलग जांच नहीं कराई थी ।

(ग) चूंकि १९५४—५५ के लेखे अभी बंद नहीं किये गये हैं, अतः अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अस्थायी आंकड़ों के अनुसार कोयला-खानों से सब मिलाकर ३३·३६ लाख का लाभ होना चाहिये । लेखों के अंतिम रूप प्राप्त करने के बाद प्रत्येक कोयला-खान से होने वाली लाभ-हानि दिखाने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं जान सकता हूं कि कोयला-खानों की कुल संख्या क्या है, उनमें से कितनी घाटे पर चल रही हैं और प्रत्येक को कितना घाटा होता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे द्वारा दिये गये लंबे उत्तर और पटल पर रखे गये लंबे विवरण से सन्तोष करें । अब वह एक नयी बात उठा रहे हैं । इसका अंशतः उत्तर मरे उत्तर में दिया जा चुका है और यदि वह पृथक् सूचना दें, तो और जो जानकारी वह चाहते हैं, एकत्र की जा सकती है ।

श्री के० सी० सोधिया : विवरण में बताया गया है कि सरकार विवरण में बतायी गयी कुछ सिफारिशों पर १ अगस्त १९५० को कार्यवाही कर चुकी है । इन पांच वर्षों के बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि पांच कोयला-खानों में ६० लाख रुपये प्रति वर्ष का भारी घाटा हो रहा है और सरकार ने इसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता था कि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यह कह कर मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि प्रारंभिक लेखे से पता चलता है कि सब मिला कर ३३·३६ लाख रुपयों का लाभ होगा, यद्यपि वह संख्या लेखे अंतिम रूप से तैयार होने पर सुधारी जा सकती है । अतः माननीय सदस्य ने जो भयावह चित्र खींचा है, वह संगत नहीं है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : शायद माननीय मंत्री को पता है कि पहले कोयला खाने ठेकेदारों के द्वारा होकर चलायी जाती थीं । मैं जान सकता हूं कि क्या घाटा ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देने से हो रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं । मैंने वास्तविक स्थिति सभा को बता दी है ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं जान सकता हूं कि क्या जो मैंने कहा है गलत है या सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं कठोर विशेषण का प्रयोग न करूंगा । मैंने तथ्य बता दिये हैं और माननीय सदस्य अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनकी बात गलत है या सही या अंशतः सही ।

जस्ते का कारखाना

*२३८२. **श्री बालकृष्णन्:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जस्ते का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न का परीक्षण करने के लिये बनायी गयी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में एक जस्ते का कारखाना खोलना चाहती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस समय इस पदार्थ संबंधी तमाम आवश्यकता की पूर्ति विदेशों से किये गये आयात से की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). समिति की सिफारिशों के अनुसार अयस्क का दैनिक निकास १००० टन हो जाने के बाद ही जस्ता पिघलाने वाली मशीन स्थापित की जा सकती है । आज कल निकास ३०० टन ही है । अतः जस्ता पिघलाने वाली मशीन लगाने का प्रश्न तभी लिया जा सकता है, जब उत्पादन अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाये ।

(ग) जी हां ।

श्री बालकृष्णन् : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारा कच्चा माल किन शर्तों पर विदेश भेजा जाता है ? इस समय हम कच्चा माल विदेशों को भेजते हैं । क्या इस निर्यात के लिये कोई समझौता है ?

श्री कानूनगो : कोई समझौता नहीं है । निर्यात, व्यापार के सामान्य तरीकों से किया जाता है ।

श्री बालकृष्णन् : २२ दिसम्बर, १९५४ को अतारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर में माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया था कि : "जस्ता पिघलाने वाली मशीन लगाने से पहले अयस्क का कुछ न्यूनतम दैनिक उत्पादन आवश्यक है । उस न्यूनतम निकास को प्राप्त करने के लिये सरकार संबंधित खानों के विकास के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।" अब हमारी खानों का दैनिक निकास कितना है और जस्ते के कारखाने के लिये कितना दैनिक निकास आवश्यक है ?

श्री कानूनगो : आजकल निकास २००–३०० टन है । निकास बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और कंपनी और सरकार और विदेशी परामर्शदाताओं के बीच बातचीत चल रही है ।

श्री बालकृष्णन् : एक कारखाना चलाने के लिये कितनी मात्रा चाहिये ?

श्री कानूनगो : १००० टन प्रति दिन ।

श्री एन० बी० चौधरी : आजकल किन किन देशों से जस्ते का आयात किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

फरीदाबाद में अस्पताल

*२३८३. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बातें बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२–५३ और १९५३–५४ में फरीदाबाद अस्पताल पर किया गया व्यय;

(ख) इन वर्षों में अस्पताल के लिये दवाओं और अन्य भंडार के खरीदने में किया गया व्यय; और

(ग) क्या अस्पताल के भंडार और अन्य आवश्यक सामानों के खरीदने के लिये इन वर्षों में कुछ प्राक्कलन पत्र मांगे गये थे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या १९]**

श्री गिडवानी : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है कि प्राक्कलन-पत्र (टेंडर्स) सभी मामलों में नहीं मंगाये गये थे। मैं जान सकता हूं कि किन मामलों में और किन कारणों से प्राक्कलन-पत्र (टेंडर्स) नहीं मंगाये गये थे ?

श्री जे० के० भोंसले : वस्तुतः खरीद तीन अलग अलग तरीकों से की जाती है । पहले तो सरकारी भांडारों और डिपों से जहां तक इसका संबंध है, मूल्य प्रमापीकृत होने से उसका प्रश्न नहीं उठता । दूसरे निजी निर्माताओं से; उनके भी मूल्य प्रमापीकृत होते हैं । अस्पतालों को वे विशेष रियायतें देते हैं । तीसरे प्राक्कलन-पत्रों द्वारा । मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित कर दूं कि १९५२–५३ में सरकारी संस्थाओं से ३२ प्रतिशत सामान खरीदा गया था, निजी निर्माताओं और वितरकों से ३० प्रतिशत और प्राक्कलन-पत्रों से होकर ३८ प्रतिशत । १९५३–५४ में सरकारी संस्थाओं से ३५ प्रतिशत, निर्माताओं से २९ प्रतिशत और प्राक्कलनों द्वारा ३६ प्रतिशत खरीदें की गयी थीं । इस प्रकार अधिकांश औषधियां सरकारी सूत्रों से खरीदी जाती हैं ।

श्री गिडवानी : जिन मामलों में प्राक्कलन-पत्र (टैंडर्स) नहीं मंगाये गये थे, उनमें खरीद स्थानीय थोक निर्माताओं से की गयी थी या फुटकर विक्रेताओं से ? ये खरीदें किस एजेंसी के द्वारा की गयी थीं ।

श्री जे० के० भोंसले : जहां खरीद सीधे निर्माताओं से की जाती हैं, मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी इन निर्माताओं से सीधे माल मंगाते हैं । जैसे मैंने बताया, इन औषधियों के दाम प्रमापीकृत हैं और अस्पतालों के लिये वे विशेष रियायत देते हैं ।

मशीन टूल संयंत्र

*२३८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लेविया सरकार ने भारत में मशीन टूल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या सरकार ने यूगोस्लेविया सरकार की शर्तों को स्वीकार कर लिया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में नहरें

*२३८६. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री ४ मई १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २२०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा की नहरों को नवीन रूप देने के बारे में तब से कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) श्रीमान्, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संगण्णा : क्या मैं योजनाओं के प्रस्तावित प्राक्कलन जान सकता हूं ?

श्री हाथी : १४·९२ करोड़ रुपये ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये योजना हीराकुड परियोजना के अंतर्गत आती हैं ?

श्री हाथी : वह हीराकुड परियोजना का एक अंग होंगी—वर्तमान परियोजना का एक विस्तार होंगी ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना हीराकुंड परियोजना की प्रगति के अनुरूप आगे बढ़ रही है ?

श्री हाथी : नहीं । यह अभी शुरू नहीं हुई है । तदनुरूप आगे बढ़ने का प्रश्न नहीं है । इसकी पड़ताल हो चुकी है और अब परीक्षण हो रहा है ।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण

*२३८८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जातियों और भारतीय सशस्त्र सेना के बीच हुए झगड़े से उत्पन्न घटनाओं के संबंध में क्या उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में बम बरसाने के लिये विमानों का उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बमबारी से कितनी हानि हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में वस्त्र मिल

*२३८९. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पंजाब सरकार से वहां पर अपेक्षतया अधिक संख्या में वस्त्र मिल खोलने के हेतु सहायता के लिये कोई निवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, ऐसा एक निवेदन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये मिला था ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि इसका क्षेत्र केवल कताई के एककों के लिये होगा, पूरे मिलों के लिये नहीं ।

श्रमिकों के लिये क्वार्टर (निर्माण)

*२३९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १८ नवंबर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिको को निवास के लिये क्वार्टर देने के बारे में कुछ अंतिम निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजना और कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) प्राक्कलित व्यय और योजना को क्या रूप दिया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि किन कारणों से सरकार नई दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों के लिये मकान बनवाना आवश्यक नहीं समझती ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हम आवश्यकता मानते हैं । इसी कारण योजना विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : इस योजना को अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि यदि मैं कहूं कि हम यथाशीघ्र निर्णय करेंगे, तो मेरा उत्तर विशेष स्पष्ट होगा ।

श्री एस० एन० दास : माननीय मंत्री यह कैसे सोचते हैं कि वह समय नहीं दे सकते ? किन विशेष कारणों से इतना समय लगा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य कृपया याद रखें कि नई दिल्ली का निर्माण विगत ४० वर्षों से हो रहा है । किसी ने आज तक इसकी जरूरत नहीं समझी थी पर आज हम यह अनुभव करते हैं कि इनके लिये कुछ निवास-स्थान होना चाहिये । इसी कारण हम इस प्रकार की एक योजना पर विचार कर रहे हैं ।

हथकरघा उद्योग

*२३९२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पंजाब सरकार को कितनी राशि अनुदान रूप में दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : अनुदानों के रूप में २,६५,३६४ रूपये और ३,१५,००० रुपये ऋण के रूप में ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह अनुदान किस सिद्धान्त के आधार पर वितरित किया जाता है ?

श्री कानूनगो : सिद्धांत यही है कि देखा जाता है कि प्रस्तुत की गई योजनाएं कितनी उपयोगी और व्यावहारिक हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह ऋण किस ब्याज पर वितरित किये जाते हैं और इन ऋणों को प्राप्त कर के कितने लोगों ने लाभ उठाया है ?

श्री कानूनगो : ऋणों का वास्तविक वितरण राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकता जिन्होंने ऋण लिए हैं । राज्य सरकार को दी गई राशि से ही ऋणों की संख्या का पता चलता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस हथकरघा उद्योग के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है और क्या इस सम्बन्ध का निर्देश पंजाब सरकार को जारी किया गया है, और यदि हां, तो उसका कहां तक अनुसरण किया गया है ?

श्री कानूनगो : सरकार की नीति तो निश्चिय ही हथकरघा जुलाहों के सहकारी संगठन के पक्ष में है । पंजाब सरकार और अन्य सरकारों को भी इस बात का पता है । दुर्भाग्यवश पंजाब में प्रगति तीव्रगति से नहीं हो रही है ।

दिल्ली में उद्यान लगाने का कार्य

*२३९३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली राज्य सर्कल और नई दिल्ली केन्द्रीय सर्कल में उद्यान लगाने के काम में कितने गजेटिड पदाधिकारी लगे हुए हैं;

(ख) क्या कस्तूरभाई लालभाई समिति की सिफारिशों पर कुछ कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी छंटनी की गई है और इससे कितनी बचत हुई है; और

(घ) १९४७ से अब तक (वर्षानुसार) दोनों सर्कलों के कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) दिल्ली में उद्यान लगाने का सब काम सर्कल संख्या १ के अधीन एक विभाग को सौंप दिया गया है और आठ गजेटिड पदाधिकारी इस कार्य को कर रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) में अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २०**]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने इस विभाग में किसी और ढंग से बचत करने का विचार किया है;

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं जानता कि यह कैसे हो सकता है कि अच्छे बाग भी हों और उद्यान कार्य भी अच्छा हो और हमें उसके लिए व्यय भी न करना पड़े । यदि हमें ये सब सुविधायें चाहियें तो हमें उस पर व्यय भी करना पड़ेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि स्थापना पर व्यय बढ़ गया है । इस का कारण क्या है, क्या कर्मचारी बढ़ा दिये गये हैं या कोई कार्य आरंभ किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जो विवरण मैं ने लोक सभा-पटल पर रखा है उस से पता लगगा कि पूर्व वर्ष १९४७–४८ की तुलना में वर्ष १९४८–४९ में व्यय बहुत बढ़ गया है । यह वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण हुआ है क्योंकि उन सिफारिशों के फलस्वरूप अधिक वेतन दिया गया था । तदुपरांत वृद्धि का क्रम स्थिर ह और वह दिल्ली के विकास के कारण है क्योंकि बस्तियों के विकास के कारण क्षेत्र बढ़ गया है ।

पंजाब के लिये अनुदान

***२३९७. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मन्त्री यह दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना के अधीन पहाड़ी नगरों के सुधार के हेतु १९५४ में पंजाब के दिये गये अनुदान की कुल राशि;

(ख) वे मख्य प्रयोजन जिन के लिए यह अनुदान मंजूर किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) केन्द्रीय सरकार ने १९५४ में पंजाब सरकार को ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया गया है और यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री एस० एन० मिश्र : माननीय सदस्य किस राज्य की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या किसी और राज्य को अनुदान दिया गया है, वे किसी विशेष राज्य के बारे में नहीं पूछ रहे।

श्री एस० एन० मिश्र : अभी इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद कई पर्वतीय स्थानों का वैभव घटता चला जा रहा है ? उनकी उन्नति करने के लिए क्या योजना कमीशन ने कोई योजना बनायी है या बनाने का विचार कर रही है ?

एक माननीय सदस्य : अंग्रजों को बुला रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शाति, शान्ति ।

श्री एस० एन० मिश्र : योजना कमीशन ने इसके बारे में कई राज्य सरकारों से पूछा था कि उनके पास इस तरह की योजनायें हैं या नहीं । जैसा मैंने इस जवाब म बताया, पंजाब सरकार ने बताया है कि उनकी पंच वर्षीय योजना में इसका कोई स्थान नहीं है । लेकिन योजना कमीशन का ध्यान इस तरफ है ।

श्री डी० सी० शर्मा : योजना आयोग ने सारे भारत में पवतीय स्थानों के सुधार के लिये कितनी राशि नियत की है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इसके बारे में प्लानिंग कमीशन ने कोई खास रकम निर्धारित की है या नहीं यह मैं नहीं बतला सकता। लेकिन जो जानकारी मालूम की जाती है वह इसी आशय से की जाती है कि उन लोगों की मदद की जाये ताकि वे ऐसे स्थानों का विकास कर सकें।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता था कि इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई है परन्तु मुझे उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में परिवहन मंत्रालय ने योजना आयोग की मंजूरी से बहुत से पर्वतीय स्थानों में सुधार किया है और उन में पंजाब के ये स्थान भी सम्मिलित हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : जैसा मैंने पहले बताया है, पंजाब में राज्य सरकार ने बताया है कि उन के पास ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु कतिपय क्षेत्रों अर्थात् शिमला, कुल्लू, सोलन आदि में कतिपय केन्द्रीय अनुदानों द्वारा सुधार किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मोनेज़ाईट

***२३७१. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५४ में मोनेजाईट का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : यह जानकारी बताना लोक हित से वांछनीय नहीं है।

सरकारी औद्योगिक उपक्रम

***२३७७. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **उत्पादन** मंत्री २१ सितम्बर १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२०३ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन सब सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में समवाय के ढंग का प्रबंध कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने उपक्रम हैं जिन में अभी तक और प्रकार का प्रबंध है और इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तीन संगठन अर्थात् सरकारी नमक संसाधन राज्य की कोयले की खानें और राष्ट्रीय औजार कारखाना का अभी तक विभाग द्वारा प्रबंध होता है। ये सब सरकार के पुराने उपक्रम हैं जिनका स्वतंत्रता से पूर्व भी सुचारु संगठन हुआ था। इन में से किसी में भी नये संगठन निर्माण या उसके शीघ्र विस्तार की समस्या पैदा नहीं हुई। राज्य की कोयले की खानें और राष्ट्रीय औजार कारखाना वस्तुतः सेवायुक्त विभाग हैं। जहां तक सरकारी नमक उत्पादन का संबंध है उससे कोई लाभ नहीं है जिस से उस में वर्तमान व्यवस्था की बजाय समवाय पद्धति को अधिमान देने की आशा की जाय। सरकार ऐसा नहीं समझती कि परिस्थितियों और किसी मामले की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिये बिना केवल सिद्धांत रूप से एक-रूपता लाने के लिए किसी उपक्रम में वैभागिक प्रबंध की बजाय समवाय के ढंग का प्रबंध करना आश्यक या ठीक है। यदि कुछ विशेष कारणों से उदाहरणतः यदि प्रबंध की अधिक परिवर्तनशील प्रणाली के अधीन शीघ्र और अधिक विस्तार करना पड़ा और यह समझा गया कि प्रबंध का समवाय ढंग का परिवर्तन लाभदायक होगा तो इस विषय की पुनः जांच की जायेगी और गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

गंगा नगर जिला में हरिजनों का पुनर्वास

***२३७८. श्री भीखा भाई** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में गंगानगर जिला में २,००० दावे न करने

वाले विस्थापित हरिजन परिवारों को अभी तक पुनः नहीं बसाया गया, और अभी तक उन्हें कोई भूमि वितरित नहीं की गई; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) राजस्थान में अब तक जितने विस्थापित हरिजन परिवार बसाये गये हैं उनकी संख्या ८३४० है । सरकार को उन दावे न करने वाले विस्थापित हरिजनों की संख्या का पता नहीं है जो अभी तक गंगानगर में नहीं बसाये गये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उर्वरक संयन्त्र

*२३७९. **डा० सत्यवादी** : क्या **उत्पादन** मंत्री १२ मार्च १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नंगल क्षेत्र में अमोनियम नाइट्रेरट के उत्पादन के लिए कारखाने की स्थापना के लिए परियोजना की अनुमित लागत क्या है और संयत्र से कुल अनुमित उत्पादन कितना होगा; और

(ख) इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) यह निश्चय किया गया है कि लगभग २००,००० टन अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन करने की क्षमता वाला एक कारखाना खोला जाये । उर्वरक उत्पादन समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के जांच करने के पश्चात् ही कारखाने के टेक्निकल और अन्य व्योरों का निश्चय किया जायेगा और इस समय परियोजना की कुल लागत का विश्वसनीय अनुमान लगना संभव नहीं है ।

(ख) कारखाना स्थापित करने के निश्चय के प्रवतन के लिए कतिपय प्रारम्भिक कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है । ज्यों ही उर्वरक उत्पादन समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की जांच की जाये और उस के पश्चात् टेक्निकल और अन्य व्योरे कोई निश्चत किये जायें परियोजना का कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

विस्थापित लोगों के लिए ऋण

*२३८५. श्री **दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों के विभिन्न संगठनों की ओर से ये मांगें आई हैं कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास के विषय में ऋणों का पश्चिमी बंगाल का क्रम जारी किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) तथा (ख) . जानकारी एकत्र की जा जा रही है और यथा समय सभापटल पर रखी जायेगी ।

दामोदर घाटी में वनविकास

*२३९१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० आर० गोरे द्वारा अपर दामोदर घाटी में वनविकास के लिये दी गई योजना किस प्रकार की है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): अपर दामोदर घाटी में मिट्टी संरक्षण और वन लगाने के सम्बंध में डा० आर० गोरे के प्रतिवेदन की दो प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योगों का सर्वेक्षण

*२३९४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के पास कोई निदेश भेजा गया है कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों का पूरा सर्वेक्षण करें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में राज्य सरकारों से किस प्रकार के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

***२३९५. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९५५ के तीसरे सप्ताह में उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के तुएनसांग डिवीजन में आसाम राइफल्स के जवानों में और आदिम जातियों के व्यक्तियों में मुठभेड़ हुई : और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस की जांच कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) :(क) तथा (ख) . मुठभेड़ ऐसी तो कोई हुई नहीं परन्तु अघुनेतो के पास एक एन० सी० ओ० और तीन आसाम रायफल मेन पर, जो कि सभी उस समय निश्शस्त्र थे, छिप कर हमला किया गया । तीन राइफलमेन उसवक्त से गायब हैं और गहरी जख्म के बनिस्बत भी एन० सी० ओ० बच निकला । घटना की जांच पड़ताल की जा रही है ।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४

***२३९८. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० के अधीन सरकार ने नियम बना लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० के अधीन प्रारूपनियम बना लिए गये हैं। इन्हें उक्त अधिनियम की धारा ३१ के अधीन निर्मित मंत्रणा बोर्ड के पास परामर्श के लिए भेजा गया था । बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और मंत्रालय के विचाराधीन हैं ।

(ख) जी हां । कालान्तर में जैसा कि अधिनियम की धारा ४० (३) में उपबंधित है ।

चलचित्रों का प्रमाणीकरण

८८६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के दौरान में फिल्म विवेचन (सेंसर) बोर्ड ने कितने विदेशी चलचित्रों को प्रमाणित किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): सन् १९५४ में केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वार प्रमाणित विदेशी फिल्मों की संख्या १७१४ थी ।

त्रिपुरा में कुटीर उद्योग

८८७. श्री दशरथ देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में त्रिपुरा के आदिम जाति के कितने लोगों ने कुटीर उद्योग के विकास के लिए सहायता या ऋण की प्रार्थना की ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): भारत सरकार कुटीर उद्योगों के विकास के लिए व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र नहीं स्वीकार करती । इस कार्य के लिए १९५४–५५ में त्रिपुरा सरकार या त्रिपुरा राज्य की सहकारी समितियों को कोई ऋण या अनुदान नहीं दिये गये । भाग ग राज्यों में अनुसूचित आदिम

जातियों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को कभी कभी विशेष सहायता अनुदान दिया जाता है। १९५४–५५ वर्ष में त्रिपुरा राज्य को भी ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

त्रिपुरा में कुटीर उद्योग

८८८. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं आदिमजाति के लोगों अथवा आदिम जाति के लोगों द्वारा निर्मित सहकारी समितियों को सरकार से कुटीर उद्योग के विकास के लिये १९५४–५५ में कोई ऋण अथवा आर्थिक सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). कुटीर उद्योगों के विकास के लिये सरकार अलग अलग व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं करती है। इस काम के लिये १९५४–५५ में त्रिपुरा राज्य की सहकारी समितियों अथवा त्रिपुरा सरकार को कोई अनुदान अथवा ऋण नहीं दिया गया। कभी कभी केन्द्र भाग 'ग' राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये उन राज्य सरकारों को विशेष सहायता अनुदान देता है। १९५४–५५ में ऐसा कोई अनुदान भी त्रिपुरा सरकार को नहीं दिया गया था।

खादी

८८९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) पश्चिमी बंगाल को उन प्रमाणित संस्थाओं के क्या नाम हैं, जो खादी का काम करती हैं;

(ख) १९५३ और १९५४ में उन संस्थाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ग) इस काम के लिये संस्थाओं का चुनाव किस प्रकार होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या २१]**

रेशे की प्रयोगशालायें

८९०. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रेशे लपेटने का काम करने वाले समवायों के पास कोई प्रयोगशालायें तथा गवेषणा संस्थायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है और वे कहां कहां स्थित हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान्। सरकार इससे अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण

८९१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण में शिक्षा के विकास के लिये किस प्रकार की योजना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां): उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण में शिक्षा के विकास के लिये जो योजना है, वह उसी प्रकार की है, जिस प्रकार की योजना देश के अन्य भागों में चल रही है। फिर भी, उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण को जो दशायें हैं, उन की ओर विशेष ध्यान देना है। स्थानीय प्रशिक्षित

अध्यापकों की कमी सब से बड़ी रुकावट है। उस योजना की मुख्य बातें ये हैं :

(१) आदिमजाति के अध्यापकों का प्रशिक्षण।

(२) बेसिक शिक्षा का चालू करना।

(३) निम्न कक्षाओं में आदिम जाति की भाषा का प्रयोग करना तथा उच्च कक्षाओं में हिन्दी और देवनागरी लिपि के लिये प्रोत्साहन देना।

इस समय वहां १५० प्रारम्भिक स्कूल, १२ मिडिल स्कूल तथा ४ हाई स्कूल हैं। अगले पांच सालों में इनकी संख्या दुगुनी कर दी जायेगी।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये मंत्रणा बोर्ड

८९२. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के प्रवर्तन के सम्बन्ध में हाल ही में निर्मित मंत्रणा बोर्ड की एक बैठक फरवरी १९५५ में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वहां क्या क्या विनिश्चय हुये ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां, फरवरी, १९५५ में मंत्रणा बोर्ड की सात बैठकें हुईं।

(ख) मंत्रणा बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के अधीन बनाये जाने वाले प्रारूप नियमों में कुछ परिवर्तन किये जायें और सरकार उन पर विचार कर रही है।

रेडियो अनुज्ञप्ति शुल्क

८९३. { श्री डी० सी० शर्मा :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो अनुज्ञप्ति शुल्क को घटाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ऐसा किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). रेडियो अनुज्ञप्ति फीस घटाने का प्रश्न विचाराधीन है।

चलचित्रों का प्रमाणीकरण

८९४. सरदार हुक्म सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में चलचित्र विवाचक केन्द्रीय बोर्ड ने छोटे और नमूने के चलचित्रों को सम्मिलित करते हुये कितने चलचित्र प्रमाणित किये;

(ख) जिन चलचित्रों की परीक्षा की गई, उनकी लम्बाई कुल कितने फुट है; और

(ग) एक चलचित्र को प्रमाणित करने के लिये बोर्ड कितना औसत समय लेता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) २,४०५ चलचित्र।

(ख) (१) ३५ मिलीमीटर आकार की ६२,२०,८६९ फीट

(२) १६ मिलीमीटर आकार की ४,६७,९०८ फीट

(३) ८ मिलीमीटर आकार की ६४१ फीट।

(ग) सब चलचित्रों के लिये औसत समय का सही अनुमान देना कठिन है। चलचित्रों की जांच प्रार्थनापत्र की तिथि के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में की जाती है। यदि

प्रार्थनापत्र सब प्रकार से ठीक है, तो प्रार्थनापत्र की तिथि के अनुसार प्राथमिकता का ध्यान रखते हुये एक चलचित्र की जांच पर एक से तीन सप्ताह तक का औसत समय लग जाता है। यह औसत समय उन मामलों में बढ़ सकता है जहां चलचित्र निर्माता अग्रेतर अभ्यावेदन करते हैं अथवा पुनरीक्षण या अपील के द्वारा आगे कार्यवाही चलती है।

समाचार चित्र सामान्यतः प्रार्थनापत्र के भेजने के दो दिन के भीतर ही प्रमाणित कर दिये जाते हैं और आवश्यक मामले में उसी दिन ही चित्र प्रमाणित कर दिया जाता है, जिस दिन प्रार्थनापत्र भेजा जाता है।

विदेशों में बन्दी बनाये गये भारतीय

८९५. श्री इब्राहीम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विदेशों में भारत के कितने राष्ट्रीय बन्दी तथा निरुद्धावस्था में हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

मारीशस में भारतीय

८९६. श्री इब्राहीम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारीशस में इस समय लगभग कितने भारतीय रह रहे हैं;

(ख) भारतीयों की यहया उस द्वीप की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है; और

(ग) कितने भारतीय मारीशस विधान मंडल के सदस्य हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) ३,६३,४०५।

(ख) ६७ प्रतिशत।

(ग) १४।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

८९७. श्री भक्त दर्शन : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ४ मार्च, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृप करेंगे कि स्वतन्त्रता के पहले दिल्ली में किन किन स्थानों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर थे और तब से उनके लिये कहां कहां नये क्वार्टर बनाये गये ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या २२**]

प्रचार सम्बन्धी गवेषणा

८९८. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ में प्रचार के मामलों पर किस प्रकार की आधारभूत गवेषणायें हुई हैं;

(ख) इस काम में कितने व्यक्ति लगे हैं; और

(ग) उससे क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). सामान्यतः गवेषणा तथा निर्देश विभाग आधारभूत गवेषणा नहीं करता। इस विभाग के कर्मचारी इस मंत्रालय के प्रचार विभागों के प्रयोग के लिये पथ-प्रदर्शन करने तथा मूल सामग्री देने तथा निर्देश सामग्री तैयार करने के काम में लगाये जाते हैं।

गंगानगर ज़िले के विस्थापित हरिजन परिवार

८९९. श्री भीखा भाई : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के गंगामगर ज़िल के दो हज़ार से भी

ऊपर विस्थापित हरिजन परिवार अभी तक पंजीबद्ध नहीं हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला (उत्पादन लागत)

९००. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नियंत्रण में प्रति टन कोयले के उत्पादन की लागत प्रत्येक खान पर भिन्न है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक खान पर उत्पादन की लागत भिन्न होने के मुख्य कारण ये हैं :

(१) खनन की दशाओं में भिन्नता, अर्थात् कोयले की कितनी गहरी तह तक खुदाई का काम किया जा रहा है तथा शैफ्टों, लीड तथा लिफ्ट इत्यादि की खनन कार्य के स्थान से कितनी दूरी है,

(२) खुदाई का काम जमीन के अन्दर किया जा रहा है अथवा गड्ढा खोदकर और खान विकास अवस्था में है या खत्म होने की दशा में,

(३) कोयला मशीन द्वारा उठाया जाता है, या हाथों द्वारा और मशीन से कितना काम होता है,

(४) खान कितनी पुरानी है—पुरानी खान के मुकाबले में नई खान से कोयले के उत्पादन की लागत कम होगी,

(५) अनिश्चित परिस्थितियों जैसे हड़ताल इत्यादि के कारण काम का रुक जाना,

(६) माल के डिब्बे कम मिलना, और

(७) अतिरिक्त श्रमिकों का होना ।

थैले तथा टोकरियां

९०१. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताड़ की पत्तियों के बने थैले तथा टोकरियों को अमरीका भेजा जाता है, और

(ख) यदि हां, तो १९५४-५५ में कितने मूल्य की ऐसी चीजें भेजी गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). निर्यात व्यापार सांख्यकी में ताड़ की पत्तियों के बने थैले तथा टोकरियां विशिष्ट मद के रूप में नहीं दिखाये गये हैं । अतः, माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपबन्ध नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

९०३. **श्री रनदमन सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विन्ध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये जो योजनायें बनाई जा रही हैं उनका स्वरूप क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित विवरण सभा की मेज़ पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या २३]**

उड़ीसा को अनुदान

९०४. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ८,५८५ रुपये के उस अनुदान का लाभ उठाया है, जो कि लौहारगीरी व टीन का काम करने

व धातु जोड़ने की दूकान की स्थापना के लिये स्वीकृत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दूकान पर वार्षिक कितना तैयार होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने बताया है कि वह इस अनुदान का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में करेगी ।

उड़ीसा को अनुदान

९०५. श्री संगण्णा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनने और रंगने के लिये छः प्रदर्शन दलों के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार का जो अनुदान स्वीकृत किया गया था क्या वह इस काल में पूरी तरह से दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य ने इस उद्योग की दिशा में कितनी प्रगति की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार को ४ जनवरी, १९५५ को अनुदान स्वीकृत किया गया था । अतः अभी परिणामों का अनुदान लगाना कठिन है ।

पुर्तगाली भाषा में प्रसारण

९०६. श्री भागवत झा आज़ाद : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी पर पुर्तगाली भाषा में प्रसारण चालू करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब चालू किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). १६ अप्रैल, १९५५ से पुर्तगाली भाषा में प्रसारण प्रारम्भ कर दिया गया ।

भारतीय आप्रवासी श्रमिक

९०७. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में बर्मा, मलाया, तथा जावा में विभिन्न उद्योगों द्वारा कुल कितने भारतीय आप्रवासी श्रमिक काम में लगाये गये; और

(ख) उनकी सेवा की सामान्य शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). कोई नहीं ।

थोबल सामुदायिक परियोजना

९०८. श्री रिशांग किशिंग : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में थोबल सामुदायिक परियोजना के सम्बन्ध में कितना काम हुआ;

(ख) उक्त वर्ष में सरकार ने और स्थानीय लोगों ने धन तथा श्रमिकों के रूप में जितना जितना अंशदान दिया, उसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना पर चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या २४]**

(ख)

(१) सरकारी खर्चा २·३९ लाख रुपये	अप्रैल से दिसम्बर, १९५४ तक।
(२) लोगों को अंशदान १·०७ लाख रुपये	

(ग) ५·९ लाख रुपये ।

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

1st Lok Sabha (Session IX)

Preservation Unit
18·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

स्तम्भ

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग— ३१०१—५४
  मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय ३१०१—५४
  मांग संख्या ६३—प्रसारण ३१०१—५४
  मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ३१०१—५४
  मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय ३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
  पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
  परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत ३१५३—६९
    श्री भागवत झा आजाद ३१५३—५५
    श्री रघुवीर सहाय ३१५५—५७
    श्री मूल चन्द दुबे ३१५७
    श्री राघवाचारी ३१५८—५९
    श्री अच्युतन ३१५९—६०
    श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा ३१६०—६१
    श्री वी० जी० देशपांडे ३१६१—६३
    श्री दातार ३१६३—६९
    श्री यू० सी० पटनायक ३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—
  विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत ३१७०—३२०४
    सेठ गोविन्द दास ३१७०—७४,३२०१—०२
    पंडित ठाकुर दास भार्गव ३१७५—९५
    श्री एन० सी० चटर्जी ३१९५—९७
    श्री जवाहरलाल नेहरू ३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
  बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण ३२०५
  केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना ३२०५
  विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२०५—३२०६
  सभा का कार्य ३२०६

स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— ३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . ३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . . ३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . ३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . . ३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . . ३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . . ३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन ३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . . ३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . . ३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय ३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . . ३७५

संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रैल १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि ३३०३
सभा का कार्य— . . . . . ३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . ३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . . ३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . . ३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन ३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . ३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . . ३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय ३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय . ३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) . . . . ३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें . ३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . . ३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय ३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . . . . ३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
    छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—
    केन्द्रीय रेशम-बोर्ड . . . . . ३४०५—३४०७
सभा का कार्य— . . . . . . ३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . ३४०८—३५१८
    मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . ३४०८—३४२८
    मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) . ३४०८—३४२८
    मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . . ३४०८—३४२८
    मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . . ३४०८—३४२८
    मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय ३४०८—३४२८
    मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ३४०८—३४२८
    मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५२—दिल्ली . . . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५३—पुलिस . . . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५४—जनगणना. . . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५७—कच्छ . . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५८—मनीपुर . . . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . . ३४२९—३५१८
    मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ३४२९—३५१८
    मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . ३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—
    अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर ३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—
    बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन ३५२२

स्तम्भ

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . . ३५२३—३६२२

मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . . . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . . . . . ३५२३—३५९९

मांग संख्या ५२—दिल्ली . . . . . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ५३—पुलिस . . . . . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ५४—जनगणना . . . . . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते ३५२३—३५९८

मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ५७—कच्छ . . . . . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ५८—मनीपुर . . . . . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . . . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . . . ३५२३—३५९८

मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ३५२३—३५९८

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . ३५९९—३६२२

मांग संख्या २—उद्योग . . . . . ३५९९—३६२२

मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . ३५९९—३६२२

मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . . . ३५९९—३६२२

मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय ३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ३६२४—३६४१

श्री डाभी . . . . . . ३६२४—३६२५

श्री तुलसीदास . . . . . ३६२५—३६२७

श्री के० सी० सोधिया . . . . . ३६२७—३६२९

श्री बंसल . . . . . . ३६२९—३६३१

श्रीमती जयश्री . . . . . ३६३१—३६३२

श्री टेक चन्द . . . . . ३६३२—३६३३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . ३६३३—३६३४

श्री ए० सी० गुहा . . . . . ३६३४—३६४१

खंड २ से १४ . . . . . . ३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

स्तम्भ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३७२५

पटल पर रखे गये पत्र—

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ . ३७२५—३७२६

समिति के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ३७२६

गणपूर्ति के बारे में प्रथा . . . . ३७२६—३७२७

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ३७२७—३८०५

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . ३७२८—३७४२

श्री ए० के० गोपालन . . . . ३७४३—३७४७

श्री फ्रैंक ऐंथनी . . . ३७४७—३७५०

श्री टी० के० चौधरी . . . . ३७५०—३७५२

श्री एन० पी० नथवानी . . . . ३७५२—३७५४

डा० कृष्णस्वामी . . . ३७५४—३७५६

श्री एम० पी० मिश्र . . . . ३७५६—३७६२

श्री एन० सी० चटर्जी . . . . ३७६३—३७६९

श्री एस० एल० सक्सेना . . . ३७६९—३७७१

श्री जयपाल सिंह . . . . ३७७१—३७७४

श्री बी० पी० सिंह . . . . ३७७४—३६८१

श्री एस० वी० रामस्वामी . . . ३७८१—३७८४

स्वामी रामानन्द तीर्थ . . . . ३७८४—३७८९

श्री जी० डी० सोमानी . . . ३७८९—३७९२

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . ३७९२—३७९६

श्री आर० डी० मिश्र . . . . ३७९६—३८०४

श्री वेंकटरामन् . . . . ३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी . ३८०७

वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . . ३८०८

प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित . ३८०८

औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ३८०८—३८०९

स्तम्भ

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . . . ३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त . . . . ३८१७—३८२२
खड १ से ५ . . . . ३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी . . . . . ३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे . . . . ३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . . ३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . ३८७९—३८८८

संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—
गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . . ३८८९—३८९२
पटल पर रखे गये पत्र—
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट ३८९२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना . ३८९२—३८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . ३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग . . . . . . ३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . . ३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . . ३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय ३८९५—३९६४

संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . . ३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . ३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . . ३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय . ३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . . ३९८७—४०२४

स्तम्भ

मांग संख्या २६—सीमा शुल्क . . . . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क . . . . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर . ३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम . . . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प . . . . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल . . . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . ३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान ३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन . ३९८७—४०२४

जाति भेद उन्मूलन विधेयक—

विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौपने के प्रस्ताव—

असमाप्त . . . . ४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . . . ४०२४—४०२७
श्री डाभी . . . . ४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . . . ४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले . . . ४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . . . ४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार . . ४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त . . . . ४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त. . . ४०३९
श्री जांगड़े . . . . . ४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . . . ४०४३

स्तम्भ

श्री राम दास . . . ४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल . . . . ४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि . . . . ४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन . . . . ४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह . . . . ४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर . . . . ४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . . . ४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . ४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . . ४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल . ४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . . ४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी . . ४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी . ४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . . ४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया . ४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित . ४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— ४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . ४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क . ४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क . . . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर . ४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प . . . . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा . . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३

खंड १४ . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . . ४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . . ४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . ४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी . . . . . ४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र . . . . ४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा . . . . . ४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम् . . . . ४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख . . . . . ४१९५—४१९७
पारित ४१९८
वित्त विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख . . . . . ४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . . ४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव . . . . . ४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु . . . . . ४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक . . . . ४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . . . ४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त . . . . . ४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे . . . . . ४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . . ४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुकणे . . ४२४४—४२४६
श्री बंसल . . . . ४२४६—४२४९
श्री नेवटिया . . . . ४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी . . . . . ४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . ४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित ४२६७
वित्त विधेयक—
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . . ४२६७

स्तम्भ

श्री रामचन्द्र रेड्डी . . . . . ४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा . . . . ४२७१—४२७५
श्री बासप्पा . . . . ४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास . . . . ४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी . . . ४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह . . . ४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी . . . ४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग . . ४२९७—४३००
श्री जजवाड़े . . . . . . ४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा . . . . ४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह . . . ४३११—४३१६
श्री मात्तन . . . . . . ४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन . . . . . ४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी . . . . ४३२०—४३२३
श्री बोगावत . . . . . . ४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले . . . . . ४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे . . . . . ४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त . . . . . ४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी . . . . . ४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम् . . . . . ४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण . . . . . ४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा . . . . . ४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा ४३४४

संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . ४३४५—४३४६
सभा का कार्य— ४३४६—४३५०
समय-नियतन का आदेश . . . . . . ४३५०—४३५१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ४३५१
वित्त विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४३५१—४३८०
श्री डी० सी० शर्मा . . . . . ४३५१—४३५४
श्री टंडन . . . . . . ४३५४—४३६२
श्री एम० सी० शाह . . . . . ४३६२—४३८०
खंड २ से ३० . . . . ४३८०—४५८६

संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल,१९५५

श्री डी० डी० पन्त का निधन . . . . . . ४५८७—४५९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोतर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.४२ म० पू०

वित्त विधेयक

याचिका का उपस्थापन

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): मैं वित्त विधेयक, १९५५ के बारे में पांच याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षर की गई एक याचिका उपस्थित करता हूं।

वित्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त विधेयक १९५५ पर और आगे चर्चा आरम्भ होगी।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : जिस तत्परता से वित्त मंत्री वित्त विधेयक की कर प्रस्थापनाओं को घटाने के लिये तैयार हो गये हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

वित्त विधेयक में उन्होंने १७.७ करोड़ रुपये करों द्वारा प्राप्त आय के रूप में चाहे थे। कल उन्होंने अपने भाषण में उसे पचास प्रतिशत घटा कर ८.८ करोड़ कर दिया। यदि स्थिति का शुद्ध अध्ययन किया गया होता तो आरम्भ में वह इतनी निराशा जनक नहीं दिखती। मालूम ऐसा पड़ता है कि सरकार मांगती तो एक रुपया है परन्तु वास्तव में वह चाहती केवल चार आने ही है। बाद में एक रुपये की मांग घटा कर आठ आने कर दी जाती है तथा हमसे संतोष करने के लिये कह दिया जाता है। इस नीति से ठीक आय-व्ययक नहीं बनाया जा सकता। वर्ष प्रति वर्ष ऐसी ही बात होती आ रही है। यह बात रेलवे मंत्रालय में भी इस साल हुई थी। यदि स्थिति का उचित अध्ययन कर ठीक प्रकार से वस्तुओं पर कर लगाने की प्रस्थापनायें बनाई जायें तो देश में तथा संसद् में इनके कारण चिन्ता न हो।

कर निर्धारण के पहले सरकार को देश की प्रशासनिक रचना की ओर ध्यान देना चाहिये और उसमें मितव्ययता करनी चाहिये। उन्हें लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को देखना चाहिये तथा व्यय घटाने के लिये आवश्यक प्रयत्न करने चाहिये। नवीनतम लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रालयों के अपव्यय के सम्बन्ध में तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में कई बातें दी गई हैं जिन पर वित्त मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये।

लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन का भी सरकार को लाभ उठाना चाहिये तथा व्यय पर नियंत्रण रखना चाहये।

वित्त मंत्री ने एक नया खंड ३० भी रखा है। उससे उन लोगों की राशि वापस नहीं दी जायेगी जिनसे वह वसूल कर ली गई है। यह बुरी बात होगी यदि उन व्यक्तियों को इस कमी का लाभ नहीं मिलेगा जो कर दे चुके हैं तथा वे लोग ही इससे लाभ उठायेंगे

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

जिन्होंने कर को टाला है । इस विषय में विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है । सभा द्वारा इसे स्वीकार करने पर आग्रह न किया जाये ।

कर की दरों की जो अन्तिम घोषणा की गई है वह संतोषजनक नहीं है । एक ओर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं और दूसरी ओर क्रय तथा उपभोग पर निबन्धन लगाये जा रहे हैं । इससे उत्पादन के क्षेत्र में बेकारी बढ़ेगी सामूहिक तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं में अत्यधिक अपव्यय हो रहा है, इसे दूर करना चाहिये । योजना आयोग को अलग इकाई बने रहने देने में कोई लाभ नहीं है । उसे सरकार के विभागों में मिला देना चाहिये । ऐसा करने से कुछ बचत हो जायगी । आशा है कि इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये ।

इस वर्ष चर्चा के दौरान में कर जांच आयोग के प्रतिवेदन की शरण ली गई है । मेरे विचार में तब तक उसका उल्लेख करना ठीक न था जब तक कि सरकार उसके तात्पर्यों को समझ न लेती तथा सभा को उस पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया जाता, क्योंकि यह बताना कठिन है कि सरकार ने आयोग के सुझावों को कहां तक माना है ।

१९४४–४५ तक नमक पर शुल्क लगता था । तब से न वह फिर से लगाया गया है न उसे छोड़ा ही गया है। हर साल यह कहा जाता है कि उस पर विचार स्थगित किया जाये । यदि राजनैतिक भावनाओं का त्याग कर फिर से आरम्भ कर दिया जाता तो घाटा पूरा हो जाता अथवा इस वर्ष दूसरे कर न बढ़ाने पड़ते । आर्थिक स्थिति को देखते हुये, राजनीतिक भावनाओं कीपरवाह किये बिना इस कर को फिर से आरम्भ कर देना चाहिये । आजकल नमक में मंदी आ गई है । बहुत सा नमक इकट्ठा हो गया है फिर भी बिना अनुज्ञप्ति के नमक बनाने दिया जाता है । यह नमक घटिया किस्म का होता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित स्तर का नहीं होता । बिना अनुज्ञप्ति के नमक बनाने देने का तात्पर्य यह हुआ कि सरकार घटिया किस्म के नमक को प्रोत्साहन दे रही है । इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है । यदि आप चाहते हैं कि अच्छी किस्म का नमक बने तो बिना अनुज्ञप्ति के नमक बनाने को बंद कर देना चाहिये तथा अच्छा नमक बनाने वालों को प्रोत्साहन देना चाहिये । निर्यात के लिये अच्छा नमक बनाने वालों को भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये ।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा—विदेशों के साथ हमारे जो सौदे हुये हैं तथा उन्हें जो ऋण चुकाना है उसके सम्बन्ध में बड़ी असंतोष जनक रीति से कार्य हुआ है । भारत का बर्मा पर करोड़ों रुपयों का ऋण था । वह ऋण बर्मा के खराब चावलों के रूप में भारत को चुकाया जा रहा है । और स्थिति यह है कि हमारे यहां ही चावलों का अत्यधिक उत्पादन हुआ है । यह ऋण और अधिक अवधि के लिये जारी रखा जा सकता था तथा किस्तों में चुकाया जा सकता था । इसके कारण करोड़ों रुपयों का घाटा होगा । चावल के रूप में ऋण चुकाने के सम्बन्ध में बर्मा से जो समझौता हुआ है वह असंतोषजनक है।

वर्तमान आय-व्ययक में पाकिस्तान को दिये गये ऋण को वापस लेने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है । मैं चाहता हूं कि इसके लिय प्रयत्न किये जाने चाहियें कि वह ऋण एक साथ पूरा नहीं तो कम-से-कम वार्षिक किस्तों में हमें वापस दिया जाये ।

मैं फिर से सरकार को बताना चाहता हूं कि कृषि-उत्पाद को निर्यात करने की नीति पर

पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इन वस्तुओं का मूल्य गिर रहा है। मूल्य गिरने से संभवतया उनका उत्पादन भी कम हो जायेगा। मूल्य न गिरने देने के लिये यह आवश्यक है कि उनका निर्यात किया जाये। अभाग्यवश खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में समन्वय की कमी दिखती है। इन दोनों मंत्रालयों को मिला कर ऐसी नीति अपनानी चाहिये जो देश और ग्रामों के उत्पादकों के हित में हो। शहरी क्षेत्रों की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सरकार को चाहिये कि ग्रामों की उपेक्षा न करे तथा मूल्य के प्रश्न पर शीघ्रता तथा सावधानी से विचार कर ग्रामों में बेकारी न बढ़ने दे।

श्री विमला प्रसाद चालिहा (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सामान्य बातें ही कहूंगा।

हम पर्याप्त प्रगति कर रहे हैं। विश्व को हमने बता दिया है कि हम शांति के प्रेमी हैं। देश में हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम देश में समाजवादी ढंग का ढांचा स्थापित करना चाहते हैं। अन्न, वस्त्र के उत्पादन तथा कृषि और उद्योग में भी हम प्रगति कर रहे हैं। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरंभ करने वाले हैं। किन्तु इतने पर ही हमें संतोष नहीं करना है क्योंकि हमारा लक्ष्य तो अभी बहुत दूर है। आज भी हमारे देश में भिखारी भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं, यह बड़े दुःख की बात है। बेकारी की समस्या भी ज्यों की त्यों बनी है। हमारी योजना की सफलता तो इस बात पर निर्भर है कि ये सामाजिक तथा आर्थिक बुराइयां किस हद तक दूर होती हैं। अभी बहुत सी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है जिसके लिये सरकार तथा जनता को बहुत से प्रयत्न करने आवश्यक होंगे। आसाम के एक जिले से बंगाली विरोधी उपद्रवों की सूचना मिली है, वास्तव में इस प्रकार की ये घटनायें बड़े दुर्भाग्य की बात है और कोई भी देश हितैषी इन घटनाओं को पसन्द नहीं करेगा। भारत की अखंडता बनाने के लिये हमें प्रान्तीयता तथा जाति भावना से छुटकारा पाना होगा और इस भावना से बचने के लिये रास्ता ढूंढना होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

एक दूसरे की भावनाओं के प्रति पारस्परिक सम्मान इस सम्बन्ध में बहुत सहायता करेगा। धुबरी की घटना के सम्बन्ध में मुझे इस बात का आश्चर्य है कि बंगाल जिसने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष आसाम सरकार तथा वहां की जनता पर गम्भीर दोषारोपण करते हुये एक ज्ञापन दिया था और उसका प्रचार किया था जनता को भड़काने की जिम्मेदारी से बच सकता है। वे समाचार पत्र भी जिन्होंने आसाम विरोधी प्रचार किया है इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि शांति रहे इसलिये इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल आशा करता हूं कि उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करने में सभी सहयोग देंगे। और आशा है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना भारत में कहीं नहीं होगी।

भारत में व्यक्तियों के मिल जुल कर रहने के लिये यह आवश्यक है कि एक योजना बनाई जाय और उसके लिये मैं समझता हूं कि अन्तर्जातीय तथा अन्तर्प्रान्तीय विवाह किये जायं। अतः मेरा सुझाव यह है कि राज्यों को चाहिये कि वे अन्तर्प्रान्तीय तथा अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनायें कांग्रेस के अवाडी संकल्पों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही करने के लिये भी हमें सोचना चाहिये।

समाज का समाजवादी ढांचा बनाने के लिये अधिक आय और कम आय वाले वर्गों के अन्तर को हमें कम करना है। जहां तक

[श्री विमला प्रसाद चालिहा]

नौकरियों की बात है चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी मैं तो यह कहूंगा कि इसके लिये भविष्य में एक वेतन आयोग की स्थापना की जाय जो इस मामले की जांच करे और अपनी सिफारिश भेजे । जहां तक कि जनमत की बात है मेरा विचार है कि वेतन के अन्तर को कम करने के सम्बन्ध में जो सिफारिश की जायेंगी उनको क्रियान्वित करने में जनमत कम से कम विरोध करेगा ।

जहां तक कि गैर सरकारी क्षेत्र की बात है, धन और आय को बराबर करने वाली करारोपण नीति के अनुकरण के अतिरिक्त, मैं तो यह सुझाव दूंगा कि एक राष्ट्रीय-न्यास की स्थापना की जाये और जिनके पास अधिक धन तथा आय है उनसे कहा जाय कि वे इस न्यास को अंशदान दें । मैं समझता हूं कि ऐसा करना जनमत को भी अपने पक्ष में करेगा और सरकार की समस्या को भी आसान बनायेगा । आशा है कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

जनता में संतोष की भावना ही देश की सब से बड़ी धरोहर है । आज देश के बहुत से भागों में महत्वपूर्ण सफलता के अभाव में निराशा छाई हुई है । सरकार से निवेदन है कि समूचे देश के हित की दृष्टि से वह उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दे ।

देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अविकसित रहने का दायित्व वहां के अनुपयुक्त आवागमन के साधनों पर है । ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर तेजपुर से लेकर लखीमपुर तक कोई भी रेल-लाइन नहीं है । रेलों की कमी के कारण गारो पहाड़ियों के खनिज संसाधन अछूते पड़े हैं । मनीपुर तथा त्रिपुरा राज्य में बिल्कुल भी रेलें नहीं है । जब तक कि आसाम रेल सम्पर्क में काफी सुधार नहीं हो जाता, इसकी क्षमता कई गुनी नहीं हो जाती, और इस क्षेत्र में रेलों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र अविकसित ही रहेगा । परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण ही आसाम तेल कम्पनी पूरी क्षमता में काम नहीं कर पा रही है । अभी वहां एक ऐसे क्षेत्र का पता चला है जहां बहुत सा तेल मिल सकता है किन्तु परिवहन के उपयुक्त साधनों की कमी के कारण उसका काम भी शुरू नहीं किया जा सकता । इसलिये माननीय रेल मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि उत्तर पूर्व में रेलों के सुधार और विकास के लिये कुछ कार्य करें ।

मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र का स्वयं दौरा करें और उन क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये सरकार और जनता की सहायता करें । उनके ज्ञान और अनुभव से सरकार तथा उस क्षेत्र के लोगों का बहुत लाभ होगा । आसाम की खतरनाक नदियों पर नियंत्रण करने में भारत सरकार ने जिस तत्परता से काम लिया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है ।

राष्ट्रपति के आदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के निर्धारण में जो असमानता है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस आदेश के अनुसार किसी पर्वतीय स्थान का अनुसूचित आदिवासी मैदान में जाकर बस जाता है तो उसे अनुसूचित आदिम-जाति के विशेषाधिकार नहीं मिलते । यह तो गलत सिद्धान्त है क्योंकि इन लोगों की ओर तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । अतः इस असमानता को दूर किया जाना चाहिये ।

कल की चर्चा में मेरे आदरणीय सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने आसाम में शरणार्थी पुनर्वास के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया था । इस सम्बन्ध में मैं पुनर्वास

मंत्री का कथन उन्हें बताना चाहूंगा। पहले तो कचार (आसाम) की पुनर्वास व्यवस्था भारत सरकार के अधिकार में थी, किन्तु बाद को वह राज्य का विषय हो गया जिससे अनेक कठिनाइयां आ खड़ी हुईं। अतः मैंने आसाम जाकर वहां की राज्य सरकार से यह व्यवस्था अपने हाथों में ले लेने के लिये कहा जिसके परिणामस्वरूप स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

अन्त में मैं वित्त मंत्री को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने मुद्रा स्फीति की स्थिति पर बड़ी दृढ़ता से विजय प्राप्त की। समाजवादी ढांचे की स्थापना करने में उसी दृढ़ता की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे पूर्ण आशा है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूर्ण सफल होंगे।

श्री बासप्पा (तमकुर): मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था हमारे वित्त मंत्री महोदय के हाथ में पूर्णरूपेण सुरक्षित है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू मामलों में महान सफलताएं प्राप्त की हैं। तथापि हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ग्रामीण जनता की स्थिति सुधारने के लिए हमें अभी महान कार्य करने शेष हैं। ग्रामीणों को पर्याप्त खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं होती, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य संतोषजनक नहीं है। अतः आय-व्ययक की रचना करते समय वित्त मंत्री महोदय को ग्रामीण जनता के कल्याण की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

इन वित्तीय प्रस्थापनाओं में कुछ एक रियायतें दी गयी हैं। परन्तु देखना यह है कि ये रियायतें किस को दी गयी हैं। आपने ये सभी रियायतें धनवानों को दी हैं न कि निर्धनों को, जिन्हें कि आज इनकी अत्यधिक आवश्यकता है। वित्त मंत्री महोदय को आय-व्ययक की रचना करते समय कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन और कांग्रेस के आवड़ी सम्मेलन में पारित हुए समाजवादी ढंग के समाज से सम्बन्ध रखने वाले संकल्प को अपने सम्मुख रखना चाहिए। हमारी सभी वित्तीय प्रस्थापनाएं इन्हीं दो बातों पर आधारित होनी चाहिएं।

हमने संवैधानिक (चतुर्थ संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है। जिसके अनुसार प्रतिकर बाजार के दर के अनुसार नहीं दिया जाएगा, और वास्तव में,पूरा प्रतिकर दिया भी नहीं जा सकता। इसी प्रकार से इम्पीरियल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार बीमा कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दे।

करों, आय-करों और उत्पादन शुल्कों को इकट्ठा करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कर इकट्ठा करने वाले व्यक्ति स्वयं दयानतदार हों। इसके अतिरिक्त लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन से चलता है कि खर्चों में और भी कमी हो सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। अतः खर्चों पर पूरा-पूरा नियंत्रण होना चाहिए।

सामुदायिक परियोजनाओं में हम देखते हैं कि स्थापनाओं पर ही इतना अधिक धन खर्च हो जाता है जितना कि वास्तव में परियोजन योजना पर भी नहीं होता। अतः हमें वास्तविक योजना के विकास पर अधिक बल देना चाहिए न कि व्यर्थ की बातों पर।

सामुदायिक परियोजनाओं में काम करने वाले विभिन्न पदाधिकारियों में पारस्परिक समन्वय का अभाव है। बिना समन्वय और सहयोग के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। इसके अतिरिक्त इस कार्य में प्रतिक्षित व्यक्तियों की भी कमी है। अतः इस कार्य के लिए पर्याप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

[श्री बासप्पा]

बेकारी के संबंध में स्थिति अत्यन्त गंभीर है और इसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जो भी कार्यवाही की है वह केवल कागजी कार्यवाही है। आज देश में बेकारी की समस्या एक अत्यन्त भयानक समस्या है। जहां तक कुटीर उद्योग का सम्बन्ध है, यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि इसके विषय में प्रयत्न किए गए हैं और कुछ सीमा तक बेकारी दूर भी की गयी है। तथापि सरकार का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह इस भयानक समस्या को पूर्णरूपेण दूर करने का प्रयत्न करे।

जहां तक कृषि संबंधी भावों के गिर जाने का संबंध है इसके बारे में सरकार ने बहुत कुछ किया है। इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। परन्तु इन गिरते हुए भावों की रक्षा करने के लिए अभी और भी कई कार्यवाहियां करनी होंगी। विदेशों से अन्न नहीं मंगाना चाहिए, तभी भाव गिरने बंद होंगे।

हमारे मैसूर राज्य में सोने की खानें हैं, परन्तु हम उनसे पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उन विदेशी कम्पनियों से जो करार किए हुए हैं उनके अनुसार तो हम कोई लाभ नहीं उठा सकते। अतः उन प्राचीन करारों का संशोधन करने की आवश्यकता है। और इसी कार्य के लिये वित्त मंत्री से मिलने के लिए हमारे मुख्य मंत्री यहां आ रहे हैं।

बंगलौर में एक डेरी गवेषणा संस्था है जो कि वहां पर बहुत समय से चल रही है। समझ में नहीं आता कि किस कारण से सरकार उसे वहां से स्थानान्तरित कर रही है। इससे तो दक्षिण के लोगों के दिलों पर एक धक्का सा लगेगा। मैं यह आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार उस संस्था को वहीं पर रहने देगी ताकि दक्षिण के लोग डेरी के संबंध में गवेषणा करके उससे पूरा लाभ उठा सकें।

मैसूर राज्य को विद्युत संभरित करने के लिए वहां पर कई एक विद्युत परियोजनाएं चलानी पड़ेंगी। उनसे औद्योगिक विकास में भी बड़ी सहायता मिलेगी।

यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि पंचवर्षीय योजना में हमें सफलता प्राप्त हुई है, परन्तु इसके सम्बन्ध में अभी हमें और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों के विकास के लिए पूरे जोर से प्रयत्न करना चाहिए।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल): यह वित्त विधेयक देश की साधारण जनता पर ही अधिक बोझ डालता है। यह कराधान जांच आयोग आज से दो वर्ष पूर्व नियुक्त किया गया था जब कि हमारी सरकार ने समाजवादी ढंग के समाज के विषय में निर्णय नहीं किया था। अतः समझ में नहीं आता कि उस आयोग में प्रतिवेदन को इस समय देश पर क्यों लादा जा रहा है।

सरकार साधारण कागज पर कर लगाना चाहती है, जहां तक समाचार पत्रों के कागज का सम्बन्ध है, उसे इस कर से मुक्त कर दिया गया है। परन्तु प्राथमिक पुस्तकों के कागज को इस कर से मुक्त नहीं किया गया है। इससे वे पुस्तकें महंगी बिकेंगी और इसका शिक्षा की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः प्राथमिक पुस्तकों के कागज को भी कर से मुक्त किया जाये।

जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, हम यह चाहते हैं कि घटिया और मध्यम श्रेणी के कपड़े पर कर नहीं लगाना चाहिए।

ग्रामीण उधार के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए करोड़ों रुपये रखे गए थे, तथापि अभी तक यथार्थ रूप में कुछ भी नहीं किया गया

केवल इस अन्तिम वर्ष में थोड़ा सा कार्य किया जा रहा है। कृषि संबंधी श्रमजीवियों के परिवारों के १८० लाख व्यक्ति तथा अनेक निर्धन कृषक बेचारे अमानवीय दशा में अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना में अभी तक जो भी सफलता प्राप्त हुई है उसका निर्धन व्यक्तियों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

गत तीन चार वर्षों से यद्यपि शुष्क क्षेत्रों को हर प्रकार की सहायता देने का प्रयत्न किया गया है तथापि यह सहायता पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे क्षेत्रों के ग्रामीण व्यक्तियों में बेकारी को दूर करने का अत्यधिक प्रयत्न करे।

बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने अपने एक भाषण में कहा था कि बेकारों की संख्या दिसम्बर, १९५३ में ५,२२,००० थी और नवम्बर, १९५४ में ५,८१,००० हो गयी। यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को हल करना चाहती है तो उसे इसके सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करने चाहिएं और इस काम में वह पंचायतों, संघ, बोर्डों और अन्य प्रकार के अभिकरणों की सहायता प्राप्त कर सकती है। और इस प्रकार से आंकड़े एकत्रित करके सरकार इस बेकारी की समस्या को हल कर सकती है।

शिक्षा के प्रश्न के सम्बन्ध में एक सम्मेलन में शिक्षा सचिव ने कहा है कि भारत में अनिवार्य शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। यह एक गंभीर मामला है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद ४५ के उपबंधों के विरुद्ध है। हम तो बड़ी देर से इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक प्राथमिक शिक्षा आयोग भी नियुक्त किया जाए जो कि प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की अवस्था और उनके वेतन आदि के सम्बन्ध में खोज करे। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बन गया है और माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बन गया है, परन्तु बड़े दुःख की बात है कि प्राथमिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय, जो केन्द्रीय प्रशासन में है, के चपड़ासियों को गत दो मास से वेतन नहीं मिला है और इस मास क्लर्कों को भी नहीं मिला। न तो उप-कुलपति और न ही मंत्रालय उनके लिये कुछ करने को तैयार हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कालिज की आवश्यकता दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की याद में वहां जो एक कालिज था वह भी मान्यता न मिलने के कारण बन्द हो चुका है।

कान्साबाटी-शिलाबाटी योजना को द्वितीय-पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लेना चाहिये क्योंकि इससे इन जिलों के लोगों को बड़ा लाभ होगा। उत्पादन बढ़ जायेगा और कुछ ग्रामीण उद्योग भी चलाये जा सकेंगे। वहां जो उद्योग हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं हैं। सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये और विशेषकर हथकरघा उद्योग के लिये सस्ते दाम पर कच्चे पदार्थों और धागे की व्यवस्था करनी चाहिये।

आसाम में कुछ झगड़े चल रहे हैं। आसाम, बंगाल में और यहां की कांग्रेस सरकारें काम कर रही हैं तो क्या कारण है कि यह झगड़े बन्द नहीं होते? सरकार को इन्हें रोकने का प्रयत्न करना चाहिये।

कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य और केन्द्र देश के आर्थिक विकास पर ३ आने ४ पाई और समाज सेवा पर ३ आने प्रति रुपया खर्च कर रहे हैं और विकास के अतिरिक्त व्यय एक रुपये में ९ आने ६ पाई है, देश के विकास के लिये इस पर्याप्त धन का नियोजन नहीं कर रहे हैं। यदि हम देश के विकास

[श्री एन० बी० चौधरी]

की गति को तीव्र करना चाहते हैं तो हमें अपनी योजना इस प्रकार की बनानी चाहिए कि अधिक मात्रा में विनियोजन किया जा सके । सुना है कि समाजवादी व्यवस्था की जानी है, तो क्या कारण है कि आय से होने वाले लाभ की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई, लाखों लोग कमी वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, लाखों कृषि और हजारों कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये निवासस्थान की व्यवस्था नहीं की जाती । मध्यम वर्ग के कई लोग बेकार फिर रहे हैं । सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं देती ।

यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो प्रथमतः पीड़ित लोगों की ओर ध्यान देना चाहिये । ऐसा करने के लिये उन्हें अपना व्यवहार बदलना होगा और योजना में कुछ समायोजन करना होगा ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : देश में जो स्थिरता दिखाई देती है वह अधिकतम वित्त मंत्री की नीति के कारण ही है । गत दो वर्ष में कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । मैं अनुभव करता हूं कि दिन-प्रति-दिन सरकारी उद्योग क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि औद्योगिक उत्पादन गैर-सरकारी उद्योगों के प्रयत्न से ही बढ़ा है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को कुछ रियायतें दी गई हैं । छोटे पैमाने के उद्योगों को उत्पादन शुल्क के कारण बड़ी कठिनाई होती थी । मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि वित्त मंत्री ने वह कठिनाई दूर कर दी है । आर्थिक नीति पर भाषण देते समय वित्त मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने कहा था कि सरकार योजना की समस्या को क्रियात्मक रूप से हल कर रही है ।

अब तक सरकार ने समस्त संसाधन और ध्यान खाद्य समस्या को हल करने और युद्ध तथा विभाजन से खराब हो चुकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगाया हुआ था । अब इन सब को देश की सामाजिक विकास योजनाओं में लगाया जा सकेगा । चाहे सरकारने यह स्वप्न स्पष्ट कर दिया है कि उसकी नीति गैर-सरकारी उद्योगों को उत्साहित करने की है जोकि देश के उद्योगीकरण में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे पर मेरा कहना है कि सभा के सामने जो वित्तीय प्रस्ताव हैं उनके कारण गैर-सरकारी उद्योगों का वित्त बढ़ाने का सामर्थ्य कम हो जायेगा और उसका उद्योग के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा ।

प्रधान मंत्री ने कई बार घोषणा की है कि गैर-सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा परन्तु वित्त विधेयक के कुछ उपबन्ध इस घोषणा के प्रतिकूल हैं । वित्त विधेयक और आय-कर जांच आयोग का यह उद्देश्य प्रतीत होता है कि कुछ लोगों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सारे समुदाय को दंड दिया जाये । विधान बनाने वालों की योग्यता इस बात में होती है कि वे इस प्रकार विधान बनायें जिससे निरपराध लोगों पर प्रभाव डाले बिना बुराई का अन्त हो जाये । जब तक हम इस पहलू की ओर ध्यान नहीं देते तब तक हमारी कठिनाइयां बढ़ती जायेंगी ।

मैं देखता हूं कि गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रति कुछ द्वेष की भावना रही है और हम कई बार अनुभव करते हैं कि इन्हें बड़ी कठिनाइयां सहन करनी पड़ी हैं । इस प्रकार की भावना नहीं रहनी चाहिये और जो अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहन देना चाहिये । इन वित्तीय प्रस्तावों के अनुसार हम ने कर की अधिकतम दर को ८२ से बढ़ाकर ८८ प्रतिशत कर दिया है । मैं जानता हूं कि यह बहुत अधिक है । यह इसलिये किया गया है कि आर्थिक सत्ता कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में ही न रहे परन्तु इससे असमानता का अन्त न होगा ।

कुछ लोग यह दलील देते हैं कि अत्यधिक कर लगाने से गैर-सरकारी उद्योगों की बचत सरकारी उद्योगों में लग सकेगी परन्तु वे भूल जाते हैं कि अत्यधिक कर उत्पादन को निरुत्साहित करता है ।

विधेयक का यह प्रयोजन है कि ऐसे समवायों द्वारा, जो बैंकिंग नहीं करते, अपने निदेशकों और हिस्सेदारों को दिये गये ऋण लाभांश समझे जायेंगे । यह विधेयक भूतलक्षी रूपसे लागू किया जायेगा । यदि अब तक ऋण देना विधि के अनुसार स्वीकार्य था तो यह विधान कई वर्ष पहले से लागू नहीं किया जाना चाहिये ।

इस विधेयक में बहुत से सुझाव आय-कर अधिनियम के संशोधन मात्र हैं । लाभांश और वेतन की परिभाषाओं और आय कर अधिनियम की धारा ७ और २३ क को फिर से ढाला गया है । फिर भी हम यह विधेयक प्रवर समिति को नहीं भेज सकते, क्योंकि इसे यहीं पारित करने का निश्चय किया जा चुका है ।

हमारे देश में बहुत कम गैर-सरकारी समवाय हैं परन्तु इंगलैंड में इनकी संख्या बहुत अधिक है । पर वहां किसी विधि के अन्तर्गत ऋण को लाभांश नहीं माना जा सकता । जिस प्रकार यह विधेयक लागू किया जा रहा है इससे बड़ी कठिनाई होगी । यह किसी व्यक्ति द्वारा कई वर्ष पहले किये गये किसी काम को अपराध घोषित करके उसके लिये दंड देने के समान है ।

मैंने कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ा है और वे भी इस तक नहीं गये हैं कि इस विधेयक को भूतलक्षी रूपसे लागू किया जाये । १९५१ में आय-कर जांच आयोग की सिफारिश पर एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था । जो बाद में वापस ले लिया गया था । बाद में भी जो विधियां बनाई गई थीं उनमें विधेयक को भूतलक्षी रूप से लागू करने का सुझाव नहीं दिया गया था । में अनुभव करता हूं कि ऐसा करके नागरिकों से विश्वासघात किया जा रहा है और विधि शासन की खिल्ली उड़ाई जा रही है ।

अब मैं दो विशेष उद्योगों की नीति के बारे में कुछ कहूंगा । आय-व्ययक के समय मैंने अपने भाषण में विशेष रूप से औद्योगिक मूल्यों और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के बारे में कहा था परन्तु दोनों बातों में से किसी एक पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया है ।

रूई के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने और कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने से रूई के मूल्य में काफी कमी हो गई है । मेरी शिकायत यह है कि कृषि मूल्य गिरते जा रहे हैं परन्तु निर्मित वस्तुओं के मूल्य तदनुसार कम नहीं हुए हैं । इससे कपास के काश्तकारों को बड़ी हानि पहुंच रही है ।

चीनी उद्योग की दशा इसके प्रतिकूल है काश्तकारों को गन्ने का अधिकतम मूल्य दिया जाता है । चीनी का मूल्य भी अन्तर्राष्ट्रीय चीनी के मूल्य से अधिक रखा गया है । इसका परिणाम यह होगा कि अगले वर्ष गन्ने की काश्त इतनी अधिक होगी कि कारखाने उसकी खपत न कर सकेंगे ।

कपड़े का उत्पादन शुल्क आधा कर दिया गया है और कपास का भी । इससे पता चलता है कि काश्तकार को उतना लाभ नहीं होगा उसे कपास का कम मूल्य मिलेगा और कपड़े का अधिक मूल्य देना पड़ेगा ।

चीनी का उत्पादन घटता बढ़ता रहता है । कभी उत्पादन बढ़ जाता है और मूल्य गिरने शुरू हो जाते हैं और कभी इतना कम हो जाता है कि ५० करोड़ रुपये की चीनी आयात करनी पड़ती है । यह सब इस कारण होता है कि चीनी के बारे में सरकार की नीति ऐसी है जिससे इसके उत्पादन, खपत और दूसरे पहलुओं को स्थिर करने का प्रयत्न नहीं किया गया है ।

[श्री तुलसी दास]

कुछ समय हुआ मैंने आयात नियन्त्रण जांच समिति की सिफारिशों के बारे में एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारे नौवहन उद्योग के लिये असम्भव है कि वह हमारे विदेशी व्यापार का ५० प्रतिशत कार्य करे । अब जब कि नौ परिवहन और रेलवे परिवहन में समन्वय करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है, क्या देश के आन्तरिक भागों में माल ले जाने के लिये विशेष रेल भाड़े की व्यवस्था करके नौवहन को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता, जैसे कि जर्मनी में किया गया था । क्या यह प्रश्न भी उस समिति को सौंपा जा सकता है ?

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : वित्त मंत्री ने विधेयक में इतने रूपभेद कर दिये हैं कि मैं पहचान भी नहीं सकता कि यह वही पुराना विधेयक है । जब पहले पहल उत्पादन शुल्क लगाये गये तब हमारा विचार था वे इस आधार पर नहीं लगाये जाने चाहियें कि क्या उद्योग विद्युत शक्ति द्वारा चल रहे हैं या नहीं बल्कि वार्षिक उत्पादित वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाने चाहियें, यदि सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों का हित चाहती थी तो उत्पादन की मात्रा और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को आधार बनाना चाहिये था ।

एक परिवर्तन ऐसा किया गया है जिसे मैं नहीं समझ सका और वह यह है कि शुल्कों को यथामूल्य की बजाय निश्चित क्यों कर दिया गया है । वित्त मंत्री ने कारण यह बताया था कि उनके विभाग को प्रशासनीय कठिनाइयां पेश आती हैं । हम जानना चाहते हैं कि ये कठिनाइयां कौन सी हैं ?

निश्चित शुल्कों का सस्ता माल बनाने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । विभाग द्वारा इस बात की जांच की जानी चाहिए कि यह प्रभाव उन पर किस हद तक पड़ेगा ।

धारा २३ के बारे एक में मैं दो बातें कहना चाहूंगा । इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग अधिकर से न बच सकें । यह उद्देश्य ठीक है । किन्तु सरकार को पूंजी निर्माण का पहलू भी ध्यान में रखना है । नवीनतम संशोधनों को देखते हुए, यह मालूम होता है कि वित्त मंत्री ने इसे ध्यान में रखा है और इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

परिलब्धियों पर करारोपण के बारे में मेरे माननीय मित्र ने जो नवीनतम रियायतें दी हैं, वे इस प्रकार की हैं, जिनसे कि प्रतीत होता है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को लगभग एक ही स्तर पर रखा जायेगा उनका यह कहना ठीक है कि अनुज्ञेय व्यय पर अधिक कड़ा अधीक्षण होना चाहिए । ये अधीक्षण समाज के उन सब वर्गों पर होना चाहिए जो कि परिलब्धियों का उपभोग करते हैं । वित्त मंत्री ने जिस आधार पर ये रियायतें दी हैं वह ठीक हैं । अब वह इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि युक्तियुक्त परिलब्धियों को उन परिलब्धियों से अलग किया जाये, जिन्हें पहले बढ़ती हुई आय बताने के रूपमें प्रयोग किया जाता था । इसके लिए यह आवश्यक है कि भविष्य में अनुज्ञेय व्यय की जांच अधिक सावधानी से की जाये ।

एक प्रश्न जिसे मैं अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता हूं वह वैयक्तिक आयों पर करारोपण का प्रश्न है । इस मामले में सरकार का रुख असाधारण है । एक ओर तो वह कहती है कि आयों की समता के लिए अधिक से अधिक कर लगाना चाहिए किन्तु दूसरी ओर वह कहती है कि व्यक्तियों को विनियोग के लिए प्रेरणा देनी चाहिए । मैं यह कहूंगा कि आयों में समता

लाने के विषय में, हमें विनियोग स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वैयक्तिक आयों पर कर बढ़ाने से सरकारी क्षेत्र का विस्तार होगा। मैं भी इसके पक्ष में हूं किन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र का योजना में अपना स्थान है और सरकारी क्षेत्र इसका स्थान नहीं ले सकता। हमारी वर्तमान नीति यह है कि हम गैर-सरकारी क्षेत्र को दबा रहेहैं और लोगों की बचत को उपयोगी औद्योगिक उपक्रमों में लगाये जाने से रोक रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र को इतना बढ़ा रहे हैं कि इसका चलना भी कठिन हो जायेगा और विकास की गति कम हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री और उनके अन्य सहयोगी इस मामले पर विचार करेंगे कि आयों की समता बढ़ाने के लिए उन पर अधिक कर लगाने से वे क्या उद्धेश्य प्राप्त करना चाहते हैं और यह कहां तक लाभदायक होगा।

अब मैं इस प्रश्न को लेता हूं कि उपभोग पर रोक लगाना कहां तक उचित है। मैं करारोपण जांच आयोग की इस सिफारिश से सहमत नहीं हूं कि अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए उपभोग पर बहुत प्रतिबन्ध होने चाहिएं। भारत जैसे अविकसित देश में यह सामान्य सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता। यह अनिवार्य नहीं है कि यदि उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाये जायें तो संसाधन विनियोग के लिए ही प्रयोग किये जायें। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल को ऐसे उपायों पर विचार करना चाहिए जिनसे कि अगले तीन या चार वर्षों में उपभोग बढ़ जायें।

मैं अनुभव करता हूं कि योजनाएं बनाने के मामले में संसद की उपेक्षा की जाती है और इसके सदस्यों की राय जानने का प्रयत्न नहीं किया जता।

देश में मंत्रियों और सरकारी पदाधिकारियों के अतिरिक्त और भी लोग हैं जो योजना बनाने के काम में योग दे सकते हैं। हमें भी कुछ अंशदान देना है और मैं आशा करता हूं कि हमें भी अगली योजना के बारे में और प्रादेशिक औद्योगिक विकास के बारे में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश की जो सबसे बड़ी आवश्यकता हो सकती है वह जहाजरानी के सम्बन्ध में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसकी उपेक्षा की है। अगर हम विश्व के जहाजों को देखें तो हर साल ४० लाख टन के जहाज विश्व के यार्ड्स में निर्मित होते हैं। लेकिन हमारे भारत की अवस्था क्या है? हमारा जो फाइव इअर प्लैन है उसमें हमारा टार्गेट ६ लाख टन का है। अर्थात् पांच वर्ष में ६ लाख टन के जहाज हम बनाने जा रहे हैं जब कि विश्व में ४० लाख टन के जहाज हर साल तैयार हो रहे हैं। यह जो हमारा ६ लाख टन के जहाजों के टार्गेट है उसमें ३ लाख १५ हजार टन तो कोस्टल ट्रेड के वास्ते है और २ लाख ८५ हजार टन सी-गोइंग जहाजों के लिये है। इस समय हमारे पास कुल २०० जहाज हैं। अगर इन २०० जहाजों में जो हमारा पांच साल का टार्गेट है उसको जोड़ दें तो पांच वर्ष के बाद हमारे पास कुल १० लाख टन के जहाज होंगे, अर्थात् दुनियां में इस वक्त एक साल में जो जहाज बनाते हैं, पांच वर्ष बाद हमारे जहाजों की संख्या उनकी चौथाई होगी। इस प्रकार से हम आगे जा रहे हैं। उन २०० जहाजों में से हमारे पास १२८ जहाज जो चल रहे हैं बाकी जहाज बिल्कुल बेकार हैं या उनका रिप्लेसमेंट हो रहा है। इस प्रकार इस वक्त हमारे पास ४,७३,००० टंस के कुल जहाज मौजूद हैं जिन पर कि हम अपनी ट्रेड को आधारित कर सकते हैं। आप देखिये कि १०० करोड़ रुपये का हर साल जहाजों का फ्रेट होता है। जिसमें इंडियन शिप्पिंग का शेयर २० करोड़ रुपये है। ८० करोड़ रुपये हम दूसरे

[श्री रघुनाथ सिंह]

देशों को देते हैं । यह जो ८० करोड़ रुपये हर साल दूसरे देशों को देते हैं अगर इन रुपयों से ही हम जर्मनीसे या स्वीडन से या नार्वे से जहाज खरीद लें तो ८० करोड़ रुपया भारतवर्ष की लक्ष्मी के रूप में जो बाहर जा रहा है उसकी रक्षा हो सकती है । लेकिन हमारा ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तुर्की देश है । बहुत छोटा मुल्क है । वह २० महीनों में ७१ हजार टन का जहाज बना रहा है जब कि हमारे देश में जो हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी है वह पांच बरस में सिर्फ ८ जहाज तैयार करेगी । अमरीका को ही ले लीजिये । १९५४ में, जो साल बीता है, वहां २० जहाज तैयार हुए ६,२८,००० टन के । जापान की मिसाल लीजिये । जापान ने हमसे ही सक्रैप लिया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा । एक वर्ष के अन्दर यानी १९५४ में १,५५,००० टंस के जहाज तैयार किये । जापान में ५७ शिपयार्ड हैं जिनमें से छः वर्किंग आर्डर में हैं और उन्हींमें यह जहाज तैयार कियें गय हैं । आप जर्मनी को ले लीजिये । लड़ाई के कारण जर्मनी के शिपयार्ड लगभग समाप्त हो गए थे किन्तु फिर भी १९५४ में जर्मनी ने ९ लाख टन के जहाज उत्पादित किए । यह उत्पादन हमारी पंचवर्षीय योजना और जो लक्ष्य उसमें निर्धारित किया गया है उससे दुगना है । मैं आपको इन देशों का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि ये देश लड़ाई के कारण बिल्कुल तबाह हो गए थे फिर भी कितनी तरक्की इन्होंने जहाजों के मामले में कर ली है । इसी प्रकार से दुनिया के और दूसरे देशों में जहां पर लोहा और कोयला नहीं होता वहां पर काफी जहाज उत्पादित हुये हैं । १९५४ में नार्वे में, ३,७९,००० टन के जहाज उत्पादित हुये इटली ने १,६७,००० टन के जहाज उत्पादित किये और जापान ने ४,६३,००० टन के जहाज बनाये । स्वीडन को लीजिये । यह एक बहुत छोटा सा मुल्क है, पहाड़ी मुल्क है लेकिन उनसे भी १९५४ में यानी पर साल २,४४,००० टन जहाज उत्पादित किये । जर्मनी ने १९५४ में ३,५२,००० टन के जहाज बनाये । इजराईल का नाम तो आपने सुना ही होगा । एक नई स्टेट पैदा हुई है । ३० प्रतिशत ट्रेड शिप्पिंग की ट्रेड उसके ही जहाजों द्वारा होती है । अमरीका की ५० प्रतिशत ट्रेड अमरीकी जहाजों से होती है । लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हमारी परसेंटेज क्या है । हमारी परसेंटज है ६ प्रतिशत हमारा जो व्यापार होता है सी-गोइंग और कोस्टल ट्रेड उसकी दुनिया के ट्रेड से उसकी तुलना करें तो उसका वह ६ प्रतिशत बैठता है । हम चाहे दुनियां में शान्ति बनाये रखने के लिए कितने ही प्रयत्न करने जायें और कितना ही सम्मान हम पायें लेकिन अगर हम इस जहाजरानी को देखें तो हम पायेंगे कि हम इजराइल से भी पीछे हैं, जर्मनी से भी पीछे हैं जापान से भी पीछे हैं और सब देशों से भी पीछे हैं । ये देश जो कि लड़ाई में तबाह हो गए थे ये भी आज हम से आगे हैं ।

अब मैं आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमने यहां पर तीन आयल रिफायनरीज खोली हैं । इन रिफायनरीज में ३०,५०,००० टन क्रूड आयल इम्पोर्ट होगा । १०,२०,००० टन रिफाइंड आयल जहाजों के द्वारा हिन्दुस्तान से बाहर भेजा जायेगा । अगर इन दोनों फिगर्स को जोड़ा जाए तो हम देखेंगे कि हमें ४०,७०,००० टन आयल जहाजों के द्वारा एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना होगा । इसके लिए आपके पास कितने टैंकर हैं ? एक भी टैंकर आपके पास नहीं है । जो ४० लाख टन आयल फारेन शिप्पिंग कम्पनियां हिन्दुस्तान से बाहर ले जायें या हिन्दुस्तान के अन्दर ले आयेंगी उसकी कीमत के तौर पर ये भारत की लक्ष्मी हिन्दुस्तान से बाहर जायेगी । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तीन

कम्पनियां तो कायम कर दी लेकिन ४० लाख टन आयल जो कि हिन्दुस्तान में आयेगा या हिन्दुस्तान से बाहर जायेगा उसे ले जाने का या यहां लाने का आपने क्या बन्दोबस्त किया है । मैं समझता हूं इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है । हां आपने दो टैंकर हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी को बनाने के लिए कहा है । अगर आप दुनिया के सब देशों के फिगर्स को देखें तो आप पायेंगे कि दुनियां में २,८९०,००० टन के जहाज सिर्फ टैंकर हैं और २६७ शिप टैंकर्स गत वर्ष दुनिया ने तैयार किए । इसके विपरीत हिन्दुस्तान शिपयार्ड को सिर्फ दो टैंकर्स के आर्डर दिए गए जब कि ४० लाख टन आयल हिन्दुस्तान में लाया जाना है या हिन्दुस्तान से बाहर ले जाना है । वर्ल्ड में ५५ परसेंट जो शिप्पिंग होती है वह सिर्फ आयल टैंकर्स से होती है । इसके मुकाबिले में आपकी परसेंटेज क्या है ? मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि हमारा प्रतिशत क्या है ? हमारा प्रतिशत नहीं के बराबर है ।

दूसरी तरफ अमरीका को ले लीजिये । जब अमरीका तेल का व्यापार करता है तो उसने एक नियम बनाया हुआ है कि कुल जितना आयल अमरीका में आएगा विदेशों से, ईराक से, ईरान से या अरेबिया से उसका ५० प्रतिशत अमरीकी जहाजों से आवेगा ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने इन कम्पनियों से ऐग्रीमेंट किया था तो क्या आपने उस एग्रीमट में एक यह शर्त रखी थी कि जो टैंकर हिन्दुस्तान में बनेंगे उन्हीं टैंकर्स से आप तेल लायेंगे या ले जायेंगे ? कल जब आप दो टैंकर या चार टैंकर या छः टैंकर बना लेंगे और इन टैंकर्स के जरिये इन कम्पनियों ने तेल लाना अस्त्रीकार कर दिया तो आपके टैंकर बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल यूसलैस हो जाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वह बिल्कुल व्यर्थ हो जायेगी । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया में कोयले से शिप्स को चलाने की ट्रैंड नहीं रही । कोयले के शिप्स चलने बन्द हो गए हैं । १९१४ में ९७ परसेंट शिप कोल के चलते थे, १९३९ में ४५ परसेंट, १९५३ में १३ परसेंट और आज ११ परसेंट ही शिप कोल से चलते हैं । दुनिया के जितने शिप हैं उनमें से सिर्फ ११ परसेंट शिप ऐसे हैं जो कि कोल से चलते हैं और बाकी सारे आयल से चलते हैं । क्या आपके पास हिन्दुस्तान में कोई बंकर स्थापित करने की योजना है ? मेरे विचार में तो कोई नहीं है । इसका फल यह हो रहा है कि पहले जब कि फारेन शिप्स आपसे कोल लेते थे आज उन फारेन शिप्स के लिए आप के यहां से तेल देने का कोई प्रबन्ध नहीं है । इसका नतीजा यह हो रहा है कि आपको 'सफर' करना पड़ रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान के लिये जल्दी-से-जल्दी टैंकर फ्लीट कायम किया जाए । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी है यह कम्पनी असफल हो चुकी है । इसने भारतवर्ष की समस्याओं को हल नहीं किया है । इस कम्पनी को आज से तीन बरस पहले इंडियन शिप्पिंग कम्पनियों के, ८ जहाज बनाने का आर्डर दिया था । यह आर्डर कोई साढ़े तीन करोड़ रुपये का था । यह साढ़े तीन करोड़ रुपया लौक-अप हो गया है । इसे तीन बरस हो गए हैं, जब कि यह कांट्रेक्ट दिया गया था । यह जहाज १९५५ के अन्त तक शायद बनाये जायेंगे । डिलिवरी का समय दो दफा बढ़ाया गया है । अब आपने एक बरस का टाइम और लिया । आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों है । इसका कारण यह है कि हम फारन एक्सपर्ट्स के पीछे बहुत आशिक हैं । परेशान हैं । हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी में हमने फ्रेंच टैकनीशियन को स्थान दिया है । उसकी अवस्था यह हुई है कि जबसे वहां से हैड आफ डिपार्टमेंट आन शुरू हुए हैं तबसे वे तीन बार बदल चुके हैं ।

[श्री रघुनाथ सिंह]

एक आदमी आया । उसने कहा कि इसमें फलां फलां चीज होनी चाहिए, यह इन्तजाम होना चाहिए । यह इम्प्रूवमेंट होना चाहिए । वह इम्प्रूवमेंट करके चला गया । फिर वह हिन्दुस्तान नहीं लौटा । दूसरा आदमी आया । उसने कहा कि यह इम्प्रूवमेंट होना चाहिए । वह उस इम्प्रूवमेंट को करके चला गया । अब तीसरे सज्जन आये हैं । इस तरह से आपने हिन्दुस्तान शिपिंग कम्पनीज का साढ़े तीन करोड़ रुपया हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी में लाक-अप किया है । आपने शिड्यूल्ड टाइम पर जहाज नहीं दिया । सब से बड़ी फॉली तो, श्रीमान, यह है कि जो जहाज हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी द्वारा बनाये जाते हैं उनको आप यू० के० की पैरिटी पर देते हैं । लेकिन क्या आपको मालूम है कि यू० के० में जो जहाज बनते हैं उनकी कीमत उन जहाजों से जो कि जर्मनी में, जापान में, अमरीका में, नार्वे में या स्वीडन में बनते हैं उनसे सवाई ज्यादा है, या करीब २० परसेंट ज्यादा है । ऐसी हालत में जो जहाज खरीदना चाहता है वह क्यों आपसे खरीदेगा । वह जरमनी से खरीदेगा । जापान से खरीदेगा । नार्वे से खरीदेगा । स्वीडन से खरीदेगा । अमरीका से खरीदेगा । ये मुल्क सस्ते जहाज बनाते हैं । लेकिन हमको हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी से जहाज खरीदने के लिए कम्पेल किया जाता है । जब हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती और हमको दूसरे देशों से सस्ते या उसी कीमत पर जहाज नहीं दे सकती, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह कम्पनी चल नहीं सकती । चाहे देशभक्ति की दृष्टि से यह अच्छी हो लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह कम्पनी असफल होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता सचमुच यह है कि आपका जो २ हजार मील का कोस्ट है इसकी सारी कोस्टल ट्रेड सिर्फ हिन्दुस्तानी जहाजों के हाथ में होनी चाहिए । किसी विदेशी जहाज के हाथ में नहीं होनी चाहिए । आप अमरीका, इंगलैंड, जापान आदि किसी देश का उदाहरण लें, आप सब जगह यही देखेंगे कि उनके अपने जहाज कोस्टल ट्रेड कर रहे हैं । मैं आपसे पूछता हूं कि आप दुनिया का कोई देश बताइये कि जिसकी ट्रेड दूसरे देश के जहाजों के हाथ में हो । लेकिन हमने हिन्दुस्तान में इस ट्रेड को विदेशियों के हाथों में दिया हुआ है और इस प्रकार हिन्दुस्तान का ८० करोड़ रुपया प्रति वर्ष बाहर चला जाता है । इस रुपये से आप कम से कम १६० जहाज बना सकते हैं । इस समय हिन्दुस्तान में अपने जहाजों की तादाद १२८ है । यही जहाज वर्किंग आर्डर में हैं । लेकिन अगर आप इस ८० करोड़ रुपये को बचा कर इस काम में लगा सकें तो मैं समझता हूं कि इससे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा लाभ होगा और हमारी जो लक्ष्मी बाहर चली गयी है उसको हम सुहागिन के रूप में फिर अपने देश में ला सकेंगे ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : सब से पहले मैं बीच के आय-वर्गों के सम्बन्ध में आय-कर विधि के प्रशासन की ओर निर्देश करना चाहूंगा । इस अधिनियम को ऐसे तरीके से प्रशासित करना चाहिए कि करदाताओं को अनावश्यक रूपसे परेशानी न हो । मैंने देखा है कि कुछ मामलों में आय-कर निर्धारण बहुत स्वछन्द रूपसे किया जा रहा है । मैं इसके दो उदाहरण देता हूं । हमारे जिले चित्तूर में मूंगफली की फसल पर जो कर निर्धारण किया जाता है, वह निश्चित औसत उत्पादन के आधार पर किया जाता है, यद्यपि यह उत्पादन हर स्थान पर भिन्न भिन्न होता है । इससे छोटे-छोटे करदाताओं को बहुत हानि पहुंचती है । इसी तरह मोटर चालकों के मामले में, प्रत्येक गाड़ी के लिए कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये,

आपकी एक विशिष्ट राशि निश्चित कर दी जाती है । यद्यपि यह आय-कर उस चालक के मार्ग और समय पर निर्भर है । अतः कई चालकों पर इतना बोझ पड़ता है कि उन्हें अपना काम बन्द करना पड़ता है ।

एक और बात यह है कि आय-कर पदाधिकारी भुगतान के लिए कुछ समय देने के बारे में विवेक का प्रयोग कर सकते हैं किन्तु वास्तव में इस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं किया जाता । माननीय मंत्री इस बात की ओर ध्यान दें ।

मोटर गाड़ियों पर करारोपण के बारे में, यह बात सब मानते हैं कि अत्यधिक कर लगाने से परिवहन उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । मैं चाहता हूं कि वाणिज्यिक परिवहन गाड़ियों पर कर की कुछ छूट दी जाये ।

अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय कर में भी शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता है ।

अब मैं सरकार का ध्यान कुछ कृषि वस्तुओं के निर्यात के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । हम देखते हैं कि मूंगफली, लाल मिर्च, गुड़ और प्याज के निर्यात के बारे में नीति बहुत अस्पष्ट है । सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि कृषक इन वस्तुओं के लिए विश्व मूल्यों का पूरा लाभ उठा सकें । तीन मास पूर्व इस सदन में मूंगफली के तेल के निर्यात के बारे में वाद-विवाद हुआ था । माननीय मंत्री ने उस समय कहा था कि मूल्य स्तर के कारण तेल को निर्यात करने की कोई आवश्यकता नहीं । अब दो ही महीनों में यह नीति बिल्कुल बदल गई है और अब वह २ लाख टन तेल के निर्यात की अनुमति देने के लिए तैयार हैं । किन्तु मूल्य स्तर अब भी उतना नहीं बढ़ा जितना कि वह आशा करते थे और अब वह और तेल निर्यात करने का विचार कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि यह प्रथा शुरू की जाये कि जहां तक वित्त विधेयक पर सामान्य चर्चा का सम्बन्ध है, पहले दो दिन सब मंत्रालयोंके प्रतिनिध उपस्थित होने चाहियें । यह आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री सामान्य चर्चा के समय भी उपस्थित नहीं हैं । मैं उनसे आशा करता हूं कि वे एक घंटे तक यहां आ जावें और देखें कि सभा में क्या हो रहा है ।

श्री थानु पिल्ले (तिरूनेलबेली) : न केवल सभी मंत्रिषों को यहां उपस्थित रहना चाहिए, अपितु सभी सदस्षों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह चीज पक्षों के सचिवों और सचेतकों पर छोड़ता हूं ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं उस राशि का उल्लेख करना चाहता हूं जो अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के हेतु आंध्र राज्य को दी गई थी । इसे प्रयोजन के लिए गत वर्ष ५०० लाख रुपया दिया गया था । आशय यह था कि इस राशि को कुछ छोटी बड़ी सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया जाए । किन्तु बड़े दुख की बात है कि इस राशि में से लगभग ३६० लाख रुपया एक विशेष खंड की एक विशेष योजना पर ही लगा दिया गया और अन्य क्षेत्रों की कुछ भी सहायता न हो सकी । माननीय वित्त मंत्री ने जब कुडाप्पा जिले का दौरा किया था तो इस बात पर दुख प्रकट किया था । किन्तु योजना आयोग द्वारा इस आवंटन को कैसे स्वीकार कर लिया गया यह समझ में नहीं आता । मैं इस तथ्य का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि भविष्य में इस प्रकार की अव्यवस्था न हो सके ।

ग्रामों में संचार व्यवस्था के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । योजना में ग्रामों के लिए बिजली के सम्भरण के हेतु तो पृथक आवंटन किया गया है, किन्तु संचार साधनों के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है ।

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार साधनों के अभाव के कारण उन लोगों का सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य विकास रुका हुआ है। अतः इस प्रयोजन के लिए विशेष अनुदान होने चाहियें।

रायलासीमा में अकाल के बारे में सभी सदस्य जानते हैं। ऐसा दुर्भिक्ष गत शताब्दी में पहले कभी देखने में नहीं आया था। उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी थीं। उस समय कोडूर और राजमपेट के तालुकों में फलों के सब बाग उजड़ गए थे।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

आंध्र सरकार की वित्तीय अवस्था ऐसी नहीं कि वह इन बागों को पुनर्जीवित करने के लिए धन खर्च कर सके। अतः मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वे कम से कम ५० लाख रुपये की राशि आंध्र राज्य को इस प्रयोजन के लिए दें।

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं मनीपुर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस सभा ने मनीपुर के प्रशासन तथा विकास के हेतु ९३ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। गत वर्षों में भी ऐसी ही राशियां स्वीकृत की गई हैं। किन्तु वहां के लोग बहुत असंतुष्ट हैं और उनकी दशा दिन प्रति दिन गिरती ही जा रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले इन लोगों की अवस्था इससे बहुत अच्छी थी।

मनीपुर में १९४९ में प्रजातन्त्रात्मक शासन की स्थापना हुई थी किन्तु उसके विलय के साथ ही उसकी विधान सभा को भी भंग कर दिया गया। तब से वहां अंग्रेजों के समय के आई. सी. एस. पदाधिकारी और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। इन अधिकारियों का काम पैसा इकट्ठा करने और अपना भविष्य उज्जवल बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वहां के प्रशासन में बेहद भ्रष्टाचार चल रहा है। जब अन्य सभी राज्यों में विधान सभाएं काम कर रही हैं तो कोई कारण नहीं कि मनीपुर को इस प्रकार वंचित क्यों रखा जाए। आज उनमें भी राष्ट्रीयता की भावनाएं जागृत हो चुकी है। उनको भी अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है।

वहां के प्रशासन के मुख्य पदाधिकारी श्री भार्गव, मुख्यायुक्त, हैं। उन्होंने कभी पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों से सम्पर्क पैदा करने का प्रयत्न ही नहीं किया। वह अपने कार्यालय में बैठे हुए ही राज्य के शासन को चला रहे हैं।

एक अन्य पदाधिकारी श्री ए० सी० कपूर हैं। वह मनीपुर के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं। उनके विरुद्ध गबन का आरोप लगाया गया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को किसी पदाधिकारी का नाम ले कर ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहियें क्योंकि वह पदाधिकारी अपनी सफाई पेश करने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री रिशांग किशिंग : चिकित्सा विभाग के मंत्रणाकार ने स्वयं आरोप लगाये थे परन्तु सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। सुना है कि इस पदाधिकारी ने लगभग एक लाख रुपया बैंकों और बीमा समवायों में जमा करवा रखा है।

मनीपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता आदिम जातियों के कल्याण के लिये एक आश्रम चला रहा था और वह आश्रम की महिलाओं के साथ दुराचार करता था। बार बार सूचना देने पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने एक पत्र प्रधान मंत्री को लिखा था संभवतः

उस पर उसे आश्रम से हटा दिया गया । वह व्यक्ति अत्यधिक मद्यपान करता था । वह मुख्य आयुक्त का व्यक्ति था और एक वर्ष में उस स्कूल को ३०,००० रुपये का अनुदान दिया गया था । उसके व्यवहार से निराश होकर उसकी लड़की ने आत्मघात कर लिया, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया ।

थोबक सामुदायिक परियोजना के अन्तर्गत इम्फाल-पलेल सड़क और कुछ भवनों के बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया गया । वहां की सरकार और सामुदायिक परियोजनाओं और विस्तार खण्डों की मांग इसलिये नहीं कर रही कि वहां धन का अपव्यय किया गया है । सरकार को उक्त सामुदायिक परियोजना की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

हम मनीपुर के लोग अपने अधिकारों को जानते हैं परन्तु हम जब कहते हैं कि हमें अपने राज्य के प्रशासन और विकास कार्य में भाग मिलना चाहिये तो हमें इन्कार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हमें राज्य पुनर्संगठन उद्योग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी । इस प्रतिवेदन का हमारी मांग के साथ क्या सम्बन्ध है । हम तो वह अधिकार माँग रहे हैं जो भारत के लोगों को १९४७ में अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात मिला था । हमें वह लोकतन्त्र अधिकार तुरन्त मिलना चाहिये ।

गृह-मंत्री ने गृह-मंत्रालय के अनुदानों की मांगों की चर्चा में कहा था कि प्रजा-समाजवादी दल की यह मांग है कि मनीपुर को आसाम में विलीन कर दिया जाये । वह मांग पुराने समाजवादी दल की थी । प्रजा-समाजवादी दल की मांग यह है कि मनीपुर को एक पृथक राज्य बनाया जाये और उसे अन्य भारतीय राज्यों की तरह अधिकार प्राप्त हों ।

हमारे आन्दोलन की त्रावनकोर-कोचीन के टी० टी० एन० सी० आन्दोलन के साथ तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वह आन्दोलन तो कतिपय क्षेत्रों का सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये था जब कि हमारा आन्दोलन एक मूलभूत लोकतन्त्र अधिकार के लिये है ।

माननीय मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि मनीपुर में तीन भाषाएं बोली जाती हैं । निस्संदेह हम तीन भाषाएं बोलते हैं परन्तु वहां के जनसाधारण की एक मनीपुर भाषा है ।

माननीय मंत्री ने यह भी कहा था कि आदिम जाति के लोगों में भारतीय राष्ट्रीयता की भावना नहीं है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम में उन से भी अधिक राष्ट्रीय भावना है । हम पर अविश्वास नहीं करना चाहिये ।

मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि मनीपुर के प्रत्येक उपक्रम का भली प्रकार अधीक्षण करें और गृह-कार्य-मंत्री से भी कहें कि वहां तुरन्त विधान सभा स्थापित की जाये ताकि मनीपुर के लिये सभा द्वारा मंजूर की गई समस्त राशि का उपयोग वहां के लोगों के कल्याण के लिए किया जा सके ।

श्री जजवाड़े (सन्थाल परगना व हजारी बाग) : सभापति महोदय, योग्य सहायकों से समन्वित फाइनेन्स मिनिस्टर ने जिस विधेयक को उपस्थित किया है, उस पर उस प्रकार की योग्यता से बहस करना बहस के लिए भले ही उपादेय हो सकता है, लेकिन वह मेरी पहुंच के बाहर है ।

विपरीत दिशा से कुछ बन्धुओं ने ऐसा कहा था कि यह फाइनेन्स बिल जोड़ घटाव का एक परचा है । मैं ऐसा नहीं मानता । वास्तव में यह विधेयक सरकार के लक्ष्य, साधन और प्रगति का प्रतीक होता है । इससे मालूम हो जाता है कि सरकार किस लक्ष्य पर, किस प्रगति से और किस मार्ग पर चलना चाहती है । सरकार के इसी विचार की आलोचना पर समूचे देश का शासन तंत्र निर्भर करता है । जो लक्ष्य

[श्री जजवाड़े]

सरकार प्राप्त करना चाहती है वह सरकार द्वारा घोषित हो चुका है। सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न का लक्ष्य स्वीकार करना चाहती है। और जब यह निश्चय हो चुका है कि इस लक्ष्य की पूर्ति प्लान्ड इकानमी द्वारा, योजना के उसके द्वारा की जायगी तो आज हमारे मन में विपरीत कोई सन्देह नहीं होता। लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जहां तक साधन संग्रह करने का सम्बन्ध है उस विषय में हमारे विचार राजन्य वर्ग के कर्मचारियों से अथवा वित्त मंत्री महोदय से कुछ भिन्न हो सकते हैं। हम जन-साधारण से आते हैं और उनके ही विचार आपके सामने रखते हैं। सारे दृष्टिकोण जो कि सरकार के सामने हैं वे भी हमारे सामने नहीं होते। इसलिए अगर हम कुछ भिन्न बात कहें तो उस पर विचार करना चाहिए और उसको अनुचित नहीं मानना चाहिए।

हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब संस्कृत नीति के ज्यादा प्रश्रयदाता हैं और बराबर हमें यह उपदेश दिया करते हैं कि "पुष्पम् पुष्पम् विचिन्वित"। अर्थात् एक फूल को चुन लो। मैं उनके दृष्टिकोण को एक दूसरी नीति की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनकी यह जानकारी हो और वह इस पर भी ख्याल रखें कि फलवान वृक्ष के फूल नहीं चुनने चाहिएं, नहीं वह फूल तो जायगा ही, उसमें फल भी नहीं होगा। कर निर्धारण करने में कर-दाता की शक्ति की परीक्षा करनी चाहिए जिससे कि कर-दाता की रीढ़ भंग न हो जाय और गरीब लोगों को ज्यादा उत्पीड़न न हो। मैं बिहार के गरीब प्रान्त का प्रतिनिधित्व करता हूं। और मैं इस ओर उनका ध्यान विशेष रूपसे दिलाना चाहता हूं :

बनस्पतेरपक्वानि कुलानि प्रचिनोति यः।
स नाप्नोति रसं तेम्यो बीजं चास्य विनश्यति।।

जो अपरिपक्व फल को तोड़ लेता है उसको न रस मिलता है और न उसके बीज ही टिके रहते हैं।

कहा गया है :

काचो सरसो पेरिके---खली भवा नहीं तेल

कच्ची सरसों को अगर पेल दिया जाय तो न खली होगी और न तेल ही होगा। वह सारी की सारी नष्ट हो जायगी। इसलिए नीतिकार ने बताया है :

यस्तु पक्वम् आदत्ते काले परिणतं फलम्।
फलाद्रसं स लभते, बीजाश्चैव फलं पुनः।।

जो मनुष्य समय पर पक्के फल को ग्रहण करे तो उसे फल का उपादेय रस भी मिलेगा और उस रस से तृप्ति तो होगी ही, उसके बीज की भी रक्षा होगी। और अपरिपक्व फल को तोड़ने से बीज भी नष्ट हो जायगा और रस भी जायगा।

नीतिकार ने बतलाया है :

अनंम्य फलितां शाखां पक्वं पक्व प्रशर्धयेत्।

वृक्ष की डाली को नवाकर पक्के पक्के फल तोड़ लो। यही नीति सोशलिस्टिक पैटर्न की नीति का सही स्वरूप है। जिसके पास हो उससे उचित रूप से संग्रह करो और जिनको जरूरत हो उनके लिए उसका उपयोग करो।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संग्रह करते समय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को यह ख्याल रखना चाहिए कि कहां से वह संग्रह किया जाय, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यह जो ५०० करोड़ का जमा खर्च हो रहा है इसमें प्रत्येक व्यक्ति पर १४ रुपये के करीब पड़ जायगा। इसके सिवा उसको प्रान्तीय और बहुत से लोकल टैक्सेज भी देने पड़ते हैं। तो इसका उनको संग्रह करने में ख्याल रखना चाहिए। मैं अपना यह विचार उनके सामने रखना चाहता हूं।

दूसरी बात और उससे भी यह जरूरी है कि सरकार का खर्च कैसे हो, इस संग्रहीत

धन को खर्च करने में उपादेयता बरतनी चाहिए लेकिन इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि पिछड़े भूभाग की ओर सरकार का कम ध्यान रहता है और उसकी उन्नति के वास्ते कम धन खर्च किया जाता है ।

आकृष्य ारिं रेवा रत्नाकरायार्पयति ।
न तु गच्छति मरु देशे—सर्वे भृतं भरन्ति ॥

कहा गया है आज नदियों से जल आकृष्ट करके समुद्र में ही चला जाता है । जहां मरुदेश है और जहां नदी नहीं होती और जहां पानी का अभाव होता है वहां यदि वह जाती तो फल फूल आदि उपजाती, ऐसा न करके वह मोटे को ही मोटा बनाने के फेर में है । गरीबों की ओर सरकार का ध्यान कम जाता है । गरीबों की ओर खर्च करने की प्रवृत्ति या तो हम लोगों की कम रहती है या उस ओर हम सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते या उसे मालूम नहीं पड़ता कि उस पिछड़े हुए भू-भाग में लोगों को कोई सहायता की आवश्यकता है और जिसके लिए सरकार को कुछ धन खर्च करना चाहिए ।

मैं सदन का ध्यान उस निर्वाचन की ओर दिलाता हूं जिससे मैं निर्वाचित होकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि यहां के लोगों को पार्लियामेंट के सदस्यों को और मिनिस्टर साहब को यह साधारणतया महसूस ही नहीं होता होगा कि किस प्रकार का बड़ा त्याग हमारे भू-भाग ने किया है, सारे देश की सम्पत्ति बढ़ाने के लिए हमारे इलाके ने कैसा योग दिया है । आप यहां पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी बातें करते हैं लेकिन आपको शायद यह मालूम नहीं होगा कि करीब एक लाख एकड़ जमीन हमारे संथाल परगना और छोटे नागपुर की इस प्रोजेक्ट में सबमर्ज होने जा रही है और जिसके कारण करीब ९० हजार मनुष्यों को अपनी जमीन, घर-बार और खेती-बाड़ी सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। यह और जो इसके बगल में दूसरे मयूराक्षी प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, उनमें संथाल परगना वालों के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है । इसमें संथाल परगना का २७ हजार एकड़ भूमि में २०हजार एकड़ आधी आबाद जमीन डूबेगी—८३५७ घरों की २१ हजार की आबादी विस्थापित होगी—मयूराक्षी प्रोजेक्ट सरकार का एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट है, इसमें देश के विकास की बड़ी योजना है पर उसमें संथाल परगना वालों के लिए अपना सर्वस्व दान देकर भी कुछ नहीं मिला है, अगर कुछ मिला है तो वह त्याग, और बलिदान का आलिंगन करना है । गवर्नमेंट ने विश्वास दिलाया है और वायदा किया है कि वह एबौरिजिनल पीपल के लिए स्पेशल केयर करेगी, पहाड़ी भूमि को सुन्दर और उपजाऊ बनाने के लिए विशेष ग्रांट मंजूर की जाती है पर खर्च नहीं किया जाता है । इस ग्रांट की मंजूरी योजना में चार वर्ष से चल रही है, मैं सरकार से पूछूंगा कि उन ग्रांटों में संथाल परगना की भूमि को उर्वरा करने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया है या जो स्वीकृत धन था उसको बर्बाद किया है ? यदि आप पूरी नहीं थोड़ी सी भी जमीन, आधी जमीन ही उपजाऊ बनाते तो हम समझते कि "मूर पलटे नाचे साह" वाली बात होती । इन प्रोजेक्टों में जो जमीन डुबोयी जाती है उसके लिए भी अभी तक दूसरा बंदोबस्त ठीक नहीं हो सका है, कहीं उन बेचारे गरीब और पिछड़े हुए लोगों को जमीन देने का उचित बंदोबस्त नहीं है, वे अशिक्षित होने के नाते कभी दुःखी होकर सत्याग्रह करने की धमकियां देते हैं तो पकड़ कर उनको जेलों में ठूंस देने का भय दिया जाता है । इस प्रकार की बातें वहां पर चल रही हैं और मैं सरकार का ध्यान उस संथाल परगना के गरीब भू-भाग की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि बंगाल और बिहार राज्य के बड़े भाग को अच्छा उत्पादक बनाया गया। लोगों को दूसरी जगहों पर शहरों में बिजली फैलाई गई—और सरकार की आय बढ़ी, लेकिन इन बेचारे संथाल परगना के लोगों को जिनकी कि जमीनें सबमर्ज हो गयीं, उनको

[श्री जजवाड़े]

कुछ नहीं मिला, उन आदिवासियों के जिनके कि घर-बार सब कुछ चौपट हुए, उनकी क्षति पूर्ति किस तरीके से की गयी ? उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । मैं इस सम्बन्ध में विशेष आग्रह करूंगा कि हमारे प्लानिंग मिनिस्टर महोदय या तो स्वयं वहां जाकर या अपने सहयोगी को वहां पर भेज कर उन लोगों की अवस्था देखें और उनको तबाही से उबारें और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठायें ।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी जोर दिया गया है और कहा गया है कि उद्योगों में तरक्की की जायगी, बड़ी अच्छी बात है, देश की तरक्की में सब को सहयोग देना चाहिए लेकिन इस संबंध में मैं दो, एक मिसाल संथाल परगना की उपस्थित करना चाहता हूं । संथाल परगना में सिवाय ग्रास इंडस्ट्री के बाबत में आपको बतलाऊं कि वहां के पहाड़ी इलाके में ४ लाख मन सवाय ग्रास की उत्पत्ति होती थी और जो कि पेपर बनाने के काम में आती है, अब उत्पादन की लेटेस्ट रिपोर्ट को देखने से पता चलेगा कि इस साल सवाय ग्रास केवल १२ हजार मन उत्पन्न हुआ है, उत्पादन में इस गिरावट को देखकर आश्चर्य होता है और हृदय को दुःख और ठेस पहुंचती है कि सरकार गरीबों की मदद करने और उनकी तरक्की करने की बातें तो बड़ी बड़ी करती है और उनके नाम की दुहाई दी जाती है पर वास्तव में देखा यह गया है कि सरकार का ध्यान शायद उस पिछड़े हुए इलाके के लोगों की दयनीय अवस्था पर नहीं गया है और सरकार की ओर से उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है और इसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि वहां की सवाय ग्रास इंडस्ट्री का दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है ।

लैक इंडस्ट्री की भी ओर सरकार की नीति लापरवाही की है और आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि लैक के बीज लोगों तक पहुंचाने और बांटने के काम में सरकार के लापरवाही की नीति अख्तियार करने के कारण लैक इंडस्ट्री भी धीरे धीरे खत्म हो रही है । मैं चाहता हूं कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे और वहां के लोगों की अवस्था में उन्नति लाने का प्रयत्न करें । यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो लोगों में असन्तोष की भावना फैल जाना स्वाभाविक हो जाता है ।

मैं संथाल परगना की पत्थर इंडस्ट्री की बाबत भी थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूं । उस इलाके में पत्थर तोड़ कर लोग अपनी जीविका कमाते हैं, आज पत्थर का रोजगार भी उनका खत्म सा हो रहा है और सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जारहा है और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार में जिस प्रोजेक्ट के अधीन वहां पर मुकामा ब्रिज बनाया जाने वाला है, उसके लिए मनाही कर दी गयी है कि इतनी दूर का पत्थर न आये, पहले तो इस बात की भी मनाही कर दी गई थी कि उस तरफ के आदमी भी न आयें, लेकिन जब मैंने सरकार का इस अनुचित पाबंदीकी ओर ध्यान आकृष्ट किया और सरकार ने भी महसूस किया कि यह पाबंदी लगाना संविधान की अवहेलना करना है तो उसने यह पाबंदी उठा दी और संथाल परगना के आदमी भी उस काम को करने के वास्ते आने लगे लेकिन सरकार ने वहां से पत्थर आने की इजाजत नहीं दी । भला वहां पत्थर तोड़ कर लोग अपनी जीविका कमाते हैं, वहां सरकार का यह रवैया हो तो कैसे माना जा सकता है कि सरकार लोगों की बेकारी को दूर करने के लिये वाकई बड़ी परेशान है और उसको मिटाने के लिए कोशिश कर रही है । मुझे बड़े अफसोस के साथ

इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि गरीबों की भलाई करने की बात जो सरकार करती है यह महज स्लोगंस हैं, दरअसल इनके पीछे कुछ नहीं है। कहा यह जाता है कि हम लोगों की बेकारी दूर करना चाहते हैं परन्तु वास्तव में हम देखते हैं कि दिन-प्रति-दिन लोगों में बेकारी बढ़ाई जा रही है।

छोटा नागपुर और बिहार में धान कूटने का धंधा काफी प्रचलित है लेकिन अब धान और चूड़ा कूटने के लिए कल कारखाने लगते जा रहे हैं और जिसका नतीजा यह हो रहा है कि जहां पर लाखों आदमी चूड़ा कूट-कूट कर अपनी जीविका कमाते थे, अथवा धान कूट कर और कोल्हू से तेल निकाल कर अपना पेट भरते थे, वे इन मशीनों के लग जाने से बेकार हो गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग बेकार हो गये हैं उनको एम्पलाय करने का सरकार ने क्या कोई रास्ता निकाला है ? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अलग अलग सेक्टर्स बनाये जिनमें इन आदमियों की गुजर की गुंजायश हो और जो अनएम्पलायड हैं उनको एम्पलायमेंट देने के लिए सरकार गुंजायश निकाले और उनको काम पर लगाये।

जहां तक औद्योगीकरण की नीति का सम्बन्ध है, मैं औद्योगीकरण के बहुत खिलाफ नहीं हूं और जहां पर उद्योग की जरूरत है वहां उसको कायम करना चाहिए, लेकिन साथ ही इस सरकार को जो छोटे-छोटे घरेलू धंधों और ग्रामोद्योग पर काफी धन खर्च करने के लिए गर्व अनुभव करती है, तो सरकार को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जिससे ग्रामोद्योग और छोटे छोटे धंधे पनप सकें और वे कुचले न जा सकें।

मैं अधिक समय न लेता हुआ टैक्सेशन कमिशन की बाबत दो एक शब्द कहना चाहता हूं। टैक्सेशन कमिशन की बात यहां पर बहुत लाई जाती है। बिहार स्टेट को हमारी म्युनिसपैलिटी ने लोकल बाडीज की ओर से इम्पोजीशन आफ टर्मिनल टैक्स की एक फहरिस्त रक्खी थी। टर्मिनल टैक्स जहां दूसरे स्थानों पर बिना कोई सूचना के ही लागू कर दिया जाता है, वहां यह नियमित रूपसे बिहार स्टेट ने दिया, वह अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ा हुआ है। कहा गया लोकल बाडीज फाइनेंस इनक्वायरी कमेटी उसकी जांच करेगी, लोकल बाडीज फाइनेंस कमेटी की भी बाट देख ली गई पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फिर कहा गया कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमिशन की बाट देखी जा जाती है और उसके पास बिहार के लोगों ने मिल कर एप्रोच किया और यही नहीं बल्कि बिहार के डाक्टर महमूद जैसे आदमी ने भी रिप्रेजेंट किया, लेकिन बात इसी तरह टालमटोल में टलती जा रही है।

मैं समझता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर का ध्यान इस पर जायेगा और टैक्सेशन एन्क्वायरी कमिशन की रिपोर्ट जो उनको मिल गई है, उसको इम्प्लिमेन्ट किया जायेगा और म्यूनिसपैलेटीज और लोकल बोर्डस की आर्थिक कठिनाई को महसूस कर के उस पर जल्द से जल्द निर्णय दिया जायेगा। सरकार जसे अपनी आर्थिक स्थिति को समझती है उसी तरह से लोकल बाडीज की आर्थिक स्थिति को भी उसे समझना चाहिये। अगर लोकल बाडीज की कठिनाइयों को न दूर कर के वह केवल केंद्रीयकरण की तरफ बढ़ती गई तो कठिनाई बढ़ती जायेगी। मेरा विश्वास है कि फाइनेन्स मिनिस्टर इस पर जरूर ध्यान देंगे और इस के बारे में कारंवाई करेंगे।

पंडित के० सी० शर्मा (मेरठ जिला 'दक्षिण) : मैं १९५३ के आरम्भ से माननीय मंत्री की प्रवृत्ति में एक निराशा की झलक देखता हूं। १९५२ में उन्होंने कहा था यदि सारी परिस्थितियों को देखा जाये तो हमें कोई खतरा नहीं है। फिर इस

[पंडित के० सी० शर्मा]

वर्ष उन्होंने कहा है कि ३२० करोड़ रुपये का निश्चित खतरा मोल लिया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि परिस्थिति के अनुसार अधिक साहसपूर्ण प्रवृत्ति की आवश्यकता है। यदि ५०० करोड़ रुपये की पूंजी व्यय में किसी खतरे की बात है तो अगले दो वर्षों में १००० करोड़ रुपया कैसे व्यय किया जायेगा में शीघ्र प्रगति के पक्ष में हूं । प्रगति में समय का ध्यान रखना बहूत महत्वपूर्ण है । यदि यह ३६ करोड़ लोगों का विस्तृत देश आत्मनिर्भर भी हो जाये तो जब तक इस विपणन के लिये बाज़ार प्राप्त न हों इसका अस्तित्व नहीं रह सकता । यदि आप अन्य देशों के साथ-साथ प्रगति न करेंगे तो आपकी वस्तुओं के विपणन के लिये बाजार नहीं मिल सकते । अतः मैं साहसपूर्ण और गतिशील प्रगति के पक्ष में हूं । आज जब हमारी अर्थ व्यवस्था स्थिरता की अवस्था से गत्यात्मकता की अवस्था में परिणत हो रही है यह बात और भी प्रकरण संगत है । हमें केवल अपने उपभोग के लिये ही वस्तुओं का निर्माण नहीं करना चाहिये वरन् उन लोगों के लिये उत्पादन करना चाहिये जिन्हें इनकी आवश्यकता है ।

एक ओर तो एक व्यक्ति को ८ घंटे काम करना पड़ता है और दूसरी ओर उसे उपभोग के लिये पर्याप्त नहीं मिलता । क्या यही योजना है जिस पर इतना अधिक व्यय हो रहा है । धीमी गति की प्रगति से कोई लाभ नहीं क्योंकि समय बीता जा रहा है । प्रगति का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब समय का ध्यान रखते हुए आसपास के देशों की प्रगति का और भविष्य के विकास को दृष्टिगत रख कर प्रगति की जाये ।

लोग समान और उचित आधार पर वितरण को समाजवादी समझते हैं। परन्तु हमें बुद्ध के नैतिक समाजवाद और आज के समाजवाद का अथवा साम्यवाद में अन्तर समझना है। बुद्ध ने सभी की आत्मा को समान घोषित किया था। आज का समाजवाद भविष्य पर, आधारित है । समस्याओं के गत्यात्मक समाधान पर आधारित है ।

बेरोज़गारी के सम्बन्ध में वित्त मंत्री कहते हैं कि अमुक-अमुक कार्य किये जा रहे हैं परन्तु इससे क्या होता है क्योंकि उसके साथ ही जन संख्या भी तो बढ़ रही है। यह समस्या कोई अभूतपूर्व नहीं है । अमरीका में ऐसी कठिनाई पैदा हुई थी और उन्होंने न्यू-डील के अन्तर्गत एक अधिनियम पारित किया था और सब शिक्षित लोगों को निर्वाह भत्ते पर काम पर लगाया गया था। हमारे पास बहुत से शिक्षित बेरोजगार हैं। अतः हम चार पांच वर्ष में ही देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं । लोगों में हाथ से कार्य करने और देश के निर्माण कार्य में प्रसन्नता अनुभव करने की भावना होनी चाहिये। किसी भी नेता के प्रति लोगों को इतनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास कभी नहीं हुआ जितना वर्तमान नेता के प्रति है । परन्तु कितने दुःख की बात है कि उन्होंने कभी लोगों से कुछ करने के लिये नहीं कहा ।

सामान्य प्रशासन में ऐसे तीन आधारभूत स्तम्भ हैं जिन पर राज्य की स्थिरता और शान्तिपूर्ण प्रगति निर्भर करती है। एक तो संगठन की भावना है । नरेशों के राज्यों को तो समाप्त कर दिया है परन्तु क्या लोगों के मानसिक स्तर में भी परिवर्तन हुआ है ? शिक्षा पद्धति को बदलने से , विधियों में एकरूपता लाने से और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं की नैतिकता को उच्च-स्तर पर लाने से ही संगठन की भावना को जागृत किया जा सकता है । शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन को लीजिये । उसमें किसी भी पुस्तक में सामाजिक व्यवहार और समाज विज्ञान के उपयोग का उल्लेख नहीं है । दूसरी बात आर्थिक विकास है और तीसरी बात प्रशासन

की पवित्रता है। भर्त्ती की पद्धति में केवल उम्मीदवार के समझने के सामर्थ्य की बात देखी जाती है। मेरा सुझाव है कि उनकी कार्य करने की तत्परता और कार्य की क्षमता पर ध्यान देना चाहिये। अतः लोक सेवा आयोग का पुर्ननिर्माण होना चाहये। और उसमें किसी लोक जीवन के व्यक्ति को रखना चाहिये।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जब अर्थ-विधेयक संसद् में उपस्थित होता है तो दुनिया भर की बातें बहस में लाई जाती हैं। बात यह है कि मानव समाज का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका कि सरकार से सम्बन्ध न हो। लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने यह नहीं किया और सरकार नें वह नहीं किया। मैं उन बातों के बारे में आज नहीं बोलूंगा। उससे कोई लाभ नहीं होता। अभी कोई एक घंटा हुआ चेयर से हुक्म हुआ था कि हर डिपार्टमेंट के मंत्री लोग आधे घंटे के अन्दर हाउस के अन्दर हाजिर हो जायें। अब आधे घंटे के बदले एक घंटा हो गया है शायद दो चार मिनिस्टर ही आये हैं और सब मिनिस्टर नहीं आये हैं। इस सदन के आप अध्यक्ष हैं और आप ही के हुक्म के मुताबिक काम यहां होना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि आपका हुक्म यहां पर नहीं चलता। सरकार के लोग, सरकार के कर्मचारी अध्यक्ष का हुक्म न मानें तो कितनी बुरी बात है . . . . . .

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अध्यक्ष का हुक्म मानना पड़ता है, यहां के अध्यक्ष का भी और दूसरे हाउस के अध्यक्ष का भी।

बाबू राम नारायण सिंह : तो जो जनता जनार्दन देश की मालिक है। उसका हुक्म यह सरकार या इसके मंत्री लोग कहां तक मानते होंगे या मानते हैं यह दुनिया जानती है और जानकर थोड़ा थोड़ा रोती है।

तो मैं इस सरकार से बहुत तो कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि "सरकार सेवक बनो"।

एक माननीय सदस्य : यह पुरानी बातें हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : एक आवाज उठी कि यह पुरानी बातें हैं। लेकिन जब तक पुरानी बातें नई बातों का रूप धारण नहीं करेंगी तो बराबर ऐसी बात कहनी ही होगी।

मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम सारे समाज को और सरकार को भी इस विचार पर ध्यान देना चाहिये कि किस तरह से लोगों के बीच सहयोग हो। सभापति जी, मंत्री लोग भी जहां-तहां कहा करते हैं कि "सहयोग करो सहयोग करो"। यह सही है कि जब तक जनता में और सरकार में सहयोग नहीं होता है तब तक कोई लाभ का काम नहीं हो सकता। यह सीधी बात है। अगर आप शासक हैं और हम शासित हैं, और आप हर तरह से योग्य हैं, हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, आप भले हैं भी, लेकिन आपने हमारा सहयोग अगर प्राप्त नहीं किया है तो यह निश्चित है कि आप अपने सौम्य कार्य में सफलीभूत नहीं होंगे। इसलिये सरकार को अवश्य चाहिये कि वह जनता का सहयोग प्राप्त करे। वास्तविक सहयोग, जबानी सहयोग नहीं। लेकिन सरकार इस जन सहयोग का अर्थ क्या लेती है? अगर सहयोग के यह मानी हों कि जो कुछ सरकार कहे उसे जनता आंख मूंद कर मान ले, तो यह सहयोग नहीं कहा जा सकता। जैसे कि तांगे वाले का जो घोड़ा है वह यह नहीं कह सकता कि तांगेवाला उसका सहयोगी है। घोड़ा, घोड़ा है। जो कुछ तांगे वाला चाहता है वह उसको

[बाबू रामनारायण सिंह]

करना पड़ता है । इसको सहयोग नहीं कह सकते । जो आप कहें उसको सुन कर लोग आपके पीछे दौड़ें उसे तो आप सहयोग कहते हैं और अगर कोई कुछ भी चीं चपड़ करे तो आप कहते हैं कि सहयोग नहीं हुआ, यह भावना नहीं होनी चाहिये ।

श्री त्यागी : जहां घोड़ा ले जाय वहां चले जायें ?

बाबू रामनारायण सिंह : सहयोग का अर्थ यह है कि लक्ष्य एक हो और सहयोग करने वाले एक दर्जे के आदमी हों । उनमें पारस्परिक विश्वास हो और सब का एक पवित्र मार्ग हो । ऐसा हो तो सहयोग संभव है । लेकिन यह कह देना कि सहयोग करो, जिसके मानी हैं कि हमारा हुक्म मानो, यह सहयोग नहीं है । लेकिन सभापति महोदय, वास्तविक सहयोग तब तक संभव नहीं होगा, जब तक कि देश में दलबन्दी रहेगी । और इस तरह की दलबन्दी की सरकार रहेगी जिसको आप पार्टी सिस्टम की गवर्नमेंट कहते हैं ।

सभापति महोदय, हमने बहुत जोरों से कांग्रेस का आन्दोलन चलाया, बहुत चेष्टा करके यहां से अंग्रेजों को हटाया और सब कुछ किया । उस वक्त कहा जाता था कि देश में स्वराज्य होगा और स्वराज्य होने पर जनता को रामराज्य को सुख प्राप्त होगा । लेकिन जब तक यह दलबन्दी रहेगी और यह दलबन्दी का राज्य रहेगा तब तक न तो हम स्वराज्य का नाम ले सकते हैं और न हमको रामराज्य का सुख प्राप्त हो सकता है । सारी दुनिया में जहां भी दलबन्दी की सरकार है वहां यही हाल है । यह आपकी जो पार्लियामेंट है यह तो रोज ही कुरुक्षेत्र बनी रहती है । यहां पर तो सारे देश के प्रतिनिधि, चुने हुये लोग आते हैं । सब कोई मिल जुल कर जितनी बल बुद्धि हो उसे मिला कर विषयों पर विचार करें, और जो निर्णय हो उसके मुताबिक देश में काम हो । लेकिन सो तो नहीं है । यहां एक दल कुछ करता है तो दूसरा दल उसका खंडन करता है । तो यहां पर अस्त्रों के साथ नहीं पर वाग्युद्ध होता रहता है और यह लोक-सभा महाभारत बनी रहती है । तो मैं कहता हूं कि हमारे देश में पार्टी सिस्टम आफ गवर्नमेंट नहीं चल सकता है । पार्टी सिस्टम आफ गवर्नमेंट जहां जहां भी है सिवा उन जगहों के जहां का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा है । हमारे देश में तो जो इतनी जातियां थीं वही इतनी पार्टियां बनी हुई थीं । उनके अतिरिक्त और दल बना कर लोग इस देश को बरबाद कर रहे हैं और इससे देश का भला नहीं हो सकता । सभापति महोदय, एक लीडर होता है । उसके साथ दो चार आदमी होते हैं । जो वह कह देते हैं उसी के मुताबिक कानून पास हो जाता है । सभापति महोदय, कानून का अर्थ यह है कि जो जनता चाहे उसे कानून का रूप दे दिया जाय । जनता द्वारा विधिवत रूपमें व्यक्त इच्छा की विधि है । लॉ और कुछ नहीं है सिवा इसके कि जनता की इच्छा को कानून का रूप दे दिया जाय । तो कानून तो ऐसा होना चाहिये । लेकिन यहां पर कानून इस तरह का बनता है कि जो एक या दो आदमियों की इच्छा होती है उसको कानून का रूप दे दिया जाता है जब तक पार्टी सिस्टम आफ गवर्नमेंट रहेगा तब तक यही हाल रहेगा । और मैं समझता हूं इससे बढ़ कर देश और दुनिया को धोखा देने वाली कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती । यह सब से बड़ा धोखा है कि एक आदमी की इच्छा को तो कानून का रूप दे दिया जाता है और दुनिया में यह घोषित किया जाता है कि यह कानून है । मैं तो कहता हूं यह कानून नहीं है । न इस तरह की सरकार देश में रहनी चाहिये और न इस तरह से कानून बनना चाहिये । न इससे देश का कल्याण हो सकता है । घंटी बज गई ।

यह जो दस मिनट का समय मिलता है इसके बारे में भी मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । लेकिन यह दूसरी बात है ।

तो मैं यह कह रहा था कि जब तक देश म दलबन्दी की सरकार रहेगी तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता, तब तक देश से करप्शन नहीं उठ सकती । उस समय तक देश में रिश्वतखोरी और घूसखोरी चलती रहेगी । सभापति महोदय, जब तक इस प्रकार की सरकार देश में रहेगी तब तक न्याय नहीं हो सकता और जब तक न्याय नहीं होता तब तक देश का कल्याण कैसे हो सकता है और देश को सुख कैसे हो सकता है ? मैं तो कहता हूं कि यह तो बिल्कुल सही बात है और सब इसको जानते हैं कि आजकल रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई है । और जब तक रिश्वतखोरी रहेगी तब तक न्याय तो संभव नहीं है । तो सरकार को इस बात को मान लेना चाहिये कि अगर सरकार रहे ता यह बिल्कुल पवित्र सरकार रहे । सभापति महोदय, जिस वक्त हम किसी को सरकार मान लेते हैं तो उसको हम अपना सभी कुछ समर्पण कर देते हैं । वह हमारी जान की रक्षा करने वाली होती है । वह हमारी सम्पत्ति की रक्षा करने वाली होती है वह हमारे सम्मान की रक्षा करने वाली होती है । और जब तक सरकार पवित्र नहीं होगी तब तक वह इन चीज़ों की रक्षा कैसे कर सकेगी । मैं तो कहता हूं कि इस पर सब भाइयों को विचार करना चाहिये कि हमारी जो शासन प्रणाली हो वह बिल्कुल पवित्र होनी चाहिये । इतने बड़े शरीर में अगर कहीं पर रोग होता है तो उससे सारे शरीर को कष्ट होता है । अगर इतनी बड़ी सरकार में कुछ लोग भी ठीक काम करने वाले न हों तो वह सारी सरकार दूषित हो जाती है । मैं तो कहता हूं कि सरकार में जितने कर्मचारी हैं वे सोलहों आने पवित्र होने चाहिये । अगर ऐसा न हो तो वह सरकार न रहे इसी में देश का कल्याण है । और मैं कहता हूं कि जिस सरकार के सभी कर्मचारी पूर्णतया पवित्र न हों उस सरकार को इस देश में और दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है ।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : मुझे ज्ञात नहीं कि कल घोषित की गई कर की रियायतों से क्या प्रभाव पड़ा है, परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि वित्त मंत्री को मूल आयव्ययक प्रस्थापनाओं का ८.४७ करोड़ रुपये का घाटा रहने देने चाहिये था ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकारी उपक्रमों के संतुलन पत्र और लाभ हानि के विवरण इस सभा के सदस्यों को मिलने चाहिये ताकि वे इस पर चर्चा कर सकें ।

श्री किलाचन्द ने जो बीमे के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ कहा है मैं उसे पूंजीवादी प्रतिक्रिया समझता हूं । बीमा ही एक ऐसा व्यापार है जिसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । बीमा समवायों की अंश पंजी अधिक नहीं है परन्तु उनके नियंत्रण में जो पूंजी है वह अत्यधिक है । वह पूंजी जनता की है । प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने जनता की पूंजी का उचित उपयोग नहीं किया मैं अनुभव करता हूं कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व वाणिज्यिक पद्धति पर एक बीमा निगम स्थापित करना चाहिये था । अब भी समय बरबाद नहीं करना चाहिये और ऐसा निगम स्थापित करना आवडी संकल्प के अनुकूल होगा ।

भारतीय नौवहन के सम्बन्ध में मैं परिवहन मंत्री का ध्यान सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के सभापति और ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के सभापति के भाषणों की ओर दिलाता हूं जिनमें उन्होंने अपनी समस्याओं का उल्लेख किया है ।

[श्री मात्तन]

जो २५ प्रतिशत विकास छूट दी गई है उससे सामान्यतः औद्योगिक आस्तियों को बदलने और विशेषतया नौवहन में बहुत लाभ होगा । मैं कराधान जांच समिति की इस सिफारिश से सहमत हूं कि कुछ उद्योगों को चुन कर उन्हें अधिक छूट देनी चाहिये ।

सभापतियों ने अपने भाषणों में कहा है कि सब से बड़ी कठिनाई यह है कि बाहर के सम्मेलनों में हमारे जहाजों को प्रवेश नहीं मिलता । ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हैं और भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये जहाजों द्वारा व्यापार का अधिक भाग इन सम्मेलनों के नियंत्रणाधीन है और जिस देश को पोत व्यापार में प्रगति करनी हो उसके लिये इन सम्मेलनों में प्रवेश अत्यावश्यक है । भारतीय नौवहन की पूर्ण रूप से सहायता करनी चाहिये जिससे उन्हें बाहर भीतर के व्यापार में ५० प्रतिशत और तटीय नौवहन व्यापार में १०० प्रतिशत भाग प्राप्त हो जाय ।

उन्होंने दूसरी इस बात पर बल दिया है कि हमारे पास टेंकर पर्याप्त नहीं हैं १५ लाख टन अशुद्ध तेल हमारे शोधनालयों में आयात किया जाता है और वह केवल इस कारण भारतीय टेंकरों में लाया जाता है कि हमारे पास टेंकर कम हैं । शोधनालयों के साथ हमारे करार में भी यह उपबन्ध नहीं है कि हमारे पत्तनों पर शुद्ध तेल हमारे ही टेंकरों में ले जाया जाय ।

सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के सभापति ने कहा है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाज देने में अत्यधिक देर कर देता है । १९५३ में पांच जहाजों की मांग की गई थी । उनके संभरण की निश्चित तिथि में दो तीन बार परिवर्तन किया गया है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड में कुछ गड़बड़ अवश्य है । इस पर ध्यान देना चाहिये ।

पदाधिकारियों की कमी की ओर भी निर्देश किया गया था । मेरा सुझाव है कि डफरिन की तरह एक ओर प्रशिक्षण देने वाला जहाज स्थापित करना चाहिये ।

माननीय रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारी रक्षा सेवायें दृढ़ संगठन का एक आदर्श हैं । रक्षा सेनाओं के द्वारा ही हम साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता जाति भेद आदि प्रवृतियों का मुकाबिला कर सकते हैं । अतः इन सेनाओं का भारत के हित के लिये ठीक प्रकार से संधारण होना चाहिये ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्यों तथा कार्यों के विवरण में यह बताया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य अगले वित्तीय वर्ष १९५५–५६ केलिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को लागू करना और कुछ सम्बद्ध मामलों के लिये उपबन्ध करना है । मैं देखती हूं कि इस साल इस विधेयक के सारे खंडों में संशोधन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों में कुछ कमी हो जायेगी ।

इस बात की बड़ी मांग थी कि मध्यमवर्ग के लोगों पर आय कर कम कर दिया जाये । माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि हमें इस बात की ओर प्रथम ध्यान देना चाहिये कि स्वयं कर दाता पर कुल कितना दायित्व है । प्रस्तुत विधेयक में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि एक विवाहित व्यक्ति को जिसकी आय १०,००० रुपये सालाना है उसको पिछले साल की दरों के मुकाबिले में ९ रुपये कर कम देना होगा ।

मैं आशा करती हूं कि इससे मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी । मैं माननीय

वित्त मंत्री के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने सीने की मशीनों पर उत्पादन शुल्क की छूट दे दी है। किन्तु इस प्रतिवेदन में मैं देखती हूं इस पर १० प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क का उपबन्ध है।

एक माननीय सदस्य : सीने की मशीनों पर पूरी तरह से छूट दे दी गई है।

श्रीमती सुषमा सेन : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है।

बहुत बढ़िया कपड़े पर कर ढाई आने से दो आने प्रति वर्ग गज कर दिया गया है, किन्तु बढ़िया कपड़े पर चार पैसे से पांच पैसे कर दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री इसको भी उतना रख सकते थे। मैं चाहती हूं कि किसी प्रकार के कपड़े पर कोई आयंत्रण न हो और कपड़े का उत्पादन खूब बढ़े। जहां तक सूती कपड़े के निर्यात का सम्बन्ध है, मैं नहीं चाहती कि खादी अथवा हाथ करघे या मिल के बने कपड़े के उत्पादन में किसी प्रकार भी कोई कमी हो। इसी दृष्टिकोण से मैं चाहती हूं कि सूती कपड़े पर कोई उत्पादन शुल्क न लगाया जाये।

अब मैं कुछ शब्द अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् दक्षिण भागलपुर के बारे में कहूंगी। हमने सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में बहुत कुछ सुना है, किन्तु मैं देखती हूं कि मेरे क्षेत्र में एक भी सामुदायिक परियोजना नहीं चल रही है। एक नदी घाटी योजना निस्संदेह चल रही है, किन्तु उस सम्बन्ध में काम इतनी मन्दगति से चल रहा है कि उसकी पांच साल में भी पूरी होने की आशा नहीं है।

दूसरी बात मैं भागलपुर मंदार हिल रेलवे को देवघर तक बढ़ाने के बारे में कहना चाहती हूं। एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि इस सम्बन्ध में बिहार सरकार अधिक चिन्तित नहीं है, अतः इस मामले को वापिस ले लिया गया है। मेरा निवेदन है कि दक्षिण भागलपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये इस लाइन का बढ़ाना आवश्यक है और केन्द्रीय सरकार इस मामले की ओर उचित ध्यान दे।

मैं वित्त विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : कौन कौन से कर लगाये जाने वाले हैं, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना कि यह प्रश्न है कि उन करों का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इन करों का आवंटन करते समय वह शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करे। लोगों के मस्तिष्क का विकास करने के लिये शिक्षा परमावश्यक है। हमें बेसिक स्कूलों तथा माध्यमिक स्कूलों के लिये सहायता देने की योजना बनानी चाहिये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो और साथ ही साथ सरकार को अन्य प्रकार की शिक्षा की उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और उस पर अधिक व्यय होना चाहियें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की ओर सरकार को प्रथम ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि सरकार सारे बच्चों, विशेषतः अपंग बच्चों की विशेष रूप से देख भाल करे। अपंग बच्चों की देख भाल के लिये हेलेन केलर संस्था की स्थापना हुई है। सरकार भी इससे सबक ले और अभागे बच्चों की सहायता के लिये ऐसी संस्थाओं की स्थापना करे।

वित्त विधेयक के खंड ४ (ख) में विदेशी शिल्पिक सहायता को कुछ समय के लिये कर से विमुक्त करने का विचार किया गया है। ऐसा करने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि विदेशी

[श्रीमती इला पालचौधरी]

विशेषज्ञ यहां अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिये ही आये हैं। मैं सिफारिश करती हूं कि उनको तीन साल के लिये कर से छूट दे दी जाये। खंड ५ के उपखंड ३ में उन सुविधाओं पर, जो कि एक सार्थ अपने कर्मचारियों को देता है, कर लगाने की जो बात कही गई है, यह स्पष्ट नहीं है। मालिक अपने नौकरों को अनेक सुविधायें दे सकता है। यदि एक आदमी अपने घर से दूर एकान्त स्थान में काम करता है, तो उसका मालिक उसके बच्चों के लिये शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं का प्रबन्ध कर सकता है। यदि इन सब सुविधाओं पर कर लगा दिये जाते हैं, तो मालिक अपने नौकरों की ओर उचित ध्यान नहीं दे पायेंगे।

राजस्वों पर विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल जो केन्द्र को ६८ करोड़ रुपये देता है, केन्द्र से उचित अनुपात में धन नहीं पाता। बंगाल की अनेक समस्यायें हैं। उनका हल केवल औद्योगीकरण द्वारा ही संभव है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है, जब कि संघ सरकार, राज्य सरकार और गैर सरकारी क्षेत्र में परस्पर पूर्ण सहयोग की भावना पैदा हो जाये, क्योंकि तभी उद्योगों में धन का विनियोजन प्रारम्भ होगा, उद्योगों का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। बंगाल में गंगा बांध और इस्पात संयंत्र जैसी बहुप्रयोजनीय योजनाओं को चलाना अत्यावश्यक है। यह मामले उस राज्य के जीवन और मृत्यु के प्रश्न हैं। सरकार बंगाल की स्थिति दृढ़ करने के सम्बन्ध में सहृदयता से विचार करे।

बैसाख मास की प्रथम तिथि से बंगाल में जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया है। जमींदारों को हमेशा ही दानव के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। किन्तु बंगाल में इन जमींदारों ने विस्थापित व्यक्तियों की सब प्रकार से सहायता की। उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों को दस आने या छः आने प्रति बीघा के हिसाब से किराये पर जमीन दी, किन्तु अब सरकार उसी जमीन को ६, ८, १० और १८ रुपये पर दे रही है। इससे यह समझना कठिन है कि जमींदारी उन्मूलन से जनता का क्या लाभ हुआ है। यह तो ठीक है कि भारत की उन्नति के लिये जमींदारी उन्मूलन आवश्यक था, किन्तु साथ ही साथ यह बताना भी जरूरी है कि किराया देने में एक दिन की देरी करने पर भी यदि एक किरायादार उस भूमि से निकाल दिया जाता है, तब वह भूमि उसकी कैसे मानी जा सकती है।

द्वितीय, सरकार की उन सारे स्कूलों, औषधालयों, प्रसूति-गृहों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये, जो कि अभी तक जमींदारों की सहायता से चलते थे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन छोटी-छोटी सुविधाओं से एकदम वंचित न हो जायें।

तृतीय, जमींदार अपने ग्रामों में संगीतज्ञों, कलाकारों इत्यादि के लिये प्रोत्साहन न देते थे और उनका संरक्षण करते थे। सरकार इसकी ओर ध्यान दे ताकि धनाभाव के कारण संगीत और कला इत्यादि की अवनति न हो जाये।

जमींदारों में मानवीय दुर्बलतायें अवश्य थीं, किन्तु उन्होंने जनता के हित के लिये सब कुछ किया और काश्तकारों के साथ पूरा सहयोग दिया।

जमींदारी उन्मूलन से बंगाल में लगभग ८०,००० व्यक्ति जो कि जमींदारी के काम से सम्बद्ध थे, बेरोजगार हो गये हैं। सरकार को इस बेरोजगारी के दूर करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये। इससे

जमींदारों में विश्वास बढ़ेगा और वे सरकार को अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : वित्त विधेयक तथा उसमें निहित कराधान प्रस्थापनाओं पर विचार करते समय हमें इसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम नये युग अर्थात् अणुयुग में रह रहे हैं । हमने यह निश्चय किया है कि देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जाये, जिसका मतलब है कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि लोगों को पूरा रोजगार मिले, अधिक उत्पादन हो और समान वितरण हो ।

कर जांच आयोग के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद भी मैं नहीं समझता कि सरकार ने कर सम्बन्धी जो प्रस्थापनायें की हैं, वे हमारी योजना की पूर्ति के लिये पर्याप्त हैं । दूसरे देशों की ओर देखने से पता चलता है कि उनका उत्पादन हमारे यहां से अधिक हो रहा है ।

हमने अपने देश में एक नई व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय किया है, किन्तु कल की रियायतों को सुन कर मुझे यह कहते हुए दुःख है कि उद्योगपतियों को तुष्ट करने की नीति का ही अनुसरण किया जा रहा है । मेरे विचार में उद्योगपतियों को तुष्ट करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वे तो हमेशा सरकार और जनता को धोखा देने की ही कोशिश करेंगे ।

जो कर सम्बन्धी प्रस्थापनायें की गई हैं और आयकर सम्बन्धी संशोधन किये गये हैं, वे इतने पर्याप्त नहीं हैं कि धनी लोगों को साधारण व्यक्तियों की कोटि में ला सकें ।

उद्योगपति, पूंजीपति और कर-प्रवंचक अनेक चालें चलते हैं और अनेक कदाचरणों का आश्रय लेते हैं, जिससे वे आयकर देने से अपने आप को बचा लेते हैं । वे झूठे बहीखाते लिखते हैं, अपनी बहनों और लड़कियों के नाम में रुपया दिखाते हैं, नौकरों के झूठे वेतन दिखाते हैं इत्यादि, इत्यादि । मैं ऐसे ही कितने उदाहरण दे सकता हूं । मेरा विचार है कि अकेले व्यक्ति के लिये ४,२०० रु० और संयुक्त परिवार के लिये ८,४०० रु० कर विमुक्ति की जो सीमायें निश्चित की गई हैं, वे बहुत अधिक हैं । मेरा निवेदन है कि जहां तक आय कर का सम्बन्ध है, अगली बार इस सम्बन्ध में पुनः विचार होना चाहिये । ये सारे कर केवल इसीलिये लगाये जाते हैं, ताकि हमारी योजना का व्यय पूरा हो सके । हमें अपने देश का विकास करना है । शीघ्र विकास के लियें यह आवश्यक है कि कुछ सुधार किये जाये । जहां कहीं हम जाते हैं, हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है और पैसा व्यर्थ बरबाद हो रहा है । हमें इन बुराइयों को दूर करना है ।

इसके पश्चात् अधिक वेतनों का प्रश्न भी होता है । प्रत्येक विभाग में इतनी अधिक संख्या में उच्च पदाधिकारी हैं, जिनकी वस्तुतः बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है । जहां तक इन अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, संविधान में एक संशोधन होना चाहिये और इस प्रणाली को बदलना चाहिये ।

युद्धोपरान्त मूल्यों में काफी कमी आ गई है, किन्तु अब भी मंहगाई दी जाती है । मेरा निवेदन है कि ४०० रु० से अधिक वेतन पाने वालों को मंहगाई तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाने चाहियें ।

विकास की बात कहते समय, मैं माननीय वित्त मंत्री औद माननीय योजना मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र लगभग हमेशा ही अकालग्रस्त रहता है । १९५२-५३ और १९५३-५४ में वहां

[श्री बोगावत]

अकाल पड़ा। गत वर्ष भी कुछ भाग में अकाल का असर रहा। रामामूर्ति समिति ने लगभग १२,०० लाख रुपये की लागत की एक खूकदी योजना के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश की। इस योजना की कार्यान्विति के लिये समय समय पर अनेक बैठकें हुईं हैं। किन्तु इस योजना के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करे और इसकी जांच करवाये। यह योजना दक्षिण के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है, फिर भी मुझे आश्चर्य है कि इसकी जांच क्यों नहीं की गई और राज्य सरकार ने कोई प्रतिवेदन क्यों नहीं प्रस्तुत किया। सरकार इन अभावपूर्ण और अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दे। मेरे जिले के आस-पास कोई भी रेलवे नहीं है, यद्यपि वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और कपास तथा तिलहन का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। इन सब बातों को देखते हुये, वहां रेलवे की आवश्यकता है।

श्री त्यागी : फसल अच्छी होने के साथ-साथ अकाल भी पड़ता है?

श्री बोगावत : कुछ क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो अविकसित अवस्था में है, उनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये, ताकि जल्दी उन्नति हो सके। इस प्रकार से काम करने पर मुझे आशा है कि हम लोगों की दशा सुधार सकेंगे।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनेलवेली) : हमने अपनी योजना की सफलता के लिये काफी व्यय करने का निश्चय किया है, किन्तु जहां तक दक्षिण भारत का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ण रूपेण उपेक्षा की गई है। दक्षिण के लोग हमसे पूछते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, किन्तु हम लोगों के लिये भी कोई परियोजना चलाई जा रही है अथवा नहीं।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

यह सत्य है कि हमारे यहां बड़ी बड़ी नदियां नहीं हैं, किन्तु आप हमारे यहां उष्ममीय केन्द्रों की स्थापना तो कर सकते थे, जिनसे उत्तरी भारत के समान ही दक्षिणी भारत को विद्युत् का संभरण संभव हो जाता।

इस्पात संयंत्रों का ही उदाहरण लीजिये। उनकी स्थापना वहीं की जाती है, जहां कच्चा लोहा और कोयला पाया जाता है। यह तो ठीक है। किन्तु जिन उद्योगों में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, उनकी स्थापना वहां की जाती है?

हमारे यहाँ लोग निर्धन हैं और कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं। नौकरियों में प्रान्तीयतावाद को प्रश्रय देना भी उचित नहीं है। सिंचाई की बात उठने पर अन्तर्राज्यीय समस्या की दुहाई दी जाती है कि त्रावणकोर और तामिलनाद या आंध्र और तामिलनाद या मैसूर या तामिलनाद का प्रश्न है। भले ही पानी बेकार समुद्र में बह जाये, जैसे वह कोई बात नहीं है। हमारे यहां बड़ी नदियां नहीं हैं, तो क्यों न छोटी नदियों पर बांध बना कर दक्षिण के निर्जल स्थानों को पानी दिया जाये? त्रावणकोर राज्य में कुछेक करोड़ रुपयों के व्यय से पंबपार या कल्लर जैसी नदियों पर बांध बनाये जा सकते हैं। इस प्रकार त्रावणकोर का पानी तामिलनाद में जा सकता है और वहां से अनाज इधर आ सकता है। इस प्रकार हुआ एकीकरण, भाषा के एकीकरण से अच्छा रहेगा, क्योंकि भाषा के प्रश्न को लेकर विशेषतः हिन्दी राष्ट्रभाषा के बारे में दक्षिण का विचार है कि वह गलत है और संघ के एक मंत्री तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। आप लड़कों को क्या क्या पढ़ायेंगे।

पिछली पीढ़ियों द्वारा दलितों और हरिजनों के प्रति दिखाई गई उपेक्षा के प्रति कर स्वरूप हमारे द्वारा उनके लिये विशेष सुविधाओं, छात्रवृत्तियों और संरक्षणों का उपबन्ध किया जाना ठीक है, पर तथाकथित प्रगतिशील वर्गों के भी निर्धन और प्रतिभावान् बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती मेरा सुझाव है कि शिक्षा सम्बन्धी नीतियां संरक्षणों की अपेक्षा हरिजनों के धनी हो जाने से विशेष प्रभाव पड़ेगा। आप उनको धनी बना दीजिये। आयात-निर्यात-अनुज्ञप्तियों में ५० प्रतिशत उन्हें दीजिये। इस प्रकार उन्हें आर्थिक उन्नति के लिये अवसर प्रदान करिये। जब तक सरकार हरिजनों को ये छात्रवृत्तियां देती है, उसे शिक्षा सम्बन्धी दान देने वालों को कर में से छूट भी देनी चाहिये।

हमारे यहां बहुत सी प्रतिभा व्यर्थ जाती है। यद्यपि कुछ बड़े धनाढ्य व्यक्ति भी हैं, पर बहुत से लड़कों को हाई स्कूल परीक्षा में ६० से ९० प्रतिशत अंक पाने पर भी दलित या पिछड़ी जातियों से संबंधित न होने के कारण कोई सुविधा नहीं मिलती और वह आगे नहीं पढ़ पाता है। आप पूंजीपतियों को इतनी रियायतें देते हैं। मेरा अनुरोध है कि प्रगतिशील जातियों के भी निर्धन छात्रों को भी कुछ सुविधायें दी जानी चाहिये। निर्धनता तो निर्धनता ही है, चाहे पिछड़ी जातियों की हो या प्रगतिशील जातियों की।

हमारे निर्वाचन क्षेत्र में १९१३-१४ से तिन्नेवेली कुमारी अंतरीप रेलवे बनने की बात चल रही है, पर अभी तक कुछ नहीं हो सका है। यद्यपि इसे राज्य सरकार की सिफारिशों में शामिल किया गया है, पर रेलवे मंत्री जी कोई संकेत नहीं दे रहे हैं कि इसे माना जायेगा या नहीं। आशा है रेलवे मंत्री जी इस ओर उचित ध्यान देंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना): सभानेत्री महोदया, इस वित्त विधेयक पर जो वाद-विवाद होता है, और प्रत्येक वर्ष में तीन-तीन महीने हम यहां उस पर वाद-विवाद करते हैं, उसमें मुझे अत्यन्त दु:ख होता है कि एक अवास्तविक वायुमंडल यहां निर्मित हो जाता है और अर्थ-संकल्प पर जो संसदीय नियंत्रण होता है वह केवल काल्पनिक होता है वास्तविक नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि जब यहां अर्थ-संकल्प प्रस्तुत किया जाता है तब लोग घबरा जाते हैं। घबराने का कारण यह होता है कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके हास्य-मुख, मधुर भाषण, विदग्ध प्रतिपादन शैली, अर्थ-शास्त्र तथा वित्त-शास्त्र की उनकी विशेषज्ञता; इन सबका उन पर प्रभाव पड़ता है और जो बड़े बड़े ग्रंथ आते हैं और पब्लिक-सेक्टर तथा प्राइवेट-सेक्टर तथा अन्य-विशेषज्ञों की संज्ञायें जब उनके सिर पर फेंकी जाती हैं तो वह घबरा जाते हैं और बहुत सी बातों को छोड़ देते हैं और छोड़ने के पश्चात्, जैसे कि अभी हमारा वित्त विधेयक आया है, इस फाइनेन्स बिल के सम्बन्ध में भी हम देखते हैं थोड़ी बहुत बातें कर के ही समाप्त कर देते हैं इसमें भी हम देखते हैं कि हमने इंग्लैंड से जो पद्धति ली है या हिन्दुस्तान में जो पद्धति रक्खी है उसका भी यह परिणाम होता है कि जब अर्थ-संकल्प को यहां प्रस्तुत किया जाता है तो देश भर में एक वायुमंडल का निर्माण होता है जैसे कि कहीं इम्तहान का रेजेल्ट आने वाला हो या कहीं लाटरी निकलने वाली हो, कहीं स्पेकुलेशन करना हो, वैसे ही सब व्यापारियों के प्रतिनिधि यहां पहुंच जाते हैं कि शायद कहीं एक दिन पहले कुछ पता लग जाय कि कितना टैक्स लगने वाला है। हालांकि यह इतना गुप्त रक्खा जाता है कि किसी को पता नहीं होता। हमारा संसदीय नियंत्रण तो यहां होता ही है, लेकिन जिस दिन बजट रखा जाता है उस दिन

[श्री वी० जी० देशपांडे]

चार बजे के पश्चात् ही दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं और एक वाल्यूम के पश्चात् दूसरा वाल्यूम जब हमारे वित्त मंत्री पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें पता लगता है कि धोती पर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगी या शूगर पर कितनी ड्यूटी लगी। उसके पहले कुछ पता नहीं लगता है। इस का कारण यह है कि यहां पहले से इसकी चर्चा नहीं होती है।

अब हमने एक दूसरी बात और देखी है जो दो तीन साल से यहां हो रही है। पहले तो टैक्स लगाते हैं और लगाने के बाद कहते हैं कि जूते पर इतना टैक्स लगा, दिया-सलाई पर इतना लगा, धोती पर इतना लगा। उसके बाद महीने पंद्रह दिन उसको चलने देते हैं उस के बाद कहते हैं कि अच्छा अब हमने चार आने को घटा कर तीन आने कर दिया है तब जितने हमारे सदस्यगण हैं वह कहते हैं कि चलो अब ठीक हो गया, हमारे कहने से सरकार ने टैक्स कम कर दिया। लेकिन में कहना चाहता हूं कि यह एक योजनाबद्ध कमी की जाती है। यह वैसे ही होता है जैसे कि एक कहानी है कि एक गीदड़ के गले में एक हड्डी फंस गई थी। उसने एक बगुले से कहा कि इसे निकाल दो। जब बगुले ने अपनी चोंच अन्दर डाल दी तो गीदड़ ने हड्डी के निकलने के बाद बख्शीस देने का वादा किया। लेकिन निकलने के बाद बख्शीस दिया नहीं। तो उस बगुले ने पूछा कि मेरी बख्शीस कहां है? उसने कहा मैंने तुमको खा नहीं लिया यही तुम्हारी बखशीस है। जो टैक्स लगाये गये थे उनके कारण बहुत तकलीफ हो रही थी और अब आकर उनको कम किया गया है। कपड़े पर जो टैक्स लगने वाला था, जो ड्यूटी लगने वाली थी वह अब कुछ कम कर दी गई है। इससे मेरे विचार में कोई फायदा नहीं होगा। हमारे एक मित्र ने यहां पूछा कि पांच गज की धोती पर कितनी ड्यूटी अब पहले से ज्यादा या कम पड़ेगी। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि अगर ३६ इंच होगी तो ६ पाई होगा। लेकिन उनको पता नहीं कि धोती ३६ इंच की भी होती है ४० इंच की भी होती है और मेरे जैसे लोग ५२ इंच की धोती भी पहनते हैं। परन्तु बात यह है कि लीनयर यार्ड से सक्वेयर यार्ड पर ड्यूटी के लगने से जो गरीब लोग धोती पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं उनके भाव बढ़ गये हैं। आपने राष्ट्रीय ड्रेस तो अचकन और चूड़ीदार पाजामा कर दी और यह ड्रेस वही लोग पहनेंगे जो कि एम्बेसेडर इत्यादि होंगे लेकिन इस राष्ट्र में रहने वाले जो गरीब लोग हैं और जिन पर इस टैक्स का भार पड़ेगा क्या आपने उनकी हालत सुधारने के बारे में भी कुछ सोचा है या उन पर और टैक्स लगाने की ही आप सोच रहे हैं। आज उनकी खेती के भाव कम होते जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप उन पर टैक्स भी लगाते जा रहे हैं। आपने एक परिवर्तन यह भी किया है कि जो मिडिल क्लास है और जिनकी इन्कम १०,००० रुपये है अब उनको ९ रुपये कम देने पड़ेंगे। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जिनको खाने को नहीं मिल रहा है और जिनका जीवन स्तर इतना कम है कि उनकी कम-से-कम जो आवश्यकतायें हैं वे भी पूरी नहीं होती हैं उन पर अगर चार आने या आठ आने जो टैक्स लगाया गया है उससे उनकी हालत और कितनी खराब हो जायेगी, इसका अनुमान आप ही लगा सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि यह बड़ी बुरी बात है। तो मेरा सुझाव है। कि सरकार जनता द्वारा की जाने वाली आलोचना की ओर ध्यान दे जो परिवर्तन आपने जनता की नुक्ता-चीनी को ध्यान में रखते हुए की हैं मुझे उससे खुशी है। मैं तो वही बात कहूंगा जिससे कि जनता को फायदा हो। इस वास्ते

मेरा सुझाव है कि आप बजट को एक लाटरी न समझें ।

अब जो मुझे सबसे पहली बात कहनी है वह यह है कि अब जब टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आपके पास आ गई है तो उसके पश्चात् भी हम देखते हैं कि टैक्सेशन की जो पुरानी पद्धति थी वही चली आ रही है और इसको बदला जाना चाहिये ।

मेरा दूसरा आक्षेप यह है कि जैसा कि हमारे कई मित्रों ने बड़ा दुःख प्रकट किया कि प्राइवेट इन्कम को-इन्सेटिव नहीं है और-अब-जब आप प्राइवेट सैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट इन्कम को इन्सेटिव देना चाहिये । मेरा तो आक्षेप यह है कि आप इंगलैंड की सब चीज़ों का अनुकरण करते हैं, आप ब्रिटिश कामनवैल्थ में अब भी रहते हैं परन्तु टैक्सेशन के बारे में, हायर इन्कम ग्रुप्स के बारे में जिनकी पांच लाख से ज्यादा इन्कम है आप इंग्लैंड का अनुकरण क्यों नहीं करते । आपने कहा है कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं । मेरी तो समझ में नहीं आया कि किस किस्म की सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी आप चाहते हैं। आप लोगों ने इन्कम पर सीलिंग नहीं लगाया जिसका लगाया जाना बहुत जरूरी था और अब पंडित जी ने इसका विरोध किया है । आप कहते हैं कि सोशलिज्म—ग्रैजुअली——आयेगा धीरे-धीरे आयेगा । आप लोगों को यह बता रहे हैं कि १० साल में आप यह करेंगे २० साल में आप वह करेंगे । मैं एक उदाहरण देता हूं, एक एनालाजी देता हूं कि जब कोई स्त्री सती होना चाहती है तो वह ऐसे नहीं करती कि एक तीली अपने कपड़ों पर एक बार लगा ली दूसरी एक साल के बाद फिर लगा ली और इस तरह से १० साल तक लगाती चली गई। यह सतीत्व नहीं है। उसको तो एकदम मरना पड़ता है। इसलिये अगर हम इस देश में सोशलिज्म लाना चाहते हैं तो हमें वे कदम जो सोशलिज्म को लाने के लिये करते हैं, एकदम से करने चाहियें ।

अभी एक माननीया सदस्या कह रही थीं कि हमारे यहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट चालू नहीं किये गये । मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर उनके यहां कम्युनिटी प्राजेक्ट चालू नहीं किये गये तो वे कहेंगी कि अगर चालू न होते तो अच्छा था । असली बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब कागजों पर ही हो रहा है । मेरे मित्र जितने यहां आते हैं वे कहते हैं कि देहातों में, शहरों म, सब जगह बेकारी बढ़ रही है । देहातों में दीनता बढ़ रही है । आपके यहां से बातें करने से देश में कोई उत्साह पैदा नहीं होता है । जब तक आप अनएम्पलायमेंट को बेकारी को दूर नहीं करते लोग संतुष्ट नहीं हो सकते । मुझे तो वित्त मंत्री का यह सुझाव भी गलत मालूम होता है जिसमें आप कहते हैं कि १० वर्ष के अन्दर आप पूरी तरह से बेकारी दूर कर देंगे । मैं तो समझता हूं कि इसको दूर करने के लिये कोई भी योजना आपके पास नहीं है । मैं तो तभी आपका समाजवाद का स्वप्न पूरा होता समझूंगा जब आप पूरे तौर से बेकारी को दूर कर देंगे और गरीब लोगों की दशा को सुधारेंगे । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं २० गांवों के कुछ आदमियों को रक्षा संगठन मंत्री के पास लेकर गया जिनको अपने गांवों से निकला जा रहा था और जिनकी संख्या कोई ४० या ५० हज़ार है । ये लोग यू० पी०, मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश के हैं । इनको २४ घंटे का नोटिस दिया गया है कि आप गांव छोड़ कर चले जाओ और उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है । जो मुआवजा

[श्री वी० जी० देशपांडे]

देने का प्रोमीजर होगा उसके मुताबिक इन को एक साल के बाद या दो साल के बाद मुआवजा दिया जायेगा । अब वे लोग अपने घर-बार छोड़ कर अपनी खेती छोड़ कर, कहां चले जायें। जब वे यहां पर आते हैं तो उनको कहा जाता है कि १४ लाख रुपया मुआवजा दे दिया गया है प्रोविंशल गवर्नमेंट को --

श्री त्यागी : जितना मुआवजा था भेज दिया गया है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि जितना मुआवजा था भेज दिया गया है लेकिन वहां के जो किसान हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जब संविधान में संशोधन करने का बिल यहां आया था उस वक्त मैंने कहा था कि यह जो समाजवाद का नारा लगाया जाता है इससे इनको कष्ट नहीं होता है; इससे तो उन लोगों को कष्ट होगा जो कि देहातों में रहते हैं और जो गरीब लोग हैं । इस प्रकार के समाजवाद की कसौटी मेरी नहीं है। गरीबों को तो सभी राजा लोग सताते आये हैं और अब आप भी उनको सता रहे हैं । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । मेरी तो समाजवाद की कसौटी जैसा कि मेरे मित्र चटर्जी ने कहा यह है किसी भी वर्ग का किसी भी गरीब आदमी का लड़का हो, सरकार का कर्तव्य है कि उसको शिक्षा दे, कोई भी आदमी काम के बगैर न रहे, सब को खाने को मिले और सब खुश हों। बेरोजगारी को १० साल के बाद आशीर्वाद देने के स्थान पर सरकार को कोई ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये और घोषित करना चाहिये कि इस देश में जिस आदमी का शरीर अच्छा हो और वह काम करने योग्य हो तो सरकार उसको काम देगी और यदि काम नहीं देगी तो उसको घर में बैठे बैठे डोल्ज दी जायेगी । जब ऐसा हो जायेगा तो मैं समझूंगा कि अब सोशलिज्म आ गया है। उस वक्त आप जितने चाहे टैक्स लगायें, जिसकी भी चाहें जायदाद छीन लें, ज़मीदारों की जमीन छीन लें । जब आप लोगों को काम देने और जिनको आप काम न दे सकेंगे उनको डोल्ज़ देने की तरफ कदम बढ़ायेंगे तभी मैं समझूंगा कि आप समाज वाद लाने के बारे में "सीरियस" हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक मैं यही समझूंगा कि यह आपका एक स्लोगन ही है और इसका सिवाय कैच फ्रेज के कोई महत्व नहीं है । तो मैं चाहता हूं कि ये जो टैक्सेज हैं ये बड़े लोगों पर पड़ें और अगर एक तिनका भी छोटे लोगों पर पड़ा तो यह भार उनके लिये असह्य होगा और वे उठा नहीं सकेंगे । वे लोग तो आगे ही मर रहे हैं, और टैक्स लगने से उनकी दशा शोचनीय हो जायेगी । तो मैं समझता हूं कि जब तक आप अपनी अर्थ-रचना में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं करते, तब तक इस देश की उन्नति होगी, ऐसा मैं नहीं मानता ।

श्री डी० डी० पन्त (जिला अलमोड़ा—उत्तर–पूर्व): मैं वित्त मंत्री की कर लगाने सम्बन्धी रीति का सदैव समर्थक रहा हूं। हमारे देश में बड़ा मत-भेद चलता रहता है । मेरे मित्र श्री वी० जी० देशपांडे जैसे व्यक्ति प्रगति के मार्ग में सबसे बड़े रोड़े हैं। वे देश में प्रगति नहीं होने देना चाहते, अन्यथा मेरा सुझाव था कि वित्त मंत्री महन्तों और मन्दिरों की सारी सम्पत्ति विकास कार्य के हेतु जब्त कर लेते । यही लोग मेरे मित्र के दल को आश्रय देते हैं ।

जब तक हम वित्त मंत्री को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य में प्राप्तव्य सुविधायें नहीं देते या प्रगति के आड़े आने वाली अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ते, किसी दूसरे प्रकार का आय-व्ययक बन ही नहीं सकता ।

बहुत से राज्यों ने मद्य-निषेध की नीति अपना रखी है और इस प्रकार वे बहुत अधिक राजस्व का घाटा उठा रहे हैं । दूसरी ओर उन्हें उसे रोकने के लिये और अधिक व्यय करना पड़ रहा है । फिर वे विकास के लिये केन्द्र से अनुदान मांगते हैं । अमरीका की पुलिस हमारी पुलिस से कहीं अधिक दक्ष है, फिर भी वे लोगों को मद्य आदि पीने से न रोक सके । अतः केन्द्र को यह निदेश निकाल देना चाहिये कि वे ऐसा न करें । दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया भी मद्य-निषेध का उपदेश देते थे । उनका एक शिष्य एक कलाल था । उसने आकर औलिया से शिकायत की कि उनके उपदेशों के कारण उसका कारबार बन्द हो रहा है । इस पर औलिया ने लिखित रूप में अपने शिष्यों से कहा कि उपदेशों के होते हुये भी कुछ लोग मद्य आदि पीते हैं । अतः वह उन्हें वह उस शिष्य के यहां से खरीदनी चाहिये । यह व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो रुपया हमारे राजकोष में आना चाहिये, वह चोरी छुपे मद्य निकालने वालों आदि की जेबों में जाता है ।

फिर मेरा सुझाव है कि नमक कर भी लिया जाना चाहिये । महात्मा गांधी ने भी लिखा था कि चूंकि तब ब्रिटिश शासन ब्रिटिश नौवहन को लाभ पहुंचाने के लिये नमक कर लगाना चाहता था, उसका विरोध किया गया । पर अब बात दूसरी है । करारोपण जांच आयोग ने भी भावना के ही कारण इसका समर्थन नहीं किया है । पर इससे बहुत सा राजस्व एकत्र किया जा सकता है ।

अभी माननीय मित्र श्री वी० जी० देशपांडे पूछ रहे थे कि समाज का समाजवादी ढांचा क्या होता है ? वह इसका अर्थ नहीं समझते हैं । इस प्रश्न का तो एक गांव वाले ने सरल भाषा में यह उत्तर दिया था—"अरे, मोटों की चरबी निकाल कर दुबलों के बदन पर मालिश करो ।" यही इस शब्द का अर्थ है ।

हमने आज भी संपत्ति को मान्यता दे रखी है । जब तक हम इसे मानते हैं, तब तक माननीय सभा-सचिव-श्री-सादत-अली-खां के शब्दों में—

"सब अच्छा हो रहा है,
फकीरुद्दीन का है हाल पतला,
अमीरुद्दीन मोटा हो रहा है ।"

चलता रहेगा ।

यदि आप मोटों की चरबी की मालिश दुबलों की देह पर करें तो देश में समाजवाद आ सकता है अन्यथा हमें क्रान्ति करनी पड़ेगी ।

हमारे मंत्री, उपमंत्री और सभा-सचिव भी फाइलों और लालफीतावाद के जाल में फंस गये हैं । इसी से बहुत देर लगती है । महात्मा गांधी ने लाल फीता को जलाने की कला सीखने का परामर्श दिया था । आशा है, हमारे मित्र यह कला सीख कर काम जल्दी निपटाया करेंगे ।

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़पा) : पहली पंचवर्षीय योजना का अन्तिम आय-व्ययक और समाजवादी ढांचे की समाज की घोषणा के बाद पहला आय-व्ययक होने के कारण लोगों ने इस वर्ष इस आय-व्ययक में विशेष रुचि ली है । परन्तु यह पूंजीवादी वित्त व्यवस्था से ओतप्रोत आंकड़ेबाजी मात्र है । यह प्रगतिशील और आयोजित आय-व्ययक नहीं है ।

यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई है और भुगतान स्थिति भी सुधरी है पर बेकारी भी बढ़ रही है । कृषि सम्बन्धी उपजों और कच्चे मालों के भाव गिरने से लोगों की दशा गिरती जा रही है । पर इस आयव्ययक में उसके लिये कोई उपबन्ध नहीं है ; उलटे यह अमीरों को और अमीर, और निर्धनों को और निर्धन बनाने जा रहा है । लोगों की क्रय

[श्री ईश्वर रेड्डी]

शक्ति बढ़ाने के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है ।

कराधान प्रस्तावों में यद्यपि कुछ कमियां की गई हैं, फिर भी इससे जनसाधारण पर बहुत बोझ पड़ता है । अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशतक बढ़ रहा है ; १९४६-४७ में यह ४८ प्रतिशत था अब १९५४-५५ में यह ७० प्रतिशत है । कर का आपात भी निम्न वर्ग के लोगों पर ही अधिक है । उधर बड़े व्यापारियों को सरकार विशेष छूट दे रही है । करारोपण जांच आयोग राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से उपयोगी उद्योगों को ही छूट देना चाहता था पर यह सभी को दी जा रही है। डा० वी० के० आर० वी० राव जैसे अर्थशास्त्री भी निजी संपत्ति खंड के बचतपूर्ण आयोजन के लिये इसे अनुकूल नहीं मानते । विदेशी और भारतीय उद्योगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया है । विदेशी उद्योग पहले ही बहुत लाभ उठा रहे हैं, अब वे और भी विस्तार कर सकेंगे । उनके लाभों के नियंत्रित किये जाने के स्थान पर इससे उनको और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे ।

निर्यात बढ़ाने के लिये कपास के निर्यात पर शुल्क में छूट दी गई है । निर्यात बढ़ाना ठीक है पर पूंजी द्रव्यों और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों के आयात के भुगतान के लिये वे आवश्यक हों, दामों का गिरना और पूंजीपतियों के लाभों का कम होना रोकने के लिये निर्यात बढ़ाना उचित नहीं है ।

विकास योजनाओं के लिये वित्त एकत्र करने का सरकारो तरीका भी ठीक नहीं है । भारतवासियों के तीन वर्षों के आग्रह के बाद अब केन्द्रीय सरकार ने बांदीकोंडा परियोजना स्वीकार की है, पर उसने हैदराबाद और आन्ध्र सरकारों से सुधार कर, बढ़ा हुआ सिंचाई-कर वसूल करने और ऊसर जमीन को बेच देने के लिये कहा है । केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अनुचित शर्तों का लगाया जाना उचित नहीं है । क्रय शक्ति के गिरने के कारण ही प्रकाशम् मंत्रिमंडल ने ऊसर भूमि मुफ्त बांटने और १० रुपये तक कर देने वाले भूस्वामियों को रियायतें देने का निर्णय किया था । सरकार को राजाओं की निजी थैलियां समाप्त करके और कड़ाई के साथ आयकर वसूल करके धन एकत्र करना चाहिये, तभी से जनता का सच्चा सहयोग मिल सकेगा । तुंगभद्रा की उच्चतल वाली प्रणाली--गान्दीकोटा योजना बहुत पहले बन जानी चाहिये थी । रायलासीमा और सरकार परगनों के लोग चाहते थे कि वह साथ-साथ ही बने । उस अकाल क्षेत्र पर ध्यान देते हुये यह शीघ्र ही बननी चाहिये ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमारे क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५००० मील लम्बी रेलवे लाइनें बिछायी जायेंगी । मेरा सुझाव है कि धर्मवरम् से कड़पा और कड़पा से ओंगोल तक रेलवे लाइन बनाई जाये । इस १००० वर्ग मील क्षेत्र में यातायात की कोई सुविधा नहीं है ।

मैं वित्त मंत्री को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ और है । समाजवादी ढांचे के समाज की घोषणा तो की गई है, पर कांग्रेस अब भी पूंजीपतियों के साथ है ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् (बेल्लारी) : कल वित्त मंत्री ने ऊनी-सूती सामानों, सिलाई की मशीनों आदि के बारे में कुछ रियायतों की घोषणा की थी । मोटे कपड़े पर १० करोड़ रुपयों तक की रियायत दी गई थी सैनिक और असैनिक व्ययों को संतुलित करने के साथ ही उन्हें योजना के व्ययों की भी व्यवस्था करनी

पड़ी है और इस प्रकार उनका काम बहुत कठिन रहा है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ और है । समाजवादी ढांचे के समाज की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं । कृषि क्षेत्र में जमींदारियां समाप्त करके काश्तकारों को अधिकार प्रदान किये गये हैं और अब चकबन्दियां भी होने जा रही हैं । प्रत्येक व्यक्ति के लिये अधिकतम जमीन निश्चित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । उद्योग-क्षेत्र वालों से मेरा अनुरोध है कि वे समय के अनकूल सुधर जायें ।

कुटीर उद्योगों के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि बड़े पैमाने के उद्योग विकसित हों । परन्तु बड़े उद्योगों के महत्वपूर्ण होते हुये भी रोजगार की दृष्टि से कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है । वस्त्र मिलों की अपेक्षा हाथ करघे में बीस गुने आदमी लगे हुये हैं । वस्त्र जांच समिति की रिपोर्ट के तर्कों से तो मैं प्रायः सहमत हूं, पर उसके क्रियात्मक पहलू पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि उसके कारण २०,००० हथ करघे प्रति वर्ष विलुप्त होते जायेंगे । जैसा वित्त मंत्री हमें बता रहे थे, हमें कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में प्रति वर्ष २० लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना होगा ।

यदि हम लोगों को बेरोजगार बनायें तो इससे समस्या और उलझ जायेगी । इसलिये मैं कहता हूं कि हमें हथ करघा तथा कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता इत्यादि देनी चाहिये और साथ ही साथ यह भी देखना चाहिये कि वहां लोग बेरोजगार न रहें ।

चार खण्डीय स्टेशनों को शिल्पिक सहायता देने का विचार हो रहा है । मेरी प्रार्थना है कि ऐसे खण्डीय स्टेशनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिये और देश के कोने कोने शिल्पिक सहायता दी जानी चाहिये ।

जहां जहां तुंगभद्रा जैसी बड़ी परियोजनायें हैं वहां राज्य बैंक द्वारा कृषकों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि कृषकों को अपने भूखण्डों तक जल ले जाने में कठिनाई होती है ।

मेरे माननीय मित्र श्री थानू पिल्ले जो मुझसे पहले बोले थे उन्होंने कहा कि सारे भारत में औद्योगिक विकास समान रूपसे होना चाहिये । भाखड़ा नंगल में तीन विद्युत एकक हैं जिनमें से केवल एक चल रहा है अन्य दो बकार पड़े हैं । बोखारो में भी स्थिति ऐसी ही है । मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत का औद्योगिक एकीकरण समान रूप से होना चाहिये और विद्युत पैदा करने वाली मशीनें, लोहा तथा इस्पात संयंत्र, ऊर्वरक कारखाने, सीमेंट कारखाने चीनी के कारखाने इत्यादि अधिकतर दक्षिण भारत में खोले जाने चाहिये ।

श्री एम० आर० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है—इसके लिये धन्यवाद ! मैं रक्षा सेवाओं के कुछ उच्च अधिकरियों पर अकारण तोड़े जाने वाले जुल्मों के सम्बन्ध में बोलना चाहता था, किन्तु मुझे बहुत कम समय मिला है, अतः मैं एक और मत्वपूर्ण बात पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा——यह है आवास के सम्बन्ध में, क्योंकि लोक-कल्याण में आवास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । आवास मंत्रालय ने लाखों लोगों की, विशेषतः विस्थापित व्यक्तियों की आवास समस्या हल की है और उसके लिये वह बधाई का पात्र है । इसी प्रकार मंत्रालय कम आय वाले वर्गों के लिये भी नई आवास योजना चलाई है, इसके लिये भी वह बधाई का पात्र है । मैं हर सब बातों को समझता तो हूं लेकिन मैं यह नहीं समझ सकता कि मंत्रालय शताब्दियों से बेघर चले आ रहे लोगों

[श्री एम० आर० कृष्ण]

के आवास की व्यवस्था क्यों नहीं करता। कम आय वाले वर्गों के लिये चलाई गई आवास योजना में प्रति व्यक्ति दस हज़ार रुपये मिलेंगे जो ३० वर्ष में लौटाये जाते हैं। भला सरकार हरिजनों के लिये ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाती। मेरे राज्य में एक सभा है जो निराश्रित हरिजन परिवारों के लिये ३०० अधिक मकान बना रही है। हम यह नहीं चाहते कि हरिजनों की अलग बस्तियां हों अपितु हम यह चाहते हैं कि उन बस्तियों में अन्य संप्रदाय के लोग भी आकर बसें मुझे इस बात की हैरानी है कि जब प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री इस बात के इच्छुक हैं कि मिलिटरी क्वार्टरों से हटाये गये इन लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था की जाये तो आवास मंत्रालय उनकी सहायता क्यों नहीं करता वास्तव में यह एक गम्भीर मामला है और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय इस बात का ध्यान रखे कि इस अभिप्राय के लिये अलग रखे गये धन का इसी काम के लिये उपयोग हो। चूंकि मेरे पास और समय नहीं अतः उन सब बातों को सभा के समक्ष नहीं रख सकता।

श्री शिवनंजप्पा (मंडया) : मैं वित्त विधेयक का स्वागत करते हुए ग्रामीण समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रायः कहा गया है कि भारत में कृषि अनुत्पादक और अलाभकारी है। यह कारण है कि हमारे इस देश में चारों ओर अज्ञान, विपत्ति और दारिद्र्य नजर आरहा है। हमारे यहां के कृषक की कोई भी प्रेरणा नहीं मिल पाती। अभी भी यहां सामन्तशाही चल रही है और धारित भूक्षेत्र बिखरे पड़े हैं। परिवहन के लिये पर्याप्त सड़कें नहीं और न कृषि की वस्तुओं के प्रमापीकरण का क्रय-स्थापन की कोई व्यवस्था है। भू-कराधान में असमता है और ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिये कोई भी संस्था नहीं। यही कारण है कि दिनों दिन हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि खंडशः प्रयत्न हो चुके हैं किन्तु कोई भी समायोजित प्रयत्न नहीं हुआ है। धारित भू-क्षेत्र आदि की सीमा के निश्चय के लिये बहुत बातें चल रही हैं किन्तु इसके साथ साथ व्यक्तिगत आय और सम्पत्ति की भी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिये। खेद है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं। चार वर्ष बीतने के बावजूद भी ग्रामीणों का जीवन स्तर वैसे का वैसे ही है। कृषि-वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हैं और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य बढ़ रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये।

किसी भी सरकार के शासन का स्तर जानने की कसौटी यह है कि उसके लोगों का जीवन स्तर कैसा है, सफाई आदि कैसी है, उनका आहार पोषण आदि कितना है, आवास और शिक्षा आदि की क्या स्थिति है। यदि इस कसौटी से इस सरकार का काम परखा जाय तो आपको पता चलेगा कि सरकार बहुत पीछे है। सामुदायिक परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड-क्षेत्रों, आदि की प्रगति बहुत धीमी है और भी जो बातें हैं उनमें हमारी सरकार बहुत पिछड़ी हुई है। हमारे देश में, कृषि व्यापार का कोई साधन नहीं, अपितु जीवन यापन का एक साधन है। ग्रामीण वित्त तथा ग्रामीण ऋणता अभी भी समस्या की जड़ में हैं। इस सम्बन्ध में मैं ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं और इस संस्था को बधाई देता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पहले उनकी इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि कृषकों को न केवल सस्ते ब्याज पर उधार

दिया जायेगा, अपितु छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये भी वहां ऐसी व्यवस्था की जायेगी। मैं इस बात का भी उल्लेख किये देता हूं कि सहकारी आन्दोलन को यथेष्ट महत्व नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार की धारणा बहुत संकुचित है। मेरा यह सुझाव है कि देश भर में ग्रामीण जीवन तथा कृषक के जीवन में सुधार करने के लिये बहुप्रयोजनीय सहकारी संस्थायें बनानी चाहिये। हमारी प्रशासकीय व्यवस्था में बहुत सी त्रुटियां हैं, इसीलिये हमारे बहुत से काम समय से नहीं हो पाते। मुझसे पहले के कुछ और अभिभाषकों ने भी इसी बात की ओर संकेत किया है। वास्तव में, राज्य अपनी प्रशासकीय व्यवस्था के आधार पर जीवित रहता है और प्रशासन चलाता है। पदाधिकारी ही राज्य की नीतियों को लोगों के समक्ष सक्रिय रूप में रखते हैं। पदाधिकारी लोगों के सम्पर्क में आते हैं और यह प्रशासकीय प्रणाली ही राज्य में सन्निहित प्रयोजनों को अभिव्यक्त करती है। इसी बात को हमें क्षेत्र के विस्तार और राज्य की गति विधियों के विस्तार में सोचना पड़ता है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, जो विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, इन योजनाओं और राज्य की नीति के नये आदर्शों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकती। पदाधिकारी, वे चाहे कितने ही अई हों, अपने काम को प्रशंसा चाहते हैं, लोगों को ओर नहीं देखना चाहते। इस देश में किसी भी पदधिकारी का जनसाधारण के प्रति जैसा रवैया है वह दिखावे और किसी कर्कश स्वामी का सा है। ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता-पूर्व की महत्ता ग्रन्थि की भावना अभी भी प्रशासनिक व्यवस्था पर छाप लगाये बैठी है। नौकर शाही व्यवस्था हमारे देश के किसान वर्ग की आवश्यकताओं को समझ नहीं पाती और अभी भी हमारे राज्य की गतिविधियों में लालफीताशाही की मोहर लगी दिखाई दे रही है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समय समाप्त हो चुका है।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं कल पर अपना भाषण रखूं ?

सभापति महोदय : नहीं, माननीय सदस्य का सारा समय समाप्त हो चुका है। अब मैं श्री डी० सी० शर्मा का नाम बुलाता हूं। वह एक मिनट तक बोलेंगें और उसके पश्चात् सभा स्थगित होगी।

श्री डी० सी० शर्मा : मुझे कितने मिनट मिलेंगे ?

कई माननीय सदस्य : एक मिनट।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। अब मैं कल बोलूंगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण दे सकते हैं। अब सभा कल ग्यारह बजे मध्याह्न पूर्व तक स्थगित होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार २० अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—86LSD—30-8-55—000